वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान वेतन से आयकर कटौती

परिपत्र संख्या 24/2022 [एफ. संख्या 275/15/2022-आईटी(बी)] , दिनांक 7-12-2022

दिनांक 15-3-2022 के परिपत्र संख्या 4/2022 का संदर्भ आमंत्रित किया जाता है, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 (इसके बाद 'अधिनियम') की धारा 192 के तहत "वेतन" शीर्षक के तहत आय के भुगतान से आयकर की कटौती की दरें सूचित की गई थीं। वर्तमान परिपत्र में वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान "वेतन" शीर्षक के तहत प्रभार्य आय के भुगतान से आयकर की कटौती की दरें शामिल हैं और अधिनियम और आयकर नियम, 1962 (इसके बाद नियम) के कुछ संबंधित प्रावधानों की व्याख्या करता है। संदर्भित सभी धाराएं और नियम क्रमशः आयकर अधिनियम, 1961 और आयकर नियम, 1962 के हैं जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हों। संबंधित अधिनियम, नियम, प्रपत्र और अधिसूचनाएं आयकर विभाग की वेबसाइट- www.incometaxindia.gov.in पर उपलब्ध हैं।

अधिनियम की धारा 192(1) के अनुसार, "वेतन" शीर्ष के अंतर्गत प्रभार्य किसी आय का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी कोई भी व्यक्ति, भुगतान के समय, उस वित्तीय वर्ष के लिए वेतन आय शीर्ष के अंतर्गत करदाता की अनुमानित आय पर, जिस वित्तीय वर्ष में भुगतान किया जाता है, उस वित्तीय वर्ष के लिए लागू दरों के आधार पर गणना की गई आयकर की औसत दर पर देय राशि पर आयकर की कटौती करेगा ।

धारा में यह भी प्रावधान है कि "वेतन" शीर्षक के अंतर्गत प्रभार्य किसी आय का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति उस व्यक्ति को, जिसे ऐसा भुगतान किया जाता है, एक विवरण देगा जिसमें उसे प्रदान किए गए वेतन के बदले में अनुलाभों या लाभों तथा उनके मूल्य का सही और पूर्ण विवरण दिया जाएगा।

1. "वेतन", "अनुलाभ" और "वेतन के बदले लाभ" की परिभाषा (धारा 17)

1.1 वेतन क्या है?

अधिनियम की धारा 15 के अनुसार, निम्नलिखित आय "वेतन" शीर्षक के अंतर्गत आयकर के लिए प्रभार्य हैं -

(*ए*) किसी नियोक्ता या पूर्व नियोक्ता से किसी करदाता को पिछले वर्ष में देय कोई वेतन, चाहे भुगतान किया गया हो या नहीं;

(*बी*) किसी नियोक्ता या पूर्व नियोक्ता की ओर से पिछले वर्ष में उसे भुगतान किया गया या स्वीकृत किया गया कोई वेतन, यद्यपि वह देय नहीं था या देय होने से पहले;

(*सी*) किसी नियोक्ता या पूर्व नियोक्ता की ओर से पिछले वर्ष में उसे भुगतान किया गया या स्वीकृत किया गया वेतन का कोई बकाया, यदि उस पर किसी पिछले वर्ष के लिए आयकर नहीं लगाया गया हो।

किसी भी आय को वेतन कहलाने के लिए, नियोक्ता-कर्मचारी संबंध का होना आवश्यक है। अधिनियम की धारा 17 के अनुसार, वेतन में निम्नलिखित शामिल हैं:

(*मैं*) वेतन;

(*ii*) कोई वार्षिकी या पेंशन;

(*iii*) कोई भी ग्रेच्युटी;

(*iv*) किसी वेतन या मजदूरी के बदले या इसके अतिरिक्त कोई शुल्क, कमीशन, अनुलाभ या लाभ;

(*वी*) वेतन का कोई अग्रिम भुगतान;

(*छठी*) किसी कर्मचारी द्वारा अवकाश की अवधि के संबंध में प्राप्त कोई भुगतान, जिसका उसने लाभ नहीं उठाया हो;

(*सात*) मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में भाग लेने वाले कर्मचारी के खाते में शेष राशि में वार्षिक वृद्धि , उस सीमा तक जिस तक वह चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 6 के अधीन कर हेतु प्रभार्य है;

(ए) नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के वेतन के 12% से अधिक किसी मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में कर्मचारी के खाते में किया गया अंशदान, और

(*बी*) कर्मचारी के खाते में जमा शेष पर ब्याज, जहां तक उसे ऐसी दर से अधिक दर पर अनुमति दी जाती है, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्धारित किया जा सकता है;

(*आठ*) अधिसूचना एफएन 5/7/2003- ईसीबीएंडपीआर, दिनांक 22.12.2003 (**अनुलग्नक VII के रूप में संलग्न**) द्वारा अधिसूचित नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारी के खाते में केंद्र सरकार या किसी अन्य नियोक्ता द्वारा किया गया अंशदान;

(*9*) किसी मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में भाग लेने वाले कर्मचारी के मामले में अधिनियम की चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 11 के उपनियम (2) में निर्दिष्ट अंतरित शेष में सम्मिलित सभी राशियों का योग, उस सीमा तक जिस तक वह उपनियम (4) के अधीन कर हेतु प्रभार्य है।

यह ध्यान देने योग्य है कि चूँकि वेतन में पेंशन शामिल है, इसलिए स्रोत पर कर पेंशन से भी काटा जाएगा, जब तक कि अन्यथा आवश्यक न हो। हालाँकि, धारा 10 (10ए) के तहत छूट प्राप्त सीमा तक पेंशन के परिवर्तित हिस्से से कोई कर काटने की आवश्यकता नहीं है।

पारिवारिक पेंशन "अन्य स्रोतों से आय" शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य है, न कि "वेतन" शीर्षक के अंतर्गत। इसलिए, अधिनियम की धारा 192 के प्रावधान लागू नहीं होते। इसलिए, डीडीओ को व्यक्ति को दी जाने वाली पारिवारिक पेंशन पर टीडीएस काटने की आवश्यकता नहीं है।

1.2 अनुलाभ क्या है?

अधिनियम की धारा 17(2) के अनुसार, अनुलाभों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(*मैं*) कर्मचारी को उसके नियोक्ता द्वारा प्रदान किए गए किराया-मुक्त आवास का मूल्य;

(*ii*) कर्मचारी को उसके नियोक्ता द्वारा प्रदान की गई किसी भी आवास के संबंध में किराए के मामले में किसी भी रियायत का मूल्य;

(*iii*) निम्नलिखित में से किसी भी मामले में निःशुल्क या रियायती दर पर प्रदान किए गए किसी लाभ या सुविधा का मूल्य:

(ए) किसी कंपनी द्वारा किसी कर्मचारी को, जो उस कंपनी का निदेशक है;

(*बी*) किसी कंपनी द्वारा किसी ऐसे कर्मचारी को जिसकी कंपनी में पर्याप्त रुचि हो;

(*सी*) किसी नियोक्ता (कंपनी सहित) द्वारा किसी कर्मचारी को, जो उपर्युक्त (*क*) या (*ख*) के अंतर्गत नहीं आता है और जिसकी आय "वेतन" शीर्ष के अंतर्गत (चाहे एक या अधिक नियोक्ताओं द्वारा देय या भुगतान की गई या अनुमत हो), मौद्रिक भुगतान के माध्यम से प्रदान न किए गए सभी लाभों या सुविधाओं के मूल्य को छोड़कर, 50,000/- रुपये से अधिक है।

[किराये के मामले में रियायत क्या है, यह अधिनियम की धारा 17(2)(*ii) के नीचे स्पष्टीकरण 1 से 4 में निर्धारित किया गया है।]*

(*iv*) किसी दायित्व के संबंध में नियोक्ता द्वारा भुगतान की गई कोई राशि जो अन्यथा करदाता द्वारा देय होती ।

(*वी*) नियोक्ता द्वारा देय कोई राशि, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या किसी निधि के माध्यम से, मान्यता प्राप्त भविष्य निधि या अनुमोदित अधिवर्षिता निधि या धारा 17 के अंतर्गत अन्य निर्दिष्ट निधियों के अलावा, किसी करदाता के जीवन पर आश्वासन देने या वार्षिकी के लिए अनुबंध करने के लिए ।

(*छठी*) नियोक्ता या पूर्व नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निःशुल्क या रियायती दर पर आवंटित या हस्तांतरित किसी निर्दिष्ट प्रतिभूति या स्वेट इक्विटी शेयरों का मूल्य। इस प्रयोजन के लिए,

(ए) " विनिर्दिष्ट प्रतिभूति" से तात्पर्य प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2(एच *)* में परिभाषित प्रतिभूतियों से है और जहां किसी योजना या स्कीम के तहत कर्मचारियों को स्टॉक विकल्प प्रदान किया गया है, वहां ऐसी योजना या स्कीम के तहत प्रस्तावित प्रतिभूतियां भी शामिल हैं;

(*बी*) " स्वेट इक्विटी शेयर" का अर्थ है किसी कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों या निदेशकों को छूट पर या नकदी के अलावा अन्य प्रतिफल के लिए जारी किए गए इक्विटी शेयर, जो बौद्धिक संपदा अधिकारों या मूल्य संवर्धन के स्वरूप में जानकारी प्रदान करने या अधिकार उपलब्ध कराने के लिए हैं, चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाए;

(*सी*) किसी निर्दिष्ट प्रतिभूति या स्वेट इक्विटी शेयरों का मूल्य, यथास्थिति, निर्दिष्ट प्रतिभूति या स्वेट इक्विटी शेयरों का उचित बाजार मूल्य होगा, जिस तारीख को करदाता द्वारा विकल्प का प्रयोग किया जाता है, जिसमें से ऐसी प्रतिभूति या शेयरों के संबंध में करदाता द्वारा वास्तव में भुगतान की गई या उससे वसूल की गई राशि घटा दी जाएगी ;

(डी) " उचित बाजार मूल्य" से तात्पर्य निर्धारित विधि के अनुसार निर्धारित मूल्य से है (आईटी नियमों के नियम 3(9) देखें);

(*ई*) "विकल्प" का अर्थ है एक अधिकार, लेकिन किसी कर्मचारी को पूर्व निर्धारित मूल्य पर निर्दिष्ट सुरक्षा या स्वेट इक्विटी शेयरों के लिए आवेदन करने के लिए दिया गया दायित्व नहीं;

(*सात*) नियोक्ता द्वारा करदाता के खाते में किए गए किसी अंशदान की राशि या राशियों का कुल योग—

(ए) किसी मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में;

(*बी*) धारा 80सीसीडी की उपधारा (2) में निर्दिष्ट योजना में; और

(*सी*) एक अनुमोदित सुपरएनुएशन फंड में,

पिछले वर्ष में सात लाख पचास हजार रुपये से अधिक हो;

(*viia*) *vii)* में निर्दिष्ट निधि या योजना के जमा शेष में पिछले वर्ष के दौरान ब्याज, लाभांश या समान प्रकृति की किसी अन्य राशि के रूप में वार्षिक अभिवृद्धि, उस सीमा तक, जो उक्त खंड में निर्दिष्ट अंशदान से संबंधित है, जिसे कुल आय में शामिल किया जाता है; और

(*आठ*) नियम 3 में निर्धारित किसी अन्य अनुषंगी लाभ या सुविधा का मूल्य।

हालाँकि, निम्नलिखित को अनुलाभ के रूप में शामिल नहीं किया गया है,—

(*मैं*) नियोक्ता द्वारा संचालित किसी अस्पताल में किसी कर्मचारी या उसके परिवार के किसी सदस्य को प्रदान की गई किसी भी चिकित्सा उपचार का मूल्य;

(*ii*) कर्मचारी द्वारा अपने चिकित्सा उपचार या अपने परिवार के किसी सदस्य के उपचार पर वास्तव में किए गए किसी व्यय के संबंध में नियोक्ता द्वारा भुगतान की गई कोई राशि -

(ए) सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा संचालित किसी अस्पताल में या सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के चिकित्सा उपचार के प्रयोजनार्थ अनुमोदित किसी अन्य अस्पताल में;

(*बी*) निर्धारित रोगों या व्याधियों के संबंध में, निर्धारित दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित किसी अस्पताल में;

[(*सी*) कोविड-19 से संबंधित किसी भी बीमारी के संबंध में, ऐसी शर्तों के अधीन, जिन्हें केंद्र सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकती है। इसे वित्त अधिनियम, 2022 के माध्यम से संशोधन के रूप में 1-4-2020 से पूर्वव्यापी प्रभाव से सम्मिलित किया गया है और तदनुसार, यह आकलन वर्ष 2020-2021 और उसके बाद के आकलन वर्षों के संबंध में लागू होता है। इन शर्तों को सीबीडीटी अधिसूचना संख्या [एसओ 3703(ई)]90/2022, दिनांक 5-8-2022 द्वारा अधिसूचित किया गया है।

1.3 वेतन के बदले लाभ क्या है ?

अधिनियम की धारा 17(2) के अनुसार, 'वेतन के बदले लाभ' में शामिल हैं:

मैं। करदाता द्वारा अपने नियोक्ता या पूर्व नियोक्ता से उसके रोजगार की समाप्ति या उससे संबंधित नियमों और शर्तों में संशोधन के संबंध में देय या प्राप्त किसी मुआवजे की राशि ;

द्वितीय. करदाता द्वारा प्राप्त या देय कोई भुगतान (धारा 10 के खंड (10), (10ए), (10बी), (11), (12) (13) या (13ए) के अंतर्गत उल्लिखित किसी भुगतान के अलावा) उस सीमा तक जिसमें करदाता द्वारा अंशदान या ऐसे अंशदानों पर ब्याज या किसी कीमैन बीमा पॉलिसी के तहत प्राप्त कोई राशि शामिल नहीं है, जिसमें ऐसी पॉलिसी पर बोनस के रूप में आवंटित राशि भी शामिल है। "कीमैन बीमा पॉलिसी" का वही अर्थ होगा जो धारा 10(10डी) में दिया गया है;

तृतीय. करदाता द्वारा किसी भी व्यक्ति से देय या प्राप्त की गई कोई भी राशि, चाहे एकमुश्त या अन्यथा -

(ए) उस व्यक्ति के साथ कोई रोजगार शुरू करने से पहले; या

(बी) उस व्यक्ति के साथ अपनी नौकरी समाप्त होने के बाद।

2. वित्त अधिनियम, 2022 के अनुसार आयकर की दरें

अर्थात आकलन वर्ष 2023-24) के लिए आयकर की दरें इस प्रकार हैं:

2.1 कर की दरें

क. कर की सामान्य दरें: नीचे पैरा (बी) और (सी) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के अलावा प्रत्येक व्यक्ति के मामले में:

क्र. सं.	कुल आय	कर की दर
1	जहां कुल आय 2,50,000/- रुपये से अधिक न हो।	शून्य;
2	जहां कुल आय 2,50,000/- रुपये से अधिक है, लेकिन 5,00,000/- रुपये से अधिक नहीं है।	कुल आय 2,50,000/- रुपये से अधिक राशि का 5 प्रतिशत;
3	जहां कुल आय 5,00,000/- रुपये से अधिक है, लेकिन 10,00,000/- रुपये से अधिक नहीं है।	12,500/- रुपये तथा कुल आय 5,00,000/- रुपये से अधिक होने पर राशि का 20 प्रतिशत;
4	जहां कुल आय 10,00,000/- रुपये से अधिक हो।	1,12,500/- रुपये तथा कुल आय 10,00,000/- रुपये से अधिक होने पर 30 प्रतिशत राशि।

ख. भारत में निवासी प्रत्येक व्यक्ति के लिए कर की दरें, जो वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय साठ वर्ष या उससे अधिक किन्तु अस्सी वर्ष से कम आयु का हो:

क्रम सं.	कुल आय	कर की दर
1	जहां कुल आय 3,00,000/- रुपये से अधिक न हो	शून्य;

2	जहां कुल आय 3,00,000 रुपये से अधिक है, लेकिन 5,00,000 रुपये से अधिक नहीं है	कुल आय 3,00,000/- रुपये से अधिक राशि का 5 प्रतिशत;
3	जहां कुल आय 5,00,000/- रुपये से अधिक है, लेकिन 10,00,000/- रुपये से अधिक नहीं है	10,000/- रुपये तथा कुल आय 5,00,000/- रुपये से अधिक होने पर राशि का 20 प्रतिशत;
4	जहां कुल आय 10,00,000/- रुपये से अधिक हो	1,10,000/- रुपये और उस राशि का 30 प्रतिशत जिससे कुल आय 10,00,000/- रुपये से अधिक हो

सी. भारत में निवासी प्रत्येक व्यक्ति के मामले में, जो वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक आयु का हो:

क्रम संख्या	कुल आय	कर की दर
1	जहां कुल आय 5,00,000/- रुपये से अधिक न हो	शून्य;
2	जहां कुल आय 5,00,000 रुपये से अधिक है, लेकिन 10,00,000 रुपये से अधिक नहीं है	कुल आय 5,00,000/- रुपये से अधिक राशि का 20 प्रतिशत;
4	जहां कुल आय 10,00,000/- रुपये से अधिक हो	1,00,000/- रुपये तथा कुल आय 10,00,000/- रुपये से अधिक होने पर राशि का 30 प्रतिशत।

2.2 आयकर पर अधिभार

आयकर अधिनियम की धारा 111ए या धारा 112 या धारा 112ए या धारा 115बीएसी के प्रावधानों के अनुसार गणना की गई आयकर की राशि, संघ के प्रयोजनों के लिए एक अधिभार द्वारा बढ़ाई जाएगी, जो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2 के खंड (31) के उप-खंड (*vii*) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार या व्यक्तियों के संघ या व्यक्तियों के निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, या प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति के मामले में गणना की जाएगी -

(ए) कुल आय (लाभांश के रूप में आय या आयकर अधिनियम की धारा 111ए, धारा 112 और धारा 112ए के प्रावधानों के तहत आय सहित) पचास लाख रुपये से अधिक है, लेकिन एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं है, ऐसे आयकर के दस प्रतिशत की दर से;

(*बी*) जिसकी कुल आय (लाभांश के रूप में आय या आयकर अधिनियम की धारा 111ए, धारा 112 और धारा 112ए के प्रावधानों के तहत आय सहित) एक करोड़ रुपये से अधिक है, लेकिन दो करोड़ रुपये से अधिक नहीं है, ऐसे आयकर के पंद्रह प्रतिशत की दर से;

(*सी*) जिसकी कुल आय (लाभांश के रूप में आय या आयकर अधिनियम की धारा 111ए, धारा 112 और धारा 112ए के प्रावधानों के तहत आय को छोड़कर) दो करोड़ रुपये से अधिक है, लेकिन पांच करोड़ रुपये से अधिक नहीं है, ऐसे आयकर के पच्चीस प्रतिशत की दर से;

(*डी*) कुल आय (लाभांश के रूप में आय या आयकर अधिनियम की धारा 111ए, धारा 112 और धारा 112ए के प्रावधानों के तहत आय को छोड़कर) पांच करोड़ रुपये से अधिक है, ऐसे आयकर के पैंतीस प्रतिशत की दर से; और

(*ई*) कुल आय (जिसमें लाभांश के रूप में आय या धारा 111ए, धारा 112 और धारा 112ए के प्रावधानों के तहत आय शामिल है) दो करोड़ रुपये से अधिक है, लेकिन खंड (*सी*) और (*डी*) के तहत कवर नहीं होती है, ऐसे आयकर के पंद्रह प्रतिशत की दर से लागू होगी:

बशर्ते कि जहां कुल आय में लाभांश के रूप में कोई आय या आयकर अधिनियम की धारा 111ए, धारा 112 और धारा 112ए के तहत प्रभार्य आय शामिल है, आय के उस हिस्से के संबंध में गणना की गई आयकर की राशि पर अधिभार की दर पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी:

बशर्ते कि ऊपर वर्णित व्यक्तियों के मामले में जिनकी कुल आय, -

(ए) पचास लाख रुपये से अधिक किन्तु एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं, ऐसी आय पर आयकर और अधिभार के रूप में देय कुल राशि पचास लाख रुपये की कुल आय पर आयकर के रूप में देय कुल राशि से पचास लाख रुपये से अधिक आय की राशि से अधिक नहीं होगी;

(*बी*) एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, किन्तु ऐसी आय पर आयकर और अधिभार के रूप में देय कुल राशि एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आयकर और अधिभार के रूप में देय कुल राशि से अधिक नहीं होगी, जो आय की एक करोड़ रुपए से अधिक राशि से अधिक नहीं होगी;

(*सी*) दो करोड़ रुपये से अधिक नहीं है, लेकिन ऐसी आय पर आयकर और अधिभार के रूप में देय कुल राशि दो करोड़ रुपये की कुल आय पर आयकर और अधिभार के रूप में देय कुल राशि से अधिक नहीं होगी, जो दो करोड़ रुपये से अधिक की आय की राशि से अधिक नहीं होगी;

(*डी*) पांच करोड़ रुपए से अधिक की आय पर आयकर और अधिभार के रूप में देय कुल राशि, पांच करोड़ रुपए की कुल आय पर आयकर और अधिभार के रूप में देय कुल राशि से पांच करोड़ रुपए से अधिक की आय की राशि से अधिक नहीं होगी।

2.3 स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर

लागू अधिभार द्वारा बढ़ाई गई आयकर की राशि में संघ के प्रयोजनों के लिए एक अतिरिक्त अधिभार द्वारा और वृद्धि की जाएगी, जिसे " आयकर पर स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर " कहा जाएगा।

आयकर पर स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर, जहाँ भी लागू हो, अधिभार सहित आयकर के चार प्रतिशत की दर से लगाया जाएगा। ऐसे उपकर के संबंध में कोई सीमांत राहत उपलब्ध नहीं होगी ।

2.4 धारा 115BAC के तहत कर की रियायती दरें

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115BAC को वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2021-22 से सम्मिलित किया गया था। नई धारा 115BAC में प्रावधान है कि किसी व्यक्ति, चाहे वह व्यक्ति हो या हिन्दू अविभाजित परिवार, की कुल आय पर देय आयकर, जो 1 अप्रैल, 2021 को या उसके बाद शुरू होने वाले कर निर्धारण वर्ष से संबंधित किसी भी पिछले वर्ष के लिए हो, ऐसे व्यक्ति के विकल्प पर, नीचे दी गई तालिका में दी गई रियायती दरों पर परिकलित किया जाएगा:

क्रम सं.	कुल आय	कर की दर
1	2,50,000 रुपये तक	शून्य
2	2,50,001 रुपये से 5,00,000 रुपये तक	5 प्रतिशत
3	5,00,001 रुपये से 7,50,000 रुपये तक	10 प्रतिशत
4	7,50,001 रुपये से 10,00,000 रुपये तक	15 प्रतिशत
5	10,00,001 रुपये से 12,50,000 रुपये तक	इसे स्वीकार करो
6	12,50,001 रुपये से 15,00,000 रुपये तक	25 प्रतिशत
7	15,00,000 रुपये से अधिक	30 प्रतिशत

ऐसे व्यक्ति को कर निर्धारण वर्ष से संबंधित पिछले वर्ष के लिए अधिनियम की धारा 139(1) के अंतर्गत प्रस्तुत की जाने वाली आयकर विवरणी के साथ निर्धारित तरीके से विकल्प का प्रयोग करना आवश्यक है। धारा 115BAC के अंतर्गत प्रदान की गई कर की रियायती दरें इस शर्त के अधीन हैं कि व्यक्ति या HUF की कुल आय की गणना धारा 115BAC की उप-धारा (2) के खंड (*i) के अंतर्गत निर्दिष्ट किसी छूट या कटौती के बिना और उक्त धारा की उप-धारा 2 के खंड (ii)* में निर्दिष्ट किसी हानि के समायोजन के बिना की जाएगी । इसके अतिरिक्त, रियायती कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वाले व्यक्ति के मामले में, पैरा 2.2 में निहित आयकर पर अधिभार लागू होगा।

इसके अतिरिक्त, यदि किसी व्यक्ति की आय व्यवसाय या पेशे से होती है, तो उसे अधिनियम की धारा 139 की धारा (1) के अंतर्गत निर्दिष्ट नियत तिथि को या उससे पहले, 1-4-2021 को या उसके बाद प्रारंभ होने वाले कर निर्धारण वर्ष से संबंधित किसी भी पूर्व वर्ष के लिए निर्धारित तरीके से विकल्प का प्रयोग करना होगा और एक बार प्रयोग किया गया ऐसा विकल्प आगामी कर निर्धारण वर्षों पर भी लागू होगा। हालाँकि, ऐसे व्यक्तियों के मामले में, एक बार प्रयोग किया गया विकल्प केवल एक बार ही वापस लिया जा सकता है और ऐसा व्यक्ति तब तक दोबारा विकल्प का प्रयोग करने के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि उस व्यक्ति की व्यवसाय या पेशे से आय समाप्त न हो जाए।

3. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 192 : "वेतन" से स्रोत पर कर कटौती की व्यापक योजना

3.1 कर गणना की विधि

प्रत्येक व्यक्ति जो "वेतन" मद के अंतर्गत देय किसी भी आय का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है, उसे वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए "वेतन" मद के अंतर्गत करदाता की अनुमानित आय पर आयकर की कटौती करनी होगी। आयकर की गणना ऊपर पैरा 2 में दी गई दरों के आधार पर की जानी आवश्यक है, जो अधिनियम की धारा 206AA के अनुसार, पैन या आधार संख्या, जैसा भी मामला हो, प्रस्तुत करने की आवश्यकता से संबंधित प्रावधानों के अधीन है, और प्रत्येक भुगतान के समय धारा 192 के तहत टीडीएस काटा जाएगा। नियोक्ता द्वारा इस प्रकार भुगतान किया गया कर कर्मचारी के वेतन से काटा गया टीडीएस माना जाएगा। यह ध्यान देने योग्य है कि यदि कर्मचारी अधिनियम की धारा 115BAC के अंतर्गत रियायती कर व्यवस्था का विकल्प चुनता है, तो कर देयता समान

नहीं हो सकती है।

अधिनियम की धारा 192(1सी) के अनुसार, कोई व्यक्ति, जो धारा 80-आईएसी में निर्दिष्ट पात्र स्टार्ट-अप है, जो कर निर्धारण वर्ष 2021-22 से संबंधित किसी भी पिछले वर्ष में धारा 17 के खंड (2) के उप-खंड (*vi) में निर्दिष्ट प्रकृति के अनुलाभ के रूप में* करदाता को किसी भी आय का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है और उसके बाद, 14 दिनों के भीतर ऐसी आय पर कर की कटौती या भुगतान, जैसा भी मामला हो, करेगा—

(ए) प्रासंगिक कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति से 48 महीने की समाप्ति के बाद; या

(*बी*) निर्धारिती द्वारा ऐसी निर्दिष्ट प्रतिभूति या स्वेट इक्विटी शेयर की बिक्री की तारीख से ; या

(*सी*) करदाता के उस व्यक्ति का कर्मचारी न रहने की तिथि से ,

जो भी पहले हो, उस वित्तीय वर्ष के लिए लागू दरों के आधार पर जिसमें उक्त निर्दिष्ट प्रतिभूति या स्वेट इक्विटी शेयर आवंटित या हस्तांतरित किया जाता है।

अधिनियम की धारा 115BAC के अंतर्गत कर की रियायती दरों का विकल्प चुनने का इच्छुक कोई भी कर्मचारी , अपने नियोक्ता होने के नाते, कटौतीकर्ता को प्रत्येक पिछले वर्ष के लिए इस आशय की सूचना दे सकता है और ऐसी सूचना मिलने पर, कटौतीकर्ता उसकी कुल आय की गणना करेगा और धारा 115BAC के प्रावधानों के अनुसार उस पर TDS काटेगा। यदि कर्मचारी द्वारा ऐसी सूचना नहीं दी जाती है, तो नियोक्ता अधिनियम की धारा 115BAC के प्रावधानों पर विचार किए बिना TDS काट लेगा। कटौतीकर्ता को दी गई यह सूचना केवल पिछले वर्ष के TDS के उद्देश्य से होगी और उस वर्ष के दौरान इसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। (सीबीडीटी परिपत्र संख्या C1, 2020, दिनांक 13-4-2020)

तथापि, किसी मामले में स्रोत पर कोई कर कटौती करने की आवश्यकता नहीं होगी, जब तक कि अनुलाभों के मूल्य सहित अनुमानित वेतन आय, लागू छूटों, कटौतियों और राहत को लागू करने के बाद कर योग्य न हो। (कर की गणना के कुछ विशिष्ट उदाहरण **अनुलग्नक-I में दिए गए हैं**)।

3.2 नियोक्ता द्वारा अनुलाभों पर कर का भुगतान

"अनुलाभ" को वेतन या मजदूरी के अतिरिक्त किसी पद या पद से जुड़ी किसी भी आकस्मिक पारिश्रमिक या लाभ के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अनुलाभ नकद या वस्तु के रूप में हो सकते हैं, लेकिन वे हमेशा वेतन का ही हिस्सा होंगे।

अनुलाभों को दो भागों में विभाजित किया जाता है: मौद्रिक अनुलाभ और गैर-मौद्रिक अनुलाभ। मौद्रिक अनुलाभ सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य हैं और गैर-मौद्रिक अनुलाभ निर्दिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य हैं। निम्नलिखित कर्मचारियों को निर्दिष्ट कर्मचारी माना जाता है:

(1) एक निदेशक-कर्मचारी

(2) एक कर्मचारी जिसका नियोक्ता-कंपनी में पर्याप्त हित (अर्थात 20% या अधिक मतदान शक्ति वाले इक्विटी शेयरों का लाभकारी स्वामी) हो

(3) ऐसा कर्मचारी जिसकी वेतन के अंतर्गत मौद्रिक आय 50,000 रुपये से अधिक है।

आयकर नियमों के नियम 3 में निर्धारित कुछ विशेष सुविधाओं के मूल्यांकन के विशिष्ट नियमों के आधार पर सुविधाओं का कर योग्य मूल्य निर्धारित किया जा सकता है।

नियोक्ता को कर्मचारी को दिए जाने वाले गैर-मौद्रिक लाभों पर कर का भुगतान करने का विकल्प दिया गया है। नियोक्ता, अपनी इच्छानुसार, कर्मचारी के वेतन से कोई टीडीएस काटे बिना, ऐसे लाभों पर कर का भुगतान स्वयं कर सकता है। अधिनियम की धारा 10(10CC) के अनुसार, नियोक्ता द्वारा ऐसे गैर-मौद्रिक लाभों पर चुकाया गया कर कर्मचारी के हाथ में कर-मुक्त है। हालाँकि, नियोक्ता को उस समय कर का भुगतान करना होगा जब ऐसा कर अन्यथा कटौती योग्य था, अर्थात कर्मचारी को "वेतन" मद के अंतर्गत देय आय के भुगतान के समय।

3.3 औसत आयकर की गणना

उपर्युक्त पैरा 3.2 में उल्लिखित गैर-मौद्रिक अनुलाभों की प्रकृति में किसी भी आय के भुगतान पर कर का भुगतान करने के प्रयोजन के लिए, देय कर का निर्धारण "वेतन" शीर्षक के अंतर्गत प्रभार्य आय पर कर की औसत दर की गणना करके किया जाना है, जिसमें उन अनुलाभों का मूल्य भी शामिल है, जिनके लिए नियोक्ता द्वारा स्वयं कर का भुगतान किया गया है।

चित्रण:

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान साठ वर्ष से कम आयु के कर्मचारी के "वेतन" मद के अंतर्गत प्रभार्य आय 6,00,000/- रुपये (सभी सुविधाओं सहित) है, जिसमें से 50,000/- रुपये गैर-मौद्रिक सुविधाओं के कारण हैं और नियोक्ता उपरोक्त पैरा 3.2 में चर्चा किए गए प्रावधानों के अनुसार ऐसी सुविधाओं पर कर का भुगतान करने का विकल्प चुनता है।

चरण:

सभी सुविधाओं सहित "वेतन" शीर्षक के अंतर्गत प्रभार्य आय	रु. 6,00,000/-
कुल वेतन पर सामान्य दरों के अनुसार कर (उपकर सहित)	रु. 33,800/-
कर की औसत दर [(33,800/6,00,000) X100]	5.63%
50,000 रुपये पर देय कर (50,000 का 5.63%)	2815 रुपये
प्रत्येक माह जमा की जाने वाली आवश्यक राशि	235 रुपये = 2815/12

नियोक्ता द्वारा इस प्रकार भुगतान किया गया कर, कर्मचारी के वेतन से काटा गया टी.डी.एस. माना जाएगा।

3.4 एक से अधिक नियोक्ताओं से वेतन

धारा 192(2) उन स्थितियों से संबंधित है जहाँ कोई व्यक्ति एक से अधिक नियोक्ताओं के अधीन काम कर रहा हो या एक नियोक्ता से दूसरे नियोक्ता में स्थानांतरित हो गया हो। यह ऐसे नियोक्ता (जैसा कि करदाता/कर्मचारी चुन सकता है) द्वारा उस कर्मचारी के कुल वेतन से स्रोत पर कर की कटौती का प्रावधान करता है, जो एक से अधिक नियोक्ताओं से वेतन प्राप्त कर रहा हो या प्राप्त करता रहा हो। अब कर्मचारी को वर्तमान/चुने हुए नियोक्ता को पूर्व/अन्य नियोक्ता से प्राप्त या देय "वेतन" शीर्षक के अंतर्गत आय का विवरण और उस पर स्रोत पर काटे गए कर का विवरण लिखित रूप में और उसके और पूर्व/अन्य नियोक्ता द्वारा विधिवत सत्यापित रूप में प्रस्तुत करना होगा। वर्तमान/चुने हुए नियोक्ता को वेतन की कुल राशि (पूर्व या अन्य नियोक्ता से प्राप्त वेतन सहित) पर स्रोत पर कर की कटौती करनी होगी।

3.5 बकाया या अग्रिम वेतन भुगतान पर राहत

3.5.1 अधिनियम की धारा 89 ऐसे करदाता को राहत प्रदान करती है जिसे बकाया या अग्रिम वेतन का भुगतान किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप उसकी कुल आय उस दर से अधिक निर्धारित की जाती है जिस पर अन्यथा निर्धारित की जाती। ऐसा करदाता कर निर्धारण अधिकारी को आवेदन कर सकता है जो निर्धारित तरीके से राहत प्रदान करेगा। नियमों का नियम 21A ऐसी राहत की गणना का तरीका प्रदान करता है।

3.5.2 धारा 192(2ए) के अंतर्गत, जहाँ करदाता , सरकारी कर्मचारी या किसी कंपनी, सहकारी समिति, स्थानीय प्राधिकरण, विश्वविद्यालय, संस्था, संघ या निकाय का कर्मचारी होने के नाते, धारा 89 के अंतर्गत राहत का हकदार है, वह पैरा (3.1) में निर्दिष्ट भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को, उसके द्वारा विधिवत सत्यापित फॉर्म संख्या 10ई (आयकर नियमों का नियम 21एए) में ऐसे विवरण प्रस्तुत कर सकता है, और उसके बाद, जैसा कि पूर्वोक्त है, उत्तरदायी व्यक्ति ऐसे विवरणों के आधार पर राहत की गणना करेगा और उपरोक्त पैरा (3.1) के अंतर्गत कटौती करते समय उसे ध्यान में रखेगा। इसके अतिरिक्त, ऐसा करदाता आयकर रिटर्न के साथ ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपरोक्त फॉर्म 10ई को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपलोड करेगा।

3.5.3 यहां "विश्वविद्यालय" से तात्पर्य किसी केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित या निगमित विश्वविद्यालय से है, तथा इसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत उस अधिनियम के प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय घोषित संस्थान भी शामिल है।

3.5.4 1/04/2010 (एवाई 2010-11) से, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की किसी योजना या योजनाओं के अनुसार या धारा 10(10सी)(*i) (नियम 2बीए के साथ पढ़ें)* में निर्दिष्ट सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के मामले में, स्वैच्छिक पृथक्करण की किसी योजना के अनुसार, किसी करदाता द्वारा उसकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या उसकी सेवा की समाप्ति पर प्राप्त या प्राप्य किसी भी राशि के संबंध में ऐसी कोई राहत प्रदान नहीं की जाएगी, यदि करदाता द्वारा ऐसे या किसी अन्य कर निर्धारण वर्ष के संबंध में धारा 10(10सी) के तहत ऐसी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या उसकी सेवा की समाप्ति या स्वैच्छिक पृथक्करण पर प्राप्त या प्राप्य किसी भी राशि के संबंध में छूट का दावा किया गया है।

3.6 किसी अन्य शीर्ष के अंतर्गत आय से संबंधित जानकारी

धारा 192(2बी) करदाता को उसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त "वेतन" ('गृह संपत्ति से आय' शीर्षक के अंतर्गत हानि के अतिरिक्त किसी अन्य शीर्षक के अंतर्गत हानि न हो) के अलावा किसी अन्य शीर्षक के अंतर्गत आय और उस पर स्रोत पर काटे गए किसी भी कर का विवरण प्रस्तुत करने का अधिकार देती है। अब ये विवरण एक साधारण विवरण में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जिस पर करदाता द्वारा नियम 26 बी(2) के अंतर्गत निर्धारित तरीके से उचित रूप से हस्ताक्षर और सत्यापन किया जाएगा और उसे साधारण विवरण के साथ संलग्न किया जाएगा। सत्यापन का प्रपत्र निम्नानुसार है:

करदाता का नाम), घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर जो कुछ कहा गया है वह मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

यह दोहराया जाता है कि डीडीओ केवल "गृह संपत्ति से आय" शीर्षक के अंतर्गत होने वाले नुकसान को ही ध्यान में रख सकता है। डीडीओ द्वारा कटौती की जाने वाली कर राशि की गणना के लिए किसी अन्य शीर्षक के अंतर्गत होने वाले नुकसान पर विचार नहीं किया जा सकता है। यह ध्यान देने योग्य है कि वित्त अधिनियम, 2017 द्वारा अधिनियम की धारा 71 में संशोधन के मद्देनजर, "गृह संपत्ति से आय" शीर्षक के अंतर्गत होने वाले नुकसान को किसी अन्य आय शीर्षक के अंतर्गत होने वाली आय के साथ केवल 2.00 लाख रुपये तक ही समायोजित किया जा सकता है। इसलिए, कर कटौती की राशि की गणना के लिए "गृह संपत्ति से आय" शीर्षक के अंतर्गत 2.00 लाख रुपये से अधिक के नुकसान को नज़रअंदाज़ किया जाना है।

3.7 "गृह संपत्ति से आय" शीर्षक के अंतर्गत आय की गणना

धारा 192(2डी) भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को निर्धारित दावों के साक्ष्य या प्रमाण प्राप्त करने का अधिकार देती है, जिसमें हानि के समायोजन का दावा भी शामिल है। गृह संपत्ति से होने वाले नुकसान को ध्यान में रखते हुए, डीडीओ यह सुनिश्चित करेगा कि कर्मचारी ऊपर उल्लिखित घोषणा पत्र दाखिल करे और उसके साथ गृह संपत्ति से हुए नुकसान की गणना संलग्न करे। नियोक्ता द्वारा "गृह संपत्ति से आय" शीर्षक के अंतर्गत दावा किए गए नुकसान के संबंध में प्रत्येक गृह संपत्ति के लिए अलग से निम्नलिखित विवरण प्राप्त करके रखे जाएँगे:

(ए) सकल वार्षिक किराया/मूल्य

(*बी*) भुगतान किए गए नगरपालिका कर, यदि कोई हों

(*सी*) भुगतान किए गए ब्याज के लिए दावा की गई कटौती, यदि कोई हो

(डी) अन्य कटौतियों का दावा

(ई) संपत्ति का पता

डीडीओ को धारा 192 (2डी) के साथ पठित नियम 26सी में निर्दिष्ट ब्याज की कटौती के संबंध में फॉर्म संख्या 12बीबी में साक्ष्य या विवरण प्रस्तुत करना भी सुनिश्चित करना होगा।

3.7.1 गृह संपत्ति से आय की गणना के लिए उधार ली गई पूंजी पर ब्याज की कटौती के दावे की शर्तें [धारा 24(*बी*)]

अधिनियम की धारा 24(*बी) उधार ली गई पूंजी पर ब्याज पर आवास संपत्ति से आय में कटौती की अनुमति देती है* :

मैं। यह कटौती केवल उस गृह संपत्ति के मामले में ही दी जाती है जो कर्मचारी के स्वामित्व में हो और कर्मचारी के अपने निवास के लिए उसके कब्जे में हो। यदि कर्मचारी का रोजगार स्थान किसी अन्य स्थान पर होने के कारण गृह संपत्ति पर उसका कब्जा नहीं है, तो उस अन्य स्थान पर उसका निवास उसके स्वामित्व वाले भवन में नहीं होना चाहिए।

ii. नीचे दी गई तालिका के अनुसार कटौती की मात्रा अनुमत है:

क्रम संख्या	पूंजी उधार लेने का उद्देश्य	पूंजी उधार लेने की तिथि	अधिकतम स्वीकार्य कटौती
1	घर की मरम्मत या नवीनीकरण या पुनर्निर्माण	किसी भी समय	रु. 30,000/-
2	घर का अधिग्रहण या निर्माण	1-4-1999 से पहले	रु. 30,000/-
3	घर का अधिग्रहण या निर्माण	1-4-1999 को या उसके बाद	रु. 1,50,000/- (निर्धारण वर्ष 2014-15 तक) रु. 2,00,000/- (आयु वर्ष 2015-16 से प्रभावी)
4	उपरोक्त तालिका के क्रम 1 और क्रम 3 की कुल कटौती वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2,00,000/- रुपये से अधिक नहीं होगी।		

उपरोक्त क्रमांक 3 के मामले में:

(ए) मकान का अधिग्रहण या निर्माण उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 5 वर्षों के भीतर पूरा होना चाहिए जिसमें पूंजी उधार ली गई थी। इसलिए, डीडीओ के पास उस मकान की संपत्ति का पूर्णता प्रमाण पत्र होना आवश्यक है जिसके विरुद्ध कटौती का दावा बिल्डर से या कर्मचारी द्वारा स्व-घोषणा के माध्यम से किया जाता है।

(*बी*) तक के लिए कोई भी पूर्व अवधि ब्याज (अधिनियम की किसी अन्य धारा के तहत कटौती के रूप में अनुमत ब्याज के किसी भी हिस्से से कम) संबंधित वित्तीय वर्ष और उसके बाद के चार वित्तीय वर्षों के लिए समान किस्तों में काटा जाएगा।

(*सी*) कर्मचारी को डीडीओ के समक्ष उस व्यक्ति से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसे उधार ली गई पूंजी पर ब्याज देय है, जिसमें देय ब्याज की राशि का उल्लेख हो। यदि पहले लिए गए ऋण को चुकाने के लिए नया ऋण लिया जाता है, तो प्रमाण पत्र में चुकाए गए ऋण के मूलधन और ब्याज का विवरण भी दर्शाया जाना चाहिए।

जैसा कि पैरा 4.6.5 में चर्चा की गई है, नियम 26सी के साथ धारा 192(2डी) डीडीओ के लिए कटौती योग्य ब्याज के संबंध में निम्नलिखित विवरण/साक्ष्य प्राप्त करना अनिवार्य बनाती है।

(*मैं*) देय या भुगतान किया गया ब्याज

(*ii*) ऋणदाता का नाम

(*iii*) ऋणदाता का पता

(*iv*) ऋणदाता का पैन या आधार नंबर

यदि कर्मचारी के पास पैन या आधार नंबर उपलब्ध है, तो ऋणदाता, चाहे वह वित्तीय संस्थान हो या नियोक्ता, को प्रदान किया जाना चाहिए। हालाँकि, अन्य ऋणदाताओं के मामले में, डीडीओ द्वारा पैन या आधार नंबर प्राप्त करना अनिवार्य है।

3.8 कटौती की अधिकता या कमी के लिए समायोजन

धारा 192(3) के प्रावधान कटौतीकर्ता को वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी पिछली कटौती या कटौती करने में विफलता से उत्पन्न कर कटौती में किसी भी अतिरिक्त या कमी के लिए समायोजन करने की अनुमति देते हैं।

3.9 विदेशी मुद्रा में भुगतान किया गया वेतन

विदेशी मुद्रा में देय वेतन पर कर की कटौती के प्रयोजनों के लिए, ऐसे वेतन का रुपए में मूल्य उस मुद्रा की "टेलीग्राफिक ट्रांसफर खरीद दर" पर उस तिथि को परिकलित किया जाएगा, जिस तिथि को स्रोत पर कर की कटौती अपेक्षित है (नियम 26 और नियम 115 देखें)।

कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति और उनके कर्तव्य

अधिनियम की धारा 204 "भुगतान के लिए उत्तरदायी व्यक्ति" पद का अर्थ स्पष्ट करती है। धारा 204 के खंड (*i*) के अनुसार, वेतन के भुगतान के मामले में, केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले भुगतानों के अलावा, धारा 192 के प्रयोजन के लिए "भुगतान के लिए उत्तरदायी व्यक्ति" का अर्थ स्वयं नियोक्ता या यदि नियोक्ता कोई कंपनी है, तो स्वयं कंपनी, जिसमें उसका प्रधान अधिकारी भी शामिल है, से है।

iv) के अनुसार , यदि अधिनियम के तहत प्रभार्य किसी राशि का भुगतान या क्रेडिट, जैसा भी मामला हो, केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से किया जाता है, तो आहरण और संवितरण अधिकारी या किसी भी नाम से पुकारा जाने वाला कोई अन्य व्यक्ति, जो जमा करने के लिए जिम्मेदार है, या जैसा भी मामला हो, ऐसी राशि का भुगतान धारा 192 के प्रयोजन के लिए "भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति" है।

v) के अनुसार , भारत में निवासी न होने वाले व्यक्ति के मामले में, "भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति" का अर्थ है वह व्यक्ति स्वयं या ऐसे व्यक्ति द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति या भारत में ऐसे व्यक्ति का एजेंट, जिसमें धारा 163 के तहत एजेंट के रूप में माना जाने वाला कोई भी व्यक्ति शामिल है।

4.1 स्रोत पर कर कटौती

स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) की अवधारणा आय के स्रोत से कर एकत्र करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इस अवधारणा के अनुसार, कोई व्यक्ति (कटौतीकर्ता) जो किसी अन्य व्यक्ति (कटौतीकर्ता) को निर्दिष्ट प्रकार का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, स्रोत पर कर की कटौती करेगा और उसे केंद्र सरकार के खाते में जमा करेगा। जिस कटौतीकर्ता की आय से स्रोत पर कर की कटौती की गई है, वह फॉर्म 26AS या कटौतीकर्ता द्वारा जारी टीडीएस प्रमाणपत्र के आधार पर कटौती की गई राशि का क्रेडिट पाने का हकदार होगा ।

4.1.2 स्रोत पर कर कटौती की दरें

धारा 192 में कोई टीडीएस दर निर्दिष्ट नहीं है। हालाँकि, धारा 192 के अनुसार, कर कटौती देय राशि पर आयकर की औसत दर से की जाएगी, जिसकी गणना उस वित्तीय वर्ष के लिए लागू दरों के आधार पर, उस वित्तीय वर्ष के वेतन मद में अनुमानित आय पर की जाएगी। विभिन्न आय स्लैब के अनुसार दरें वित्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट हैं। अनिवासी व्यक्तियों को भुगतान के मामले में, दोहरे कराधान परिहार समझौतों के तहत निर्दिष्ट कर कटौती दरों पर भी विचार किया जाएगा।

4.2 शून्य या कम दर पर कर की कटौती

यदि नियोक्ता का क्षेत्राधिकार प्राप्त टीडीएस अधिकारी, कर्मचारी द्वारा फॉर्म संख्या 13 में उसके समक्ष प्रस्तुत आवेदन के प्रत्युत्तर में, अधिनियम की धारा 197 के अंतर्गत कर की कोई कटौती नहीं या कम कटौती का प्रमाण पत्र जारी करता है, तो डीडीओ को ऐसे प्रमाण पत्र को ध्यान में रखना चाहिए और उसमें उल्लिखित दरों पर देय वेतन पर कर की कटौती करनी चाहिए। (नियम 28एए देखें)। प्रमाण पत्र की विशिष्ट पहचान संख्या को टीडीएस के त्रैमासिक विवरण (फॉर्म 24क्यू) में दर्ज करना आवश्यक है।

4.3 काटे गए कर का जमा

अधिनियम की धारा 200 के अनुसार, किसी भी राशि की कटौती करने के लिए उत्तरदायी किसी भी व्यक्ति को निर्धारित समय के भीतर, कटौती की गई राशि केंद्र सरकार के खाते में जमा करनी होगी। नियम 30, स्रोत पर काटे गए कर के केंद्र सरकार के खाते में भुगतान का समय और तरीका निर्धारित करता है।

4.3.1 टीडीएस भुगतान की नियत तिथियां

केंद्र सरकार के खाते में टीडीएस के भुगतान/जमा का निर्धारित समय निम्नानुसार है:

सरकारी कार्यालय द्वारा कटौती के मामले में:

क्रम सं.	विवरण	वह समय सीमा जिसके भीतर काटा गया कर जमा किया जाना है
1	चालान के बिना जमा किया गया कर [बुक एंट्री]	एक ही दिन
2	चालान के साथ जमा किया गया कर	अगले महीने की 7 तारीख
3	नियोक्ता द्वारा जमा किये जाने वाले अनुलाभों पर कर।	अगले महीने की 7 तारीख

सरकारी कार्यालय के अलावा अन्य कटौतीकर्ता द्वारा कटौती के मामले में

क्रम सं.	विवरण	जमा करने की अंतिम तिथि.
1	मार्च में कर कटौती	अगले वित्तीय वर्ष की 30 अप्रैल
2	किसी अन्य महीने में काटा गया कर	अगले महीने की 7 तारीख
3	नियोक्ता द्वारा जमा किए जाने वाले अनुलाभों पर कर	अगले महीने की 7 तारीख

नियम 30(3) के अनुसार, संयुक्त आयकर आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से एक मूल्यांकन अधिकारी, नीचे दी गई तालिका में निर्दिष्ट तिथियों पर वित्तीय वर्ष की तिमाहियों के लिए धारा 192 के तहत टीडीएस के त्रैमासिक भुगतान की अनुमति दे सकता है:

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष की तिमाही समाप्त हो गई	त्रैमासिक भुगतान की तिथि
1	30 जून	7 जुलाई
2	30 सितंबर	7 अक्टूबर
3	31 दिसंबर	7 जनवरी
4	31 मार्च	अगले वित्तीय वर्ष की 30 अप्रैल

4.4 टीडीएस भुगतान का तरीका

धारा 200 (2ए) के तहत बुक एंट्री द्वारा टीडीएस के भुगतान के मामले में पीएओ, ट्रेजरी अधिकारी आदि द्वारा विवरण दाखिल करना अनिवार्य है।

सरकार के किसी कार्यालय के मामले में, जहां चालान [बुक एंट्री] प्रस्तुत किए बिना केंद्रीय सरकार के खाते में कर का भुगतान किया गया है, वेतन और लेखा अधिकारी या कोषागार अधिकारी या चेक आहरण और संवितरण अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति, चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाए, जिसे कटौतीकर्ता काटे गए कर के बारे में रिपोर्ट करता है और जो केंद्रीय सरकार के खाते में ऐसी राशि जमा करने के लिए जिम्मेदार है, -

(ए) जहां विवरण मार्च माह से संबंधित है, वहां धारा 200 (2ए) के अंतर्गत फॉर्म संख्या 24जी में विवरण अप्रैल की 30 तारीख को या उससे पहले प्रस्तुत करना; तथा किसी अन्य मामले में, कटौतीकर्ताओं द्वारा काटे गए कर और उस माह के लिए उन्हें रिपोर्ट किए गए कर के संबंध में प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) [वर्तमान में मेसर्स नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड द्वारा प्रबंधित टीआईएन सुविधा केंद्र] द्वारा प्राधिकृत एजेंसी को प्रासंगिक माह की समाप्ति से 15 दिन पहले प्रस्तुत करना; तथा

(*बी*) एजेंसी द्वारा जनित संख्या (जिसे आगे बही पहचान संख्या या बीआईएन कहा जाएगा) उन सभी कटौतीकर्ताओं को सूचित करें जिनके खाते में कटौती की गई राशि जमा की गई है। बीआईएन में फॉर्म 24जी की रसीद संख्या, फॉर्म संख्या 24जी में डीडीओ अनुक्रम संख्या और कर जमा करने की तिथि शामिल होती है।

फॉर्म 24जी में विवरण डिजिटल हस्ताक्षर के तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप से या फॉर्म 27ए में सत्यापन के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा।

यदि वेतन एवं लेखा अधिकारी या कोषागार अधिकारी या चेक आहरण एवं संवितरण अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति, चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाता हो, जैसा कि ऊपर बताया गया है, धारा 200(2ए) के अंतर्गत निर्धारित समय के भीतर विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो उसे धारा 272ए(2)(*एम*) के अंतर्गत जुर्माने के रूप में 500/- रुपये प्रति दिन की दर से भुगतान करना होगा, जिस दौरान यह विफलता जारी रहती है। हालाँकि, ऐसे जुर्माने की राशि स्रोत पर कटौती योग्य कर की राशि से अधिक नहीं होगी।

फॉर्म 24G भरने की प्रक्रिया **अनुबंध III में विस्तृत रूप से दी गई है। पीएओ/डीडीओ को सही प्रक्रिया समझने के लिए अनुबंध IV** में दिए गए FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न) को ध्यान से पढ़ना चाहिए। केंद्र सरकार के मंत्रालयों के ZAO/PAO मासिक आधार पर फॉर्म संख्या 24G भरने के लिए ज़िम्मेदार हैं। राज्य सरकार के विभागों के मामले में फॉर्म संख्या 24G भरने के लिए ज़िम्मेदार व्यक्ति का नाम **अनुबंध V में दिया गया है** ।

4.4.2 आयकर चालान द्वारा भुगतान

(*मैं*) यदि भुगतान आयकर चालान द्वारा किया जाता है, तो कटौती की गई कर की राशि, ऊपर पैरा 4.3.1 में तालिका में निर्दिष्ट समय के भीतर, भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या किसी प्राधिकृत बैंक की किसी शाखा में प्रेषित करके केन्द्रीय सरकार के खाते में

जमा कर दी जाएगी;

(*ii*) किसी कंपनी और किसी व्यक्ति (कंपनी के अलावा) के मामले में, जिस पर धारा 44एबी के प्रावधान लागू होते हैं, कटौती की गई राशि इलेक्ट्रॉनिक रूप से भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या किसी प्राधिकृत बैंक में इलेक्ट्रॉनिक आयकर चालान के साथ भेजी जाएगी (नियम 125)।

यदि राशि निम्नलिखित माध्यम से प्रेषित की जाती है, तो राशि को भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या किसी प्राधिकृत बैंक को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित माना जाएगा:

(ए) भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या किसी प्राधिकृत बैंक की इंटरनेट बैंकिंग सुविधा; या

(*बी*) डेबिट कार्ड (नियम 30(7))

4.5 ब्याज, जुर्माना और कटौती किए गए कर को जमा न करने पर अभियोजन

4.5.1 यदि कोई व्यक्ति स्रोत पर कर का पूरा या उसका कोई भाग काटने में विफल रहता है, या कटौती करने के बाद निर्धारित समय के भीतर कर का पूरा या उसका कोई भाग केंद्र सरकार के खाते में जमा करने में विफल रहता है, तो उसे धारा 201 के प्रावधानों के अनुसार ऐसे कर के संबंध में चूककर्ता करदाता माना जाएगा और अधिनियम की धारा 221 के तहत दंडात्मक कार्रवाई का भी भागी होगा। इसके अतिरिक्त धारा 201(1ए) में प्रावधान है कि ऐसा व्यक्ति ऐसे कर की राशि पर उस तिथि से, जिस दिन ऐसा कर कटौती योग्य था, उस तिथि तक, जिस दिन ऐसा कर काटा जाता है, प्रत्येक माह या महीने के भाग के लिए एक प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा; और ऐसे कर की राशि पर उस तिथि से, जिस दिन ऐसा कर काटा गया था, उस तिथि तक, जिस दिन ऐसा कर वास्तव में चुकाया जाता है, प्रत्येक माह या महीने के भाग के लिए डेढ़ प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। ऐसा ब्याज धारा 200 की उपधारा (3) के प्रावधानों के अनुसार विवरण प्रस्तुत करने से पहले भुगतान किया जाएगा।

4.5.2 यदि कोई व्यक्ति, जिसमें कंपनी का प्रधान अधिकारी भी शामिल है, भुगतानकर्ता को भुगतान की गई राशि या भुगतानकर्ता के खाते में जमा की गई राशि पर कर का पूरा या उसका कोई भाग काटने में विफल रहता है, लेकिन धारा 201 की उपधारा (1) के प्रथम परंतुक के अंतर्गत चूककर्ता करदाता नहीं माना जाता है, तो ब्याज उस तिथि से, जिस तिथि को ऐसा कर कटौती योग्य था, ऐसे भुगतानकर्ता द्वारा आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की तिथि तक देय होगा।

4.5.3 जहां धारा 201 की उपधारा (1) के तहत चूक के लिए मूल्यांकन अधिकारी द्वारा आदेश दिया जाता है, वहां व्यक्ति द्वारा ऐसे आदेश के अनुसार ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

4.5.4 धारा 271सी में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति स्रोत पर कर की पूरी या उसके किसी भाग की कटौती करने में विफल रहता है या धारा 194बी के प्रावधान के तहत कर की पूरी या उसके भाग की अदायगी करने में विफल रहता है, तो उसे जुर्माने के रूप में उसके द्वारा न काटे गए या अदा किए गए कर की राशि के बराबर राशि का भुगतान करना होगा।

4.5.5 इसके अतिरिक्त, धारा 276बी में यह प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति निर्धारित समय के भीतर, जैसा कि ऊपर बताया गया है, स्रोत पर उसके द्वारा काटा गया कर या धारा 194बी के प्रावधान के तहत उसके द्वारा देय कर का भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसे कम से कम तीन महीने के कठोर कारावास से, जो सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा, दंडित किया जाएगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा।

4.6 कटौती किए गए कर के लिए प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना (धारा 203)

4.6.1 धारा 203 के अनुसार, डीडीओ को कर्मचारी को फॉर्म 16 में एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है जिसमें टीडीएस की राशि और कुछ अन्य विवरण शामिल हों। नियम 31 के अनुसार, कर्मचारी को फॉर्म 16 उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद 15 जून तक प्रस्तुत करना होगा जिसमें आय का भुगतान किया गया था और कर कटौती की गई थी। पेंशन भुगतान के समय कर काटने वाले बैंकों को भी ऐसे प्रमाणपत्र जारी करने होंगे।

4.6.2 फॉर्म 16 में प्रमाण पत्र में निम्नलिखित निर्दिष्ट किया जाएगा:

(ए) कटौतीकर्ता का वैध स्थायी खाता संख्या (पैन) या आधार संख्या, जैसा भी मामला हो ;

(*बी*) कटौतीकर्ता का वैध कर कटौती और संग्रहण खाता संख्या (टीएएन) ;

(*सी*) (*i*) पुस्तक पहचान संख्या या संख्या (बीआईएन) जहां कटौती किए गए कर को सरकारी कार्यालय के मामले में चालान प्रस्तुत किए बिना जमा किया जाता है;

(*ii*) बैंक के माध्यम से भुगतान के मामले में चालान पहचान संख्या या संख्या (सीआईएन*)।

(*सीआईएन का अर्थ है वह संख्या जिसमें उस बैंक शाखा का मूल सांख्यिकीय रिटर्न (बीएसआर) कोड शामिल है जहां कर जमा किया गया है, वह तारीख जिस पर कर जमा किया गया है और बैंक द्वारा दिया गया चालान सीरियल नंबर।)

(*डी*) टीडीएस (24Q) के सभी प्रासंगिक त्रैमासिक विवरणों की रसीद संख्याएँ। त्रैमासिक विवरण की रसीद संख्या 8 अंकों की होती है ।

परिपत्र 04/2013 के अनुसार, सभी कटौतीकर्ता (जिनमें बुक एंट्री के माध्यम से केंद्र सरकार के खाते में टीडीएस जमा करने वाले सरकारी कटौतीकर्ता भी शामिल हैं) अध्याय XVII-B की धारा 192 के प्रावधानों के अंतर्गत 1 अप्रैल, 2012 को या उसके बाद काटी गई सभी राशियों के संबंध में, फॉर्म संख्या 16 का भाग A तैयार करके, उसे TRACES पोर्टल के माध्यम से डाउनलोड करके और विधिवत प्रमाणित और सत्यापित करने के बाद जारी करेंगे। फॉर्म संख्या 16 के भाग A में एक विशिष्ट टीडीएस प्रमाणपत्र संख्या होगी। कटौतीकर्ता , ट्रेसेस वेबसाइट से फॉर्म संख्या 16 का 'भाग B (अनुलग्नक)' तैयार करेगा और उचित प्रमाणीकरण और सत्यापन के बाद, फॉर्म संख्या 16 के भाग A के साथ कटौतीकर्ता को जारी करेगा ।

4.6.4 कृपया ध्यान दें कि नई टीडीएस प्रक्रिया के तहत, कटौतीकर्ता का टीएएन/ कटौती प्राप्तकर्ता का पैन या आधार नंबर और कटौतीकर्ता द्वारा दाखिल टीडीएस विवरण की रसीद संख्या, कटौती प्राप्तकर्ता को टीडीएस ऑनलाइन क्रेडिट प्रदान करने के लिए विशिष्ट पहचानकर्ता के रूप में कार्य करती है । इसलिए, इन विवरणों को भरते समय उचित सावधानी बरती जानी चाहिए। टीडीएस विवरण में सही सीआईएन/बीआईएन दर्शाने में भी उचित सावधानी बरती जानी चाहिए।

4.6.5 यदि डीडीओ धारा 203 के अनुसार संबंधित व्यक्ति को ये प्रमाणपत्र जारी करने में विफल रहता है, तो उसे धारा 272ए(2)(*जी*) के अंतर्गत जुर्माने के रूप में 500/- रुपये प्रतिदिन की राशि का भुगतान करना होगा, जब तक कि यह विफलता जारी रहे। हालाँकि, जुर्माने की राशि स्रोत पर कटौती योग्य कर की राशि से अधिक नहीं होगी।

तथापि, यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि स्रोत पर कर छूट और कटौती के दावों के आधार पर कटौती योग्य नहीं है/कटौती की गई है तो टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करने की कोई बाध्यता नहीं है।

4.6.6 *सीबीडीटी* अधिसूचना 36/2019, दिनांक 12-4-2019 के तहत , आयकर (तृतीय संशोधन नियम), 2019 अधिसूचित किए गए, जिसमें आयकर नियमों के परिशिष्ट-II के अंतर्गत फॉर्म 16 के 'भाग-बी (**अनुलग्नक)' को संशोधित किया गया। 2-9-2021 को** *अधिसूचित आयकर (26वां संशोधन) नियम, 2021 के तहत फॉर्म 16 को और संशोधित किया गया है। संशोधित फॉर्म 16* इस टीडीएस परिपत्र के **अनुलग्नक XI** में दिया गया है ।

4.6.7 संशोधित फॉर्म 16 भरते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखें:

1. यदि कर का भुगतान आयकर चालान प्रस्तुत किए बिना किया जाता है तो सरकारी कटौतीकर्ताओं को भाग ए की मद 1 में सूचना भरनी होगी, तथा यदि कर का भुगतान आयकर चालान के साथ किया जाता है तो भाग ए की मद 2 में सूचना भरनी होगी।
2. गैर-सरकारी कटौतीकर्ताओं को भाग ए के मद II में जानकारी भरनी है।
3. कटौतीकर्ता को करदाता के टीडीएस विवरण के संबंध में क्षेत्राधिकार रखने वाले आयकर आयुक्त (टीडीएस) का पता प्रस्तुत करना होगा ।
4. यदि कोई करदाता वर्ष के दौरान केवल एक नियोक्ता के अधीन नियोजित है, तो वित्तीय वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए जारी किए गए फॉर्म संख्या 16 में प्रमाण पत्र में वित्तीय वर्ष की सभी तिमाहियों के लिए कटौती और जमा किए गए कर का विवरण शामिल होगा।
5. (*i*) यदि कोई करदाता वर्ष के दौरान एक से अधिक नियोक्ताओं के अधीन नियोजित है, तो प्रत्येक नियोक्ता उस अवधि से संबंधित फॉर्म संख्या 16 में प्रमाण पत्र का भाग ए जारी करेगा जिसके लिए ऐसा करदाता प्रत्येक नियोक्ता के पास नियोजित था।

   (*ii*) फॉर्म संख्या 16 में प्रमाण पत्र का भाग बी (**अनुलग्नक-I**) प्रत्येक नियोक्ता या अंतिम नियोक्ता द्वारा करदाता के विकल्प पर जारी किया जा सकता है ।

   (*iii*) फॉर्म 16 में प्रमाण पत्र का भाग बी (**अनुलग्नक-II**) निर्दिष्ट बैंक द्वारा निर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक को जारी किया जा सकता है (अधिनियम की धारा 194पी देखें)।
6. कटौतीकर्ता के संबंध में जमा किए गए कर के कॉलम में , कर, अधिभार और स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर की कुल राशि प्रस्तुत करें ।
7. कटौतीकर्ता को कर्मचारी को भाग बी (**अनुलग्नक) प्रस्तुत करने से पहले मद संख्या 2(** एफ) और 10(के *)* में, जहां उपलब्ध हो, विवरण विधिवत भरना होगा।
8. यदि कोई करदाता वर्ष के दौरान एक से अधिक नियोक्ताओं द्वारा नियोजित है, तो प्रत्येक नियोक्ता को फॉर्म संख्या 16 में प्रमाण पत्र का भाग ए जारी करना होगा, जो उस अवधि से संबंधित होगा जिसके लिए ऐसा करदाता प्रत्येक नियोक्ता के पास नियोजित था और भाग बी प्रत्येक नियोक्ता या करदाता के विकल्प पर अंतिम नियोक्ता द्वारा जारी किया जा सकता है ।
9. टीडीएस प्रमाणपत्र (फॉर्म 16) केवल तभी तैयार किया जाएगा जब कटौतीकर्ता द्वारा चौथी तिमाही में दाखिल किए गए फॉर्म 24Q के अनुलग्नक II में वैध पैन या आधार संख्या, जैसा भी मामला हो, सही ढंग से उल्लिखित हो। इसके अलावा, नियोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे फॉर्म 16 में यह सुनिश्चित करें कि "फॉर्म 24G/OLTAS" के संबंध में "मिलान" की स्थिति 'F' हो। यदि मिलान की स्थिति 'F' के अलावा अन्य है, तो कृपया उसे सुधारने के लिए तुरंत आवश्यक कार्रवाई करें। यहाँ यह उल्लेख करना उचित

है कि कटौतीकर्ताओं को वेबसाइट www.tdscpc.gov.in/ पर कुछ सुविधाएँ प्रदान की गई हैं, जिनमें विवरणों में ऑनलाइन सुधार (फॉर्म 24Q) शामिल है।

[नोट: TRACES आयकर विभाग का एक वेब-आधारित एप्लिकेशन है जो टीडीएस प्रशासन से जुड़े सभी हितधारकों के लिए एक इंटरफ़ेस प्रदान करता है। यह चालान की स्थिति देखने, एनएसडीएल कंसो फाइल, औचित्य रिपोर्ट और फॉर्म 16/16A डाउनलोड करने के साथ-साथ वार्षिक कर क्रेडिट विवरण (फॉर्म 26AS) देखने में सक्षम बनाता है। प्रत्येक कटौतीकर्ता को ट्रेसेस पोर्टल पर पंजीकरण कराना आवश्यक है। कटौतीकर्ताओं को जारी किया जाने वाला फॉर्म 16/16A अनिवार्य रूप से ट्रेसेस पोर्टल से ही तैयार और डाउनलोड किया जाना चाहिए।]

4.6.8 फॉर्म 24Q में विवरण दाखिल करने के संबंध में कुछ आवश्यक बिंदु नीचे दिए गए हैं:

एक। नियोक्ता को एनएसडीएल आरपीयू (इसके बाद रिटर्न तैयारी उपयोगिता) के अनुसार फॉर्म 24क्यू के **अनुलग्नक I के कॉलम 321 (भुगतान/जमा की गई राशि) में वेतन की सकल राशि (धारा 10 के तहत छूट प्राप्त किसी भी राशि और अध्याय VI ए** के तहत कटौती सहित) उद्धृत करनी चाहिए और आईटी नियम, 2022 के फॉर्म 24क्यू के अनुसार कोड का उल्लेख करना चाहिए।

बी। नियोक्ता को एनएसडीएल आरपीयू के अनुसार फॉर्म 24क्यू के **अनुलग्नक II के कॉलम 338 (सकल वेतन की कुल राशि) में धारा 10 के तहत छूट प्राप्त किसी भी राशि को छोड़कर वेतन की राशि उद्धृत करनी चाहिए।**

सी। कटौती न करने का कारण, कटौती की निम्न दर (धारा 197 के तहत प्रावधान के अनुसार) या कटौती की उच्च दर (कटौतीकर्ता द्वारा पैन प्रस्तुत न करने के कारण) का उल्लेख फॉर्म 24क्यू के अनुलग्नक I के कॉलम 328 में किया जाना है।

डी। अन्य नियोक्ता(ओं) से प्राप्त वेतन की कुल राशि फॉर्म संख्या 24Q के **अनुलग्नक II के कॉलम 339 में उद्धृत की जाएगी।**

ई. नियोक्ता को सलाह दी जाती है कि वह अनुलग्नक II में कुल कर योग्य आय (कॉलम 380) को पूर्णांकन के बिना उद्धृत करें तथा टीडीएस की कटौती की जाए तथा तदनुसार रिपोर्ट की जाए, अर्थात टीडीएस को भी पूर्णांकन के बिना।

एफ। कटौतीकर्ताओं के लिए पैन नंबर बताना अनिवार्य है । सरकारी कटौतीकर्ताओं के मामले में , "पैन नोटरीक्यूड" लिखा जाना चाहिए।

जी। टीडीएस विवरण को देरी से भरने के लिए धारा 234ई के तहत भुगतान किया गया शुल्क 'शुल्क' के अलग कॉलम में उल्लिखित किया जाना चाहिए (कॉलम 306)

एच। कॉलम 308 में, सरकारी डीडीओ को पीएओ/टीओ/सीडीडीओ द्वारा काटे गए टीडीएस की राशि का उल्लेख करना होगा। अन्य कटौतीकर्ताओं को चालान के माध्यम से जमा किए गए टीडीएस की सही राशि लिखनी होगी।

मैं । कॉलम 309 में, सरकारी कटौतीकर्ता "B" लिखें, जहाँ TDS पुस्तक समायोजन के माध्यम से केंद्र सरकार के खाते में जमा किया जाता है। अन्य कटौतीकर्ता "C" लिखें।

जे। चालान/स्थानांतरण वाउचर (सीआईएन/बीआईएन) विवरण, अर्थात 310, 311, 312 बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसा कि कर सूचना नेटवर्क पर उपलब्ध है।

क. कॉलम 313 में चालान पर अंकित लघु शीर्ष का उल्लेख करें।

एल जहां कोई नियोक्ता किसी कर्मचारी को दिए गए वेतन में से कटौती करता है या उसकी ओर से किसी अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि में उस कर्मचारी का कोई अंशदान करता है, तो ऐसी सभी कटौतियों या भुगतानों को विवरण में शामिल किया जाना चाहिए।

एम। जहां पिछले वर्ष के दौरान भुगतान किया गया कुल किराया एक लाख रुपये से अधिक है, वहां मकान मालिक का स्थायी खाता संख्या अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाएगा।

एन। जहां आवास ऋण, जिस पर ब्याज दिया जाता है, वित्तीय संस्थान या नियोक्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से लिया जाता है, वहां ऋणदाता का स्थायी खाता संख्या अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाएगा।

4.6.9 डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणीकरण:

(*मैं*) जहां प्रमाण पत्र फार्म संख्या 16 में प्रस्तुत किया जाना है, वहां कटौतीकर्ता अपने विकल्प पर ऐसे प्रमाण पत्रों को प्रमाणित करने के लिए डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग कर सकता है।

(*ii*) *i*) के तहत जारी किए गए प्रमाण पत्रों के मामले में , कटौतीकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि

(ए) उपरोक्त पैरा 4.6.1 में निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया जाता है;

(*बी*) एक बार प्रमाणपत्र पर डिजिटल हस्ताक्षर हो जाने के बाद, प्रमाणपत्र की विषय-वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता; और

(*सी*) प्रमाणपत्रों की एक नियंत्रण संख्या होती है और कटौतीकर्ता द्वारा ऐसे प्रमाणपत्रों का एक लॉग बनाए रखा जाता है ।

इंटरनेट पर अधिकांश ई-लेनदेन को प्रमाणित करने के लिए डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग किया जा रहा है क्योंकि डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करके सूचना का

प्रसारण पूरी तरह से सुरक्षित है। इससे समय की बचत होती है, खासकर उन संगठनों में जहाँ बड़ी संख्या में कर्मचारी हैं और जहाँ मैन्युअल हस्ताक्षर से कर कटौती प्रमाणपत्र जारी करना समय लेने वाला होता है। (परिपत्र संख्या 2, 2007 , दिनांक 21-5-2007)

4.7 अनुलाभ आदि से संबंधित विवरण प्रस्तुत करना - धारा 192(2सी)

4.7.1 धारा 192(2सी) के अनुसार, "वेतन" मद के अंतर्गत देय आय का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, कर्मचारी को वेतन के बदले में मिलने वाली सुविधाओं या लाभों का सही और पूर्ण विवरण प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होगा। ऐसे विवरणों का प्रारूप और तरीका नियम 26ए *अर्थात* फॉर्म 12बीए (**अनुलग्नक II के रूप में रखा गया**) और नियमों के फॉर्म 16 में निर्धारित है। यदि भुगतान किया गया या देय वेतन 1,50,000/- रुपये से अधिक है, तो नियोक्ता को फॉर्म 12बीए में वेतन के बदले मिलने वाली सुविधाओं, लाभों और लाभों की प्रकृति और मूल्य से संबंधित जानकारी प्रदान करनी होगी। अन्य मामलों में, नियोक्ता को फॉर्म 16 में ही जानकारी प्रदान करनी होगी।

उल्लेखनीय है कि फॉर्म 12बीए उस कर्मचारी को फॉर्म 16 के अतिरिक्त देना होता है जिसका वेतन एक लाख पचास हजार रुपये से अधिक है।

4.7.2 नियोक्ता, जिसने इस परिपत्र के पैरा 3.2 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार कर्मचारी की ओर से अनुलाभों पर कर का भुगतान किया है, संबंधित कर्मचारी को इस आशय का प्रमाण पत्र देगा कि कर का भुगतान केन्द्र सरकार को कर दिया गया है तथा भुगतान की गई राशि, कर भुगतान की गई दर तथा फार्म 16 में कुछ अन्य विवरण निर्दिष्ट करेगा।

4.7.3 कर्मचारी को प्रदान की गई सुविधाओं का मूल्य दर्शाने वाला विवरण प्रस्तुत करने के लिए धारा 192(2सी) के तहत नियोक्ता पर डाला गया दायित्व नियोक्ता की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, जिसे कानून और उसके तहत बनाए गए मूल्यांकन नियमों के अनुसार पूरा किया जाना अपेक्षित है। कोई भी गलत सूचना, फर्जी दस्तावेज या अपेक्षित जानकारी को दबाने पर कानून के तहत परिणाम भुगतने होंगे। ऊपर निर्दिष्ट फॉर्म 16 और फॉर्म 12बीए में प्रमाण पत्र कर्मचारी को उस वित्तीय वर्ष के तुरंत बाद वाले वित्तीय वर्ष की 15 जून तक प्रस्तुत करना होगा जिसमें आय का भुगतान किया गया था और करों में कटौती की गई थी। यदि वह धारा 192(2सी) के अनुसार संबंधित व्यक्ति को ये प्रमाण पत्र जारी करने में विफल रहता है, तो वह धारा 272ए(2)(*i*) के तहत जुर्माने के रूप में 500 रुपये प्रति दिन की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जब तक कि विफलता जारी रहती है।

4.7.4 धारा 192(2डी) के तहत निर्धारित दावे (नुकसान के समायोजन के दावे सहित) के सबूत या विवरण प्राप्त करने के लिए डीडीओ को अधिकार दिया गया है

करदाता की आय का अनुमान लगाने या उक्त धारा के तहत कटौती योग्य कर की राशि की गणना करने के उद्देश्य से अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कुछ कटौती, छूट या भत्ते या कुछ नुकसान के सेट-ऑफ की अनुमति देने के लिए अधिकृत किया गया है। कर्मचारी द्वारा दावा की गई कुछ कटौतियों/छूट/भत्तों/नुकसान के सेट-ऑफ के लिए साक्ष्य/प्रमाण/विवरण जैसे कि एचआरए में कटौती का दावा करने के लिए किराए की रसीद, स्व-कब्जे वाली घर की संपत्ति से नुकसान का दावा करने के लिए ब्याज भुगतान का सबूत आदि डीडीओ के पास उपलब्ध नहीं है। इस मामले में निश्चितता और एकरूपता लाने के लिए, धारा 192 (2 डी) में प्रावधान है कि भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति (डीडीओ) करदाता से मकान किराया भत्ता (जहां कुल वार्षिक किराया एक लाख रुपये से अधिक है) जैसे दावों का सबूत या प्रमाण या विवरण प्राप्त करेगा; नियम 26सी द्वारा निर्धारित प्रपत्र 12बीबी के अनुसार गृह संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत ब्याज की कटौती और अध्याय VI-ए के अंतर्गत कटौती। प्रपत्र 12बीबी **अनुलग्नक IIa के रूप में संलग्न है** ।

4.8 पैन या आधार संख्या, जैसा भी मामला हो, का उल्लेख करना अनिवार्य है और टैन

4.8.1 अधिनियम की धारा 203ए के अनुसार, स्रोत पर कर कटौती के लिए उत्तरदायी सभी व्यक्तियों के लिए चालान, टीडीएस प्रमाणपत्र, विवरण और अन्य दस्तावेजों में कर कटौती एवं संग्रहण खाता संख्या (टीएएन) प्राप्त करना और उसका उल्लेख करना अनिवार्य है। इस संबंध में विस्तृत निर्देश इस विभाग के परिपत्र संख्या 497 [एफ.सं.275/118/87-आईटी(बी) दिनांक 01.10.1987] में उपलब्ध हैं। यदि कोई व्यक्ति धारा 203ए के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहता है, तो उसे धारा 272बीबी के अंतर्गत जुर्माने के रूप में दस हजार रुपये का भुगतान करना होगा। इसी प्रकार, धारा 139ए(5बी) के अनुसार, स्रोत पर कर कटौती करने वाले व्यक्तियों के लिए यह अनिवार्य है कि वे उन व्यक्तियों का पैन या आधार नंबर, जैसा भी मामला हो, उद्धृत करें, जिनकी आयकर की कटौती धारा 192(2सी) के तहत प्रस्तुत विवरण, धारा 203 के तहत प्रस्तुत प्रमाण पत्र और अधिनियम की धारा 200(3) के प्रावधानों के अनुसार तैयार और वितरित सभी विवरणों में की गई है।

4.8.2 सभी कर कटौतीकर्ताओं को फॉर्म संख्या 24Q (वेतन से काटे गए कर के लिए) में टीडीएस विवरण दाखिल करना आवश्यक है। चूंकि आयकर रिटर्न के साथ टीडीएस प्रमाणपत्र दाखिल करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है, इसलिए कटौतीकर्ताओं के पास पैन या आधार संख्या न होने से काटे गए कर का क्रेडिट देने में कठिनाइयां आ रही हैं। इसलिए, कर कटौतीकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे फॉर्म 24Q में वेतन के लिए टीडीएस विवरणों में सभी कटौतीकर्ताओं के सही पैन या आधार संख्या, जैसा भी मामला हो, प्राप्त करें और उद्धृत करें। करदाता भी अपने कटौतीकर्ताओं को अपना सही पैन या आधार संख्या, जैसा भी मामला हो, प्रदान करने के लिए उत्तरदायी हैं। कटौतीकर्ता (कर्मचारी) द्वारा कटौतीकर्ता (नियोक्ता) को पैन या आधार संख्या, जैसा भी मामला

हो, प्रदान न करने पर नीचे पैरा 4.9 में उल्लिखित अधिनियम की धारा 206AA के तहत उच्च दरों पर टीडीएस की कटौती होगी।

4.9 कर्मचारी द्वारा पैन या आधार प्रस्तुत करना अनिवार्य आवश्यकता (धारा 206एए)

4.9.1 अधिनियम की धारा 206AA के अनुसार, किसी भी राशि, आय या रकम, जिस पर कर कटौती योग्य हो, की प्राप्ति के मामले में कर्मचारी द्वारा पैन या आधार संख्या, जैसा भी हो, प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि कर्मचारी (कटौती प्राप्त करने वाला) कटौतीकर्ता को अपना पैन या आधार संख्या, जैसा भी हो, प्रस्तुत करने में विफल रहता है , तो कटौतीकर्ता को निम्नलिखित दरों में से उच्चतर दर पर टीडीएस काटने की ज़िम्मेदारी दी गई है:

(*मैं*) इस अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान में निर्दिष्ट दर पर; या

(*ii*) लागू दर या दरों पर; या

(*iii*) बीस प्रतिशत की दर से

4.9.2 कटौतीकर्ता को तीनों स्थितियों में कर की राशि निर्धारित करनी होगी और टीडीएस की उच्च दर लागू करनी होगी। हालाँकि, जहाँ धारा 192 के तहत टीडीएस के लिए गणना की गई कर्मचारी की आय कर योग्य सीमा से कम है, वहाँ कोई कर नहीं काटा जाएगा। लेकिन जहाँ धारा 192 के तहत टीडीएस के लिए गणना की गई कर्मचारी की आय कर योग्य सीमा से अधिक है, वहाँ कटौतीकर्ता धारा 192 में प्रदत्त दरों के आधार पर आयकर की औसत दर की गणना करेगा। यदि इस प्रकार गणना किया गया कर 20% से कम है, तो कर की कटौती 20% की दर से की जाएगी और यदि औसत दर 20% से अधिक है, तो कर औसत दर से काटा जाएगा।

4.10 धारा 200(3) के अंतर्गत कर कटौती का विवरण [टीडीएस का त्रैमासिक विवरण]

4.10.1 कर काटने वाले व्यक्ति (वेतन आय के मामले में नियोक्ता) को प्रत्येक वित्तीय वर्ष की अवधि [विवरण नीचे दी गई तालिका में] के लिए फॉर्म 24Q में टीडीएस का विधिवत सत्यापित त्रैमासिक विवरण प्रधान आयकर महानिदेशक (सिस्टम्स) द्वारा अधिकृत टीआईएन सुविधा केंद्रों पर दाखिल करना आवश्यक है, जिसका प्रबंधन वर्तमान में मेसर्स नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा किया जाता है, या कटौतीकर्ता के रूप में पंजीकरण के बाद www.incometaxindiaefiling.gov.in पर । किसी भी टीआईएन सुविधा केंद्र पर ई-टीडीएस मध्यस्थ का विवरण http://www.incometaxindia.gov.in और http://tin-nsdl.com पोर्टल पर उपलब्ध है। 1.4.2006 से टीडीएस का वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। फॉर्म 24Q (दिनांक 12.5.2006 की अधिसूचना संख्या SO 704(E) द्वारा संशोधित) में दाखिल पिछली तिमाही का तिमाही विवरण, टीडीएस का वार्षिक रिटर्न माना जाएगा। इस विवरण को तिमाही-वार दाखिल करने की नियत तिथियाँ नीचे दी गई तालिका में दी गई हैं:

तालिका: फॉर्म 24Q में त्रैमासिक विवरण दाखिल करने की नियत तिथियां

सं .	वित्तीय वर्ष की तिमाही की समाप्ति की तिथि	नियत तारीख
1	30 जून	वित्तीय वर्ष की 31 जुलाई
2	30 सितंबर	वित्तीय वर्ष की 31 अक्टूबर
3	31 दिसंबर	वित्तीय वर्ष की 31 जनवरी
4	31 मार्च	जिस वित्तीय वर्ष में कटौती की गई है उसके ठीक बाद वाले वित्तीय वर्ष की 31 मई तक।

4.10.2 फॉर्म 24Q में विवरण कागज़ के रूप में या इलेक्ट्रॉनिक रूप से डिजिटल हस्ताक्षर के साथ या फॉर्म 27A में विवरण के सत्यापन के साथ या आयकर महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रियाओं, प्रारूपों और मानकों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया के माध्यम से सत्यापित किए जा सकते हैं। ई-टीडीएस/टीसीएस विवरण प्रस्तुत करने की प्रक्रिया **अनुबंध VI में विस्तृत है** ।

4.10.3 जहां कटौतीकर्ता सरकार का कार्यालय है या किसी कंपनी का प्रमुख अधिकारी है या ऐसा व्यक्ति है जिसे तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में धारा 44एबी के तहत अपने खातों का ऑडिट करवाना आवश्यक है, या वित्तीय वर्ष की किसी तिमाही के लिए विवरण में कटौतीकर्ता के रिकॉर्ड की संख्या बीस या उससे अधिक है, कटौतीकर्ता डिजिटल हस्ताक्षर के तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप से या फॉर्म 27ए में विवरण के सत्यापन के साथ या इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया के माध्यम से सत्यापित विवरण प्रस्तुत करेगा [नियम 31ए(3)]।

4.11 अधिनियम की धारा 200(3) के तहत विवरण प्रस्तुत करने में चूक के लिए धारा 234ई के तहत शुल्क

अधिनियम की धारा 234E के अंतर्गत, यदि कोई व्यक्ति धारा 200(3) में निर्धारित समय के भीतर स्रोत पर कर कटौती के संबंध में विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहता है या प्रस्तुत करवाने में विफल रहता है [1-7-2012 को या उसके बाद], तो उसे प्रत्येक दिन, जिसके दौरान यह विफलता जारी रहती है, 200 रुपये का शुल्क देना होगा। हालाँकि, ऐसे शुल्क की राशि स्रोत पर कटौती योग्य कर की राशि से अधिक नहीं होगी। यह शुल्क अनिवार्य प्रकृति का है और ऐसा

विवरण प्रस्तुत करने से पहले देय होगा।

4.12 टीडीएस विवरण दाखिल करने में गलती का सुधार

डीडीओ किसी गलती को सुधारने या पहले दिए गए विवरण में दी गई जानकारी को जोड़ने, हटाने या अद्यतन करने के लिए सुधार विवरण भी दाखिल कर सकता है।

4.13 विवरण प्रस्तुत करने में विफलता या गलत जानकारी प्रस्तुत करने पर जुर्माना (धारा 271एच)

अधिनियम की धारा 271एच के अंतर्गत, यदि कोई व्यक्ति धारा 200(3) में निर्धारित समय के भीतर विवरण देने में विफल रहता है या वितरित करवाता है या स्रोत पर काटे गए कर के संबंध में [1-7-2012 को या उसके बाद] गलत विवरण प्रस्तुत करता है, तो उसे जुर्माने के रूप में 10,000/- रुपये से कम नहीं, बल्कि 1,00,000/- रुपये तक की राशि का भुगतान करना होगा। हालाँकि, यदि व्यक्ति यह साबित कर देता है कि उसने केंद्र सरकार के खाते में शुल्क और ब्याज, यदि कोई हो, के साथ टीडीएस का भुगतान करने के बाद, विवरण देने के लिए निर्धारित समय से एक वर्ष की समाप्ति से पहले ऐसा विवरण प्रस्तुत कर दिया था, तो जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। कर कटौती का विवरण तैयार करते समय, कटौतीकर्ता के लिए यह आवश्यक है:

(*मैं*) विवरण में अनिवार्य रूप से अपना कर कटौती और संग्रह खाता संख्या (टीएएन) उद्धृत करें;

(*ii*) विवरण में, जहाँ कटौतीकर्ता सरकारी कार्यालय (राज्य सरकार सहित) हो, को छोड़कर, अपना स्थायी खाता संख्या (पैन) या आधार संख्या, जैसा भी मामला हो, अनिवार्य रूप से उद्धृत करें। सरकारी कटौतीकर्ताओं के मामले में - ई-टीडीएस विवरण में PANNOTREQD उद्धृत किया जाना चाहिए;

(*iii*) कटौतीकर्ताओं का स्थायी खाता संख्या, पैन या आधार संख्या, जैसा भी मामला हो, अनिवार्य रूप से उद्धृत किया जाएगा ;

(*iv*) केन्द्रीय सरकार को संदत्त कर का विवरण प्रस्तुत करना, जिसमें पुस्तक पहचान संख्या या चालान पहचान संख्या भी शामिल है, जैसा भी मामला हो।

(*वी*) करदाता के मूल्यांकन अधिकारी द्वारा धारा 197 के तहत कर की कटौती न करने का प्रमाण पत्र जारी करने के मद्देनजर कर नहीं काटा गया था।

4.14 पेंशन से आय पर टीडीएस

ii) के अनुसार , 'वेतन' शब्द में पेंशन भी शामिल है। ऐसे पेंशनभोगियों के मामले में जो अपनी पेंशन (पति/पत्नी को दी जाने वाली पारिवारिक पेंशन नहीं) किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से प्राप्त करते हैं, इस परिपत्र में दिए गए निर्देश उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे वेतन-आय पर लागू होते हैं। जीवन बीमा, भविष्य निधि, कुछ इक्विटी शेयरों या डिबेंचर आदि में अंशदान के कारण धारा 80सी के अंतर्गत पेंशन की राशि से कटौती की अनुमति दी जा सकती है, यदि पेंशनभोगी बैंकों को संबंधित विवरण प्रस्तुत करता है। इस संबंध में आवश्यक अनुदेश भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भारतीय स्टेट बैंक और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों को आरबीआई के पेंशन परिपत्र (केंद्रीय श्रृंखला) संख्या 7/सीडीआर/1992 (संदर्भ सीओ: डीजीबीए: जीए (एनबीएस) संख्या 60/जीए.64 (11सीवीएल)-/92) दिनांक 27 अप्रैल 1992 के माध्यम से जारी किए गए थे और इन अनुदेशों का पालन बैंकों की उन सभी शाखाओं को करना चाहिए जिन्हें पेंशन भुगतान का कार्य सौंपा गया है। इसके अतिरिक्त बैंकों की सभी शाखाएं अधिनियम की धारा 203 के तहत पेंशनभोगियों को फॉर्म 16 में कटौती किए गए कर का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए बाध्य हैं। सभी कर कटौतीकर्ताओं (राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित) को पेंशन भुगतान पर टीडीएस के लिए केवल फॉर्म संख्या 24क्यू में टीडीएस रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है।

4.14.2 अधिनियम की धारा 194पी के अंतर्गत, निर्दिष्ट बैंक निर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक की कुल आय की गणना करेगा और लागू दरों के आधार पर आयकर की कटौती करेगा। धारा 194पी के खंड (2) के अनुसार, धारा 139 के प्रावधान उस निर्धारण वर्ष के लिए निर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक पर लागू नहीं होंगे जिसके लिए कर काटा गया है। निर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक को भारत में रहने वाले एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसकी आयु 75 वर्ष या उससे अधिक हो गई है और जिसकी पेंशन के रूप में आय है और उसी निर्दिष्ट बैंक में ऐसे व्यक्ति द्वारा रखे गए किसी खाते से प्राप्त या प्राप्य ब्याज के रूप में आय के अलावा कोई अन्य आय नहीं है, जिसमें वह अपनी पेंशन आय प्राप्त कर रहा है। इसके अतिरिक्त, निर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक को फॉर्म 12बीबीए (नियम 26डी) में घोषणा प्रस्तुत करनी होगी।

4.14.3 फॉर्म संख्या 12बीबीए में घोषणा को विधिवत सत्यापित कागज़ के रूप में प्रस्तुत किया जाना है। निर्दिष्ट बैंक, अध्याय VI-ए के तहत स्वीकार्य कटौती और धारा 87ए के तहत स्वीकार्य छूट को प्रभावी करने के बाद, संबंधित निर्धारण वर्ष के लिए ऐसे निर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक की कुल आय की गणना करेगा और लागू दरों के आधार पर ऐसी कुल आय पर आयकर की कटौती करेगा। अध्याय VI-ए के तहत कटौती का दावा करने के लिए घोषणा और साक्ष्य को निर्दिष्ट बैंक द्वारा ठीक से बनाए रखा जाएगा और आवश्यकतानुसार प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त या मुख्य आयकर आयुक्त को उपलब्ध कराया जाएगा। [अधिसूचना संख्या 99/2021/एफ.सं.370142/11/2021-टीपीएल दिनांक 2-9-2021 [जीएसआर 612(ई)]]।

4.14.4 निर्दिष्ट बैंक का तात्पर्य एक बैंकिंग कंपनी से है जो एक अनुसूचित बैंक है और जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा

45 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के एजेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। [अधिसूचना संख्या 98/2021/ एफ.सं. 370142/11/2021-टीपीएल दिनांक 2-9-2021 [एसओ 3595(ई)]]।

4.15 अनिवासी के मामले में टीडीएस से संबंधित मामले

4.15.1 अधिनियम की धारा 192 के अंतर्गत, वेतन मद के अंतर्गत देय किसी भी आय का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी कोई भी व्यक्ति , भुगतान के समय देय राशि पर आयकर की कटौती करेगा। यह धारा निवासी या अनिवासी को दिए गए वेतन के बीच कोई अंतर नहीं करती है। इसलिए, वेतन मद के अंतर्गत कर योग्य सभी भुगतान, प्राप्तकर्ता की आवासीय स्थिति की परवाह किए बिना, टीडीएस कटौती के लिए उत्तरदायी हैं।

4.15.2 अनिवासियों के संबंध में, भारत में प्रदान की गई सेवाओं के लिए दिया गया वेतन भारत में अर्जित आय माना जाएगा। अधिनियम की धारा 9(1)(*ii*) के स्पष्टीकरण में विशेष रूप से प्रावधान किया गया है कि विश्राम अवधि या अवकाश अवधि के लिए देय कोई भी वेतन, जो भारत में सेवा से पहले या बाद में हो और जो रोजगार के सेवा अनुबंध का हिस्सा हो, उसे भी भारत में अर्जित आय माना जाएगा।

4.15.3 जहां गैर-निवासियों को भारत में काम करने के लिए नियुक्त किया जाता है और कर नियोक्ता द्वारा वहन किया जाता है, यदि कर्मचारी को भारत छोड़ने के बाद कोई रिफंड देय होता है और मूल्यांकन आदेश पारित होने तक भारत में उसका कोई बैंक खाता नहीं है, तो रिफंड नियोक्ता को जारी किया जा सकता है क्योंकि कर उसके द्वारा वहन किया गया है [परिपत्र संख्या 707 दिनांक 11-7-1995]।

5. "वेतन" शीर्षक के अंतर्गत आय की गणना

5.1 "वेतन" शीर्षक के अंतर्गत प्रभार्य आय

(1) निम्नलिखित आय "वेतन" शीर्षक के अंतर्गत आयकर के लिए प्रभार्य होगी:

(ए) किसी नियोक्ता या पूर्व नियोक्ता से किसी करदाता को पिछले वर्ष में देय कोई वेतन, चाहे भुगतान किया गया हो या नहीं;

(*बी*) किसी नियोक्ता या पूर्व नियोक्ता की ओर से पिछले वर्ष में उसे भुगतान किया गया या स्वीकृत किया गया कोई भी वेतन, यद्यपि वह देय नहीं था या देय होने से पहले था।

(*सी*) किसी नियोक्ता या पूर्व नियोक्ता की ओर से पिछले वर्ष में उसे भुगतान किया गया या स्वीकृत वेतन का कोई बकाया, यदि उस पर किसी पिछले वर्ष के लिए आयकर नहीं लगाया गया हो।

(2) शंकाओं के निवारण हेतु, यह स्पष्ट किया जाता है कि जहाँ किसी व्यक्ति द्वारा किसी पूर्व वर्ष के लिए अग्रिम भुगतान किया गया कोई वेतन उसकी कुल आय में सम्मिलित है, वहाँ वेतन देय होने पर उसे पुनः उस व्यक्ति की कुल आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। किसी फर्म के भागीदार को देय या फर्म से प्राप्त कोई भी वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए, "वेतन" नहीं माना जाएगा।

5.2 नियम 3 के अनुसार अनुलाभों का मूल्य

नियोक्ता द्वारा कर्मचारी या कर्मचारी के परिवार के किसी सदस्य को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रदान की गई सुविधाओं का मूल्य, उस कर्मचारी के लिए "वेतन" शीर्षक के अंतर्गत प्रभार्य आय की गणना के प्रयोजनार्थ, आयकर नियम 1962 के नियम 3 के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। नियम 3 के प्रावधान इस प्रकार हैं: -

ए. नियोक्ता द्वारा प्रदान किया गया आवासीय आवास [नियम 3(1)]

आयकर नियम 1962 के नियम 3 के अनुसार, "आवास" में मकान, फ्लैट, फार्म हाउस या उसका कोई भाग, होटल आवास, मोटल, सर्विस अपार्टमेंट, गेस्ट हाउस, कारवां, मोबाइल होम, जहाज या अन्य अस्थायी संरचना शामिल है। विभिन्न श्रेणी के नियोक्ताओं द्वारा प्रदान किए गए बिना साज-सज्जा वाले, सुसज्जित या होटल आवास के लिए अनुलाभों का मूल्य नीचे दिया गया है:

(क) किराया-मुक्त बिना साज-सज्जा वाला आवास: आवास को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

(*i*) केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया आवास:

अनुलाभ का मूल्य केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित लाइसेंस शुल्क के बराबर होगा, जिसमें से कर्मचारी द्वारा वास्तव में भुगतान किया गया किराया घटाया जाएगा।

(*ii*) आवास किसी अन्य नियोक्ता द्वारा प्रदान किया जाता है:

आवास के संबंध में अनुलाभ का मूल्यांकन निर्धारित दरों पर किया जाएगा, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

जहां कर्मचारी को प्रदान किया गया आवास नियोक्ता के स्वामित्व में है:

क्रम संख्या	2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या वाले शहर	अनुलाभ का मूल्य
1	25 लाख से अधिक	वेतन का 15%
2	10 लाख से अधिक परंतु 25 लाख से अधिक नहीं	वेतन का 10%
3	अन्य स्थानों के लिए	वेतन का 7.5%

जहां इस प्रकार प्रदान किया गया आवास नियोक्ता द्वारा पट्टे/किराए पर लिया गया हो: अनुलाभ का मूल्य दोनों में से निम्नतर होगा: -

(*मैं*) वेतन का 15% या

(*ii*) नियोक्ता द्वारा भुगतान की गई या देय पट्टा किराये की वास्तविक राशि,
कर्मचारी द्वारा वास्तव में भुगतान किए गए किराए की किसी भी राशि को घटाकर।

नियम 3 के अंतर्गत अनुलाभ के मूल्य की गणना के प्रयोजन के लिए, 'वेतन' शब्द में मासिक या अन्यथा देय वेतन, भत्ते, बोनस या कमीशन या एक या अधिक नियोक्ताओं से किसी भी नाम से पुकारा जाने वाला कोई मौद्रिक भुगतान, जैसा भी मामला हो, शामिल है, लेकिन इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं हैं:

(ए) महंगाई भत्ता या महंगाई वेतन, जब तक कि यह संबंधित कर्मचारी की अधिवर्षिता या सेवानिवृत्ति लाभों की गणना में शामिल न हो;

(*बी*) कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में नियोक्ता का अंशदान;

(*सी*) भत्ते जो कर के भुगतान से मुक्त हैं;

(डी) आयकर अधिनियम की धारा 17 के खंड (2) में निर्दिष्ट अनुलाभों का मूल्य;

(ई) *iii*) के परंतुक या खंड (2) के परंतुक के अंतर्गत विशेष रूप से अपवर्जित कोई भुगतान या व्यय ;

(एफ) सेवा समाप्ति या अधिवर्षिता या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त एकमुश्त भुगतान, जैसे ग्रेच्युटी, विच्छेद वेतन, अवकाश नकदीकरण, स्वैच्छिक छंटनी लाभ, पेंशन का संराशीकरण और इसी प्रकार के भुगतान;

सभी नियोक्ताओं से प्राप्त वेतन को उस अवधि के संबंध में ध्यान में रखा जाएगा जिसके दौरान आवास प्रदान किया गया है। जहाँ किसी कर्मचारी के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण के कारण, उसे नए तैनाती स्थान पर आवास प्रदान किया जाता है जबकि वह दूसरे स्थान पर आवास बनाए रखता है, वहाँ अनुलाभ का मूल्य केवल एक ऐसे आवास के संदर्भ में निर्धारित किया जाएगा जिसका मूल्य 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए कम हो और उसके बाद दोनों आवासों के लिए अनुलाभ का मूल्य लिया जाएगा।

(ख) सुसज्जित आवास: आवास को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

(*मैं*) केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई आवास सुविधा:
अनुलाभ का मूल्य असज्जित आवास के लिए निर्धारित किया जाएगा तथा फर्नीचर (टेलीविजन सेट, रेडियो सेट, रेफ्रिजरेटर, अन्य घरेलू उपकरण, एयर कंडीशनिंग संयंत्र या उपकरण सहित) की लागत में 10% प्रति वर्ष की वृद्धि की जाएगी या यदि ऐसा फर्नीचर किसी तीसरे पक्ष से किराए पर लिया जाता है, तो उसके लिए देय वास्तविक किराया शुल्क में से कर्मचारी द्वारा भुगतान किए गए या देय किसी भी शुल्क को घटा दिया जाएगा।

(*ii*) आवास किसी अन्य नियोक्ता द्वारा प्रदान किया जाता है:

अनुलाभ का मूल्य असज्जित आवास के लिए निर्धारित किया जाएगा तथा फर्नीचर (टेलीविजन सेट, रेडियो सेट, रेफ्रिजरेटर, अन्य घरेलू उपकरण, एयर कंडीशनिंग संयंत्र या उपकरण या अन्य समान उपकरण या गैजेट सहित) की लागत में 10% प्रति वर्ष की वृद्धि की जाएगी या यदि ऐसा फर्नीचर किसी तीसरे पक्ष से किराए पर लिया जाता है, तो उसके लिए देय वास्तविक किराया शुल्क में से कर्मचारी द्वारा भुगतान किए गए या देय किसी भी शुल्क को घटा दिया जाएगा।

इसमें यह भी जोड़ा गया है कि जहां केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा किसी ऐसे कर्मचारी को आवास उपलब्ध कराया जाता है जो ऐसी सरकार के नियंत्रणाधीन किसी व्यक्ति या उपक्रम में प्रतिनियुक्ति पर सेवा कर रहा है, -

(*मैं*) ऐसे कर्मचारी का नियोक्ता वह निकाय या उपक्रम माना जाएगा जहां कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर सेवा कर रहा है; और

(*ii*) क)(*ii)* में सारणी के अनुसार गणना की गई राशि होगी , मानो आवास नियोक्ता के स्वामित्व में है।

(ग) होटल में सुसज्जित आवास: अनुलाभ का मूल्य निम्नलिखित दो में से जो कम हो उसके आधार पर निर्धारित किया जाएगा:

1. आवास उपलब्ध कराए जाने की अवधि के संबंध में भुगतान किए गए या देय वेतन का 24%; या
2. ऐसे होटल को भुगतान किए गए या देय वास्तविक शुल्क,
, कर्मचारी द्वारा वास्तव में भुगतान किए गए या देय किसी भी किराए को घटाकर ।

तथापि, यदि किसी कर्मचारी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने पर होटल आवास कुल 15 दिनों से अधिक अवधि के लिए प्रदान किया जाता है, तो उपरोक्त पैरा (सी) में उल्लिखित कोई भी बात कर योग्य नहीं होगी।

यह स्पष्ट किया जा सकता है कि आवास के अभिन्न अंग के रूप में प्रदान की जाने वाली सेवाओं का मूल्यांकन अनुलाभ के रूप में अलग से नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को भुगतान या प्रतिपूर्ति की जाने वाली सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सेवाओं का मूल्यांकन अवशिष्ट खंड के अनुसार अनुलाभ के रूप में किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, आवास के लिए समग्र शुल्क का मूल्यांकन नियमों के अनुसार किया जाएगा और होटल द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्य सुविधाओं के लिए किसी भी अन्य शुल्क का मूल्यांकन अवशिष्ट खंड के तहत अलग से किया जाएगा।

(घ) तथापि, खनन स्थल या तटवर्ती तेल अन्वेषण स्थल या परियोजना निष्पादन स्थल या बांध स्थल या विद्युत उत्पादन स्थल या अपतटीय स्थल पर काम करने वाले कर्मचारी को प्रदान किए गए किसी भी आवास के मूल्य को अनुलाभ के रूप में नहीं माना जाएगा, यदि:

(*मैं*) ऐसा आवास किसी "दूरस्थ क्षेत्र" में स्थित है या

(*ii*) आवास अस्थायी प्रकृति का है, जिसका प्लिंथ क्षेत्र 800 वर्ग फीट से अधिक नहीं है और यह किसी नगर पालिका या छावनी बोर्ड की स्थानीय सीमा के 8 किलोमीटर के भीतर स्थित नहीं है।

ए " दूरस्थ क्षेत्र" का तात्पर्य किसी कस्बे से कम से कम 40 किलोमीटर दूर स्थित क्षेत्र से है, जिसकी जनसंख्या नवीनतम प्रकाशित अखिल भारतीय जनगणना के अनुसार 20,000 से अधिक नहीं है।

बी नियोक्ता द्वारा प्रदान की गई मोटर कार पर अनुलाभ [नियम 3(2)]

(I) यदि कोई नियोक्ता अपने कर्मचारी को मोटर कार सुविधा प्रदान करता है, तो ऐसे अनुलाभ का मूल्य निम्नानुसार निर्धारित किया जाएगा:

(ए) यदि मोटर कार का उपयोग कर्मचारी द्वारा पूर्णतः और अनन्य रूप से अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में किया जाता है, तो अनुलाभ का मूल्य शून्य माना जाएगा। हालाँकि, निम्नलिखित अनुपालन आवश्यक हैं:

नियोक्ता ने की गई यात्रा का पूरा ब्यौरा रखा है जिसमें यात्रा की तारीख, गंतव्य, माइलेज और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए उस पर किए गए व्यय की राशि शामिल हो सकती है;

नियोक्ता यह प्रमाण पत्र देता है कि व्यय पूर्णतः तथा विशेष रूप से सरकारी कर्तव्यों के निष्पादन के लिए किया गया था।

(बी) यदि मोटर कार केवल कर्मचारी या उसके परिवार के किसी सदस्य के निजी या व्यक्तिगत प्रयोजनों के लिए है तो अनुलाभ का मूल्य, मोटर कार के संचालन और रखरखाव पर नियोक्ता द्वारा किया गया वास्तविक व्यय होगा, जिसमें नियोक्ता द्वारा चालक को दिया गया पारिश्रमिक, यदि कोई हो, शामिल होगा, जो मोटर कार की सामान्य टूट-फूट को दर्शाने वाली राशि (मोटर कार की वास्तविक लागत का 10% प्रति वर्ष) से बढ़ा हुआ होगा और ऐसे उपयोग के लिए कर्मचारी से ली गई किसी राशि से घटा हुआ होगा।

(सी) यदि मोटर कार का उपयोग आंशिक रूप से कर्मचारी या उसके परिवार के किसी सदस्य के कर्तव्यों के निष्पादन में और आंशिक रूप से निजी या व्यक्तिगत प्रयोजनों के लिए किया जाता है, और

मोटर कार के रखरखाव और संचालन पर होने वाले व्यय नियोक्ता द्वारा वहन या प्रतिपूर्ति किए जाते हैं, अनुलाभ का मूल्य रु. 1800/- (इसके अतिरिक्त रु. 900/-, यदि ड्राइवर भी उपलब्ध कराया जाता है) प्रति माह मोटर कार के लिए होगा, जहां इंजन की घन क्षमता 1.6 लीटर से अधिक नहीं है। हालांकि, अनुलाभ का मूल्य रु. 2400/ - (इसके अतिरिक्त रु. 900/-, यदि ड्राइवर भी उपलब्ध कराया जाता है) प्रति माह होगा यदि मोटर कार के इंजन की घन क्षमता 1.6 लीटर से अधिक है।

ऐसे निजी या व्यक्तिगत उपयोग के लिए मोटर कार के रखरखाव और चलाने पर होने वाले खर्च को कर्मचारी द्वारा पूरी तरह से वहन किया जाता है, मोटर कार के लिए अनुलाभ का मूल्य 600/- रुपये (साथ ही 900/- रुपये, यदि ड्राइवर भी प्रदान किया जाता है) प्रति माह होगा जहां इंजन की घन क्षमता 1.6 लीटर से अधिक नहीं है। हालांकि, मोटर कार के इंजन की घन क्षमता 1.6 लीटर से अधिक होने पर अनुलाभ का मूल्य 900/- रुपये (साथ ही 900/- रुपये, यदि ड्राइवर भी प्रदान किया जाता है) प्रति माह होगा।

(II) यदि मोटर कार कर्मचारी के स्वामित्व में है, लेकिन वास्तविक संचालन और रखरखाव शुल्क (यदि कोई हो तो ड्राइवर के पारिश्रमिक सहित) नियोक्ता द्वारा वहन किया जाता है या उसकी प्रतिपूर्ति की जाती है, और

(ए) ऐसी प्रतिपूर्ति वाहन के पूर्णतः और अनन्य रूप से सरकारी प्रयोजनों के लिए उपयोग के लिए है, अनुलाभों का मूल्य **शून्य होगा**। हालाँकि, निम्नलिखित अनुपालन आवश्यक हैं:

नियोक्ता ने की गई यात्रा का पूरा ब्यौरा रखा है जिसमें यात्रा की तारीख, गंतव्य, माइलेज और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए उस पर किए गए व्यय की राशि शामिल हो सकती है;

नियोक्ता यह प्रमाण पत्र देता है कि व्यय पूर्णतः तथा विशेष रूप से सरकारी कर्तव्यों के निष्पादन के लिए किया गया था।

(*बी*) ऐसी प्रतिपूर्ति वाहन के आंशिक रूप से आधिकारिक उद्देश्यों के लिए और आंशिक रूप से कर्मचारी या उसके परिवार के किसी सदस्य के व्यक्तिगत या निजी उद्देश्यों के लिए उपयोग के लिए है। अनुलाभ का मूल्य नियोक्ता द्वारा किए गए वास्तविक व्यय की राशि होगी, जिसमें मोटर कार के लिए प्रति माह 1800/- रुपये (साथ ही 900/- रुपये, यदि ड्राइवर भी प्रदान किया जाता है) की राशि कम होगी, जहां इंजन की घन क्षमता 1.6 लीटर से अधिक नहीं है , और यदि मोटर कार के इंजन की घन क्षमता 1.6 लीटर से अधिक है , तो प्रति माह 2400/- रुपये (साथ ही 900/- रुपये, यदि ड्राइवर भी प्रदान किया जाता है) कम हो जाएगा। हालांकि, निम्नलिखित अनुपालन आवश्यक हैं:

नियोक्ता ने की गई यात्रा का पूरा ब्यौरा रखा है जिसमें यात्रा की तारीख, गंतव्य, माइलेज और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए उस पर किए गए व्यय की राशि शामिल हो सकती है;

नियोक्ता यह प्रमाण पत्र देता है कि व्यय पूर्णतः तथा विशेष रूप से सरकारी कर्तव्यों के निष्पादन के लिए किया गया था।

(III) जहाँ कर्मचारी के स्वामित्व में कोई अन्य मोटर वाहन है, लेकिन वास्तविक रखरखाव और परिचालन व्यय नियोक्ता द्वारा वहन या प्रतिपूर्ति किया जाता है, वहाँ किसी भी अनुलाभ पर कर नहीं लगेगा यदि प्रतिपूर्ति वाहन के पूर्णतः और विशेष रूप से आधिकारिक उद्देश्यों के लिए उपयोग के लिए है। हालाँकि, यदि प्रतिपूर्ति वाहन के आंशिक रूप से आधिकारिक या आंशिक रूप से निजी उद्देश्यों के लिए उपयोग के लिए है, तो अनुलाभ की राशि नियोक्ता द्वारा किए गए वास्तविक व्यय में से 900 रुपये घटाकर प्राप्त की जाएगी। दोनों ही मामलों में निम्नलिखित अनुपालन आवश्यक हैं:

नियोक्ता ने की गई यात्रा का पूरा ब्यौरा रखा है जिसमें यात्रा की तारीख, गंतव्य, माइलेज और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए उस पर किए गए व्यय की राशि शामिल हो सकती है;

नियोक्ता यह प्रमाण पत्र देता है कि व्यय पूर्णतः तथा विशेष रूप से सरकारी कर्तव्यों के निष्पादन के लिए किया गया था।

(IV) ऐसे मामले में जहां एक या अधिक मोटर-कार नियोक्ता के स्वामित्व में हैं या उसके द्वारा किराये पर ली गई हैं और कर्मचारी या उसके परिवार के किसी सदस्य को ऐसी मोटर-कार या ऐसी सभी मोटर-कारों का उपयोग करने की अनुमति है (पूरी तरह से और अनन्य रूप से उसके कर्तव्यों के निष्पादन में नहीं), अनुलाभ का मूल्य एक कार के संबंध में गणना की गई राशि होगी जैसे कि कर्मचारी को एक मोटर-कार आंशिक रूप से उसके कर्तव्यों के निष्पादन में और आंशिक रूप से उसके निजी या व्यक्तिगत प्रयोजनों के लिए उपयोग के लिए प्रदान की गई थी और अन्य कार या कारों के संबंध में गणना की गई राशि जैसे कि उसे ऐसी कार अनन्य रूप से उसके निजी या व्यक्तिगत प्रयोजनों के लिए प्रदान की गई थी।

मोटर की सामान्य टूट-फूट को मोटर कार की वास्तविक लागत का 10% प्रति वर्ष लिया जाएगा।

(सी) निजी परिचारक आदि [नियम 3(3)]:

सफाई कर्मचारी, माली और चौकीदार सहित सभी निजी सहायकों के लाभ का मूल्य नियोक्ता की वास्तविक लागत होगी। जहाँ कर्मचारी के निवास पर सहायक उपलब्ध कराया जाता है, वहाँ कर्मचारी द्वारा दी गई व्यक्तिगत सेवा की मात्रा पर ध्यान दिए बिना, पूरी लागत पर कर्मचारी के हाथ में अनुलाभ के रूप में कर लगाया जाएगा। ऐसी सुविधाओं या सेवाओं के लिए कर्मचारी द्वारा भुगतान की गई कोई भी राशि उपरोक्त राशि से घटा दी जाएगी।

(घ) घरेलू उपभोग के लिए गैस, बिजली और पानी [नियम 3(4)]:

गैस, बिजली और पानी के रूप में लाभ का मूल्य नियोक्ता द्वारा गैस, बिजली और पानी की आपूर्ति करने वाली एजेंसी को भुगतान की गई राशि होगी। जहाँ आपूर्ति नियोक्ता के अपने संसाधनों से की जाती है, वहाँ नियोक्ता द्वारा प्रति इकाई वहन की गई विनिर्माण लागत को अनुलाभ के मूल्यांकन के लिए लिया जाएगा। ऐसी सुविधाओं या सेवाओं के लिए कर्मचारी द्वारा भुगतान की गई कोई भी राशि अनुलाभ के मूल्य से घटा दी जाएगी।

(ई) निःशुल्क या रियायती शिक्षा [नियम 3(5)]:

कर्मचारी के परिवार के किसी भी सदस्य के लिए निःशुल्क या रियायती शिक्षा के कारण भत्ते का निर्धारण इस प्रकार किया जाएगा

नियोक्ता द्वारा उस संबंध में किए गए व्यय की राशि के बराबर राशि, या

जहां ऐसी शैक्षिक संस्था नियोजक द्वारा चलाई जाती है और उसके स्वामित्व में है या जहां कर्मचारी के परिवार के ऐसे सदस्य के लिए नि:शुल्क शैक्षिक सुविधाएं किसी अन्य संस्था में उसके नियोजक के यहां नियोजित होने के कारण उपलब्ध कराई जाती हैं, वहां कर्मचारी को दी जाने वाली अनुलाभ का मूल्य उस क्षेत्र में या उसके निकट किसी समान संस्था में ऐसी शिक्षा की लागत के संदर्भ में निर्धारित किया जाएगा।

अनुलाभ के मूल्य में से कर्मचारी से भुगतान की गई या वसूल की गई राशि, यदि कोई हो, घटा दी जाएगी।

ऐसे मामले में जहां शैक्षिक संस्था स्वयं नियोक्ता द्वारा संचालित और स्वामित्व में है और कर्मचारी के बच्चों को निःशुल्क शैक्षिक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं या जहां ऐसी निःशुल्क शैक्षिक सुविधाएं किसी संस्था में उसके उस नियोक्ता के नियोजन में होने के कारण प्रदान की जाती हैं, वहां अनुलाभ का मूल्य शून्य माना जाएगा यदि ऐसी शिक्षा की लागत या प्रति बच्चे ऐसे लाभ का मूल्य एक हजार रुपए प्रति माह से अधिक नहीं है।

(एफ) यात्री माल का परिवहन [नियम 3(6)]:

किसी नियोक्ता द्वारा, जो यात्रियों या माल के परिवहन में लगा हुआ है, किसी कर्मचारी या उसके/उसके परिवार के किसी सदस्य को यात्रियों या माल के परिवहन के उद्देश्य से उसके स्वामित्व वाले, पट्टे पर लिए गए या किसी अन्य व्यवस्था द्वारा उपलब्ध कराए गए किसी वाहन में निःशुल्क या रियायती किराए पर व्यक्तिगत या निजी यात्रा के प्रावधान से उत्पन्न किसी लाभ या सुविधा का मूल्य, उस मूल्य के रूप में लिया जाएगा जिस पर ऐसे नियोक्ता द्वारा जनता को ऐसा लाभ या सुविधा प्रदान की जाती है, जिसमें से कर्मचारी द्वारा ऐसे लाभ या सुविधा के लिए भुगतान की गई या उससे वसूल की गई राशि, यदि कोई हो, घटा दी जाती है। यह एयरलाइन या रेलवे के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।

(जी) ब्याज मुक्त या रियायती ऋण [नियम 3(7)(*i*)]

कर्मचारियों या उनके परिवार के किसी सदस्य को ब्याज मुक्त या रियायती ऋण से उत्पन्न अनुलाभ का मूल्य, कर्मचारी या उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा वास्तव में चुकाए गए ब्याज (यदि कोई हो) पर निर्धारित ब्याज दर पर देय ब्याज की अधिकता होगी। निर्धारित ब्याज दर, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रासंगिक वित्तीय वर्ष की पहली तारीख को समान प्रकार के और समान उद्देश्य के लिए आम जनता को दिए गए ऋणों के संबंध में प्रति वर्ष ली जाने वाली दर होगी। अनुलाभ मूल्य की गणना अधिकतम बकाया मासिक शेष विधि के आधार पर की जाएगी। इस नियम के अंतर्गत अनुलाभों के मूल्यांकन के लिए, नियोक्ता द्वारा अपनाई गई गणना और समायोजन की कोई अन्य विधि प्रासंगिक नहीं होगी। हालाँकि, कुल मिलाकर 20,000/- रुपये तक के ऋणों के लिए कोई मूल्य नहीं लिया जाएगा।

नियम 3ए में निर्दिष्ट रोगों के चिकित्सा उपचार हेतु ऋण भी छूट प्राप्त हैं, बशर्ते कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु ऋण की राशि किसी भी चिकित्सा बीमा योजना के अंतर्गत प्रतिपूर्ति न की गई हो। जहाँ कोई चिकित्सा बीमा प्रतिपूर्ति प्राप्त होती है, वहाँ प्रतिपूर्ति की तिथि से प्रतिपूर्ति की गई राशि पर निर्धारित दर से अनुलाभ मूल्य लिया जाएगा, लेकिन इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से लिए गए बकाया ऋण के विरुद्ध पुनर्भुगतान नहीं किया जाएगा।

(एच) यात्रा, भ्रमण, आवास और किसी भी अन्य व्यय के लिए भुगतान या नियोक्ता द्वारा ली गई किसी भी छुट्टी के लिए प्रतिपूर्ति के कारण अनुलाभ [नियम 3(7)(*ii*)]

यात्रा, भ्रमण, आवास और कर्मचारी या उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा ली गई किसी भी छुट्टी के लिए नियोक्ता द्वारा भुगतान या प्रतिपूर्ति किए गए किसी भी अन्य व्यय के लिए अनुलाभ का मूल्य, यात्रा रियायत या सहायता (धारा 10 के खंड 5 के अनुसार) के अलावा, नियोक्ता द्वारा उस संबंध में किए गए व्यय की राशि होगी। हालाँकि, कर्मचारी से वसूली गई या उसके द्वारा भुगतान की गई कोई भी राशि इस प्रकार निर्धारित अनुलाभ मूल्य से कम कर दी जाएगी।

जहां ऐसी सुविधा नियोक्ता द्वारा रखी जाती है, और सभी कर्मचारियों के लिए समान रूप से उपलब्ध नहीं होती है, तो लाभ का मूल्य वह मूल्य माना जाएगा जिस पर ऐसी सुविधाएं अन्य एजेंसियों द्वारा जनता को प्रदान की जाती हैं।

जहां कर्मचारी सरकारी दौरे पर है और उसके साथ आए उसके परिवार के किसी सदस्य के संबंध में व्यय किया जाता है, तो परिवार के सदस्य के संबंध में व्यय की राशि एक अनुलाभ होगी।

जहां कर्मचारी आधिकारिक दौरे पर है, जिसे अवकाश के रूप में बढ़ाया गया है, ऐसे अनुषंगी लाभ का मूल्य प्रवास या अवकाश की ऐसी विस्तारित अवधि के संबंध में किए गए व्यय तक सीमित होगा, जिसमें से ऐसे अनुलाभ के लिए कर्मचारी से भुगतान की गई या वसूल की गई राशि घटा दी जाएगी।

(I) नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को प्रदान किए गए सब्सिडीकृत/निःशुल्क भोजन/गैर-मादक पेय का मूल्य [नियम 3(7)(*iii*)]

नियोक्ता द्वारा किसी कर्मचारी को उपलब्ध कराए गए निःशुल्क भोजन और गैर-अल्कोहलिक पेय का मूल्य नियोक्ता द्वारा किए गए व्यय की राशि होगी, जिसमें से कर्मचारी से भुगतान की गई या वसूल की गई राशि घटा दी जाएगी।

निम्नलिखित के लिए मान शून्य माना जाएगा:

(*ए*) कार्यालय या व्यावसायिक परिसर में कार्य समय के दौरान या भुगतान किए गए वाउचर के माध्यम से प्रदान किया गया निःशुल्क भोजन और गैर-अल्कोहलिक पेय, जो हस्तांतरणीय नहीं हैं और केवल भोजनालयों में उपयोग किए जा सकते हैं, इस सीमा तक कि उनका मूल्य प्रति भोजन पचास रुपये से अधिक नहीं है, या

(*बी*) कार्य समय के दौरान चाय या नाश्ता उपलब्ध कराया जाना, या

(*सी*) दूरस्थ क्षेत्र या अपतटीय प्रतिष्ठान में कार्य समय के दौरान निःशुल्क भोजन और गैर-मादक पेय उपलब्ध कराया जाना

अधिसूचना संख्या जीएसआर 415 (ई) दिनांक 26-6-2020 के तहत, उक्त नियम में संशोधन किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि अधिनियम की धारा 115बीएसी के तहत रियायती कराधान व्यवस्था का विकल्प चुनने वाले कर्मचारी के मामले में, नियोक्ता द्वारा भुगतान वाउचर के माध्यम से प्रदान किए गए मुफ्त भोजन और गैर-मादक पेय के संबंध में प्रदान की गई छूट उपलब्ध नहीं होगी।

(जे) उपहार [नियम 3(7)(*iv*)]

कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्य द्वारा प्राप्त किए जाने वाले किसी भी उपहार, वाउचर या टोकन का मूल्य, उस उपहार की राशि के बराबर होगा। हालाँकि, यदि

उपहार आदि कुल मिलाकर प्रति वर्ष 5,000 रुपये से कम है, तो अनुलाभ का मूल्य शून्य होगा।

(के) सदस्यता शुल्क और वार्षिक शुल्क [नियम 3(7)(*v*)]

कर्मचारी (या उसके परिवार के किसी भी सदस्य) द्वारा लिया गया कोई भी सदस्यता शुल्क और वार्षिक शुल्क, जो नियोक्ता द्वारा प्रदान किए गए क्रेडिट कार्ड (किसी भी ऐड-ऑन कार्ड सहित) से लिया जाता है, या अन्यथा, नियोक्ता द्वारा भुगतान किया जाता है या प्रतिपूर्ति की जाती है, निम्नलिखित आधार पर कर योग्य है:

नियोक्ता द्वारा किए गए व्यय की राशि		XXX
घटाएँ: आधिकारिक उद्देश्यों के लिए उपयोग पर व्यय	XXX	
घटाएँ: कर्मचारी से वसूली गई राशि, यदि कोई हो	XXX	XXX
अनुलाभ के रूप में कर योग्य राशि		**XXX**

हालाँकि, यदि राशि पूरी तरह से और विशेष रूप से आधिकारिक उद्देश्यों के लिए खर्च की जाती है, तो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर इसे छूट दी जाएगी

(*मैं*) नियोक्ता द्वारा ऐसे व्यय का पूरा विवरण, व्यय की तिथि और प्रकृति सहित, रखा जाता है।

(*ii*) नियोक्ता एक प्रमाण पत्र देता है कि यह व्यय पूर्णतः तथा विशेष रूप से कार्यालयीन उद्देश्य के लिए किया गया था।

(एल) क्लब व्यय [नियम 3(7)(*vi*)]

किसी क्लब में कर्मचारी (या उसके परिवार के किसी सदस्य) द्वारा किए गए किसी व्यय (वार्षिक और आवधिक शुल्क सहित) के लिए नियोक्ता द्वारा किए गए प्रतिपूर्ति या भुगतान के लिए अनुलाभ का मूल्य, वह राशि होगी जो नियोक्ता द्वारा भुगतान की जाती है या प्रतिपूर्ति की जाती है, जो कर्मचारी से भुगतान की गई या वसूल की गई किसी भी राशि से कम होती है।

नियोक्ता द्वारा कॉर्पोरेट सदस्यता के मामले में, अनुलाभ के मूल्य में ऐसी कॉर्पोरेट सदस्यता प्राप्त करने के लिए भुगतान की गई प्रारंभिक फीस शामिल नहीं होगी।

हालाँकि, यदि राशि पूरी तरह से और विशेष रूप से व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए खर्च की जाती है, तो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर इसे छूट दी जाएगी

(*मैं*) ऐसे व्यय का पूरा विवरण, जिसमें व्यय की तिथि और प्रकृति तथा उसकी व्यावसायिक समीचीनता शामिल है, नियोक्ता द्वारा रखा जाता है।

(*ii*) नियोक्ता एक प्रमाण पत्र देता है कि यह व्यय पूर्णतः तथा विशेष रूप से कार्यालयीन उद्देश्य के लिए किया गया था।

नोट: नियोक्ता द्वारा सभी वर्ग के कर्मचारियों को समान रूप से उपलब्ध कराए गए स्वास्थ्य क्लब, खेल सुविधाओं आदि का उपयोग छूट प्राप्त है।

(एम) परिसंपत्तियों का उपयोग [नियम 3(7)(*vii*)]

नियोक्ता के स्वामित्व वाली तथा कर्मचारी या उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा उपयोग की जाने वाली चल परिसंपत्ति (लैपटॉप और कंप्यूटर तथा नियम 3 के अन्य उपनियमों में निर्दिष्ट को छोड़कर) के अनुलाभ का मूल्य परिसंपत्ति की वास्तविक लागत या नियोक्ता द्वारा भुगतान किए गए/देय किराए की राशि के 10% प्रति वर्ष की दर से गणना की जाएगी, जिसमें से ऐसे उपयोग के लिए कर्मचारी से वसूले गए किसी भी शुल्क को घटा दिया जाएगा।

(एन) परिसंपत्तियों का हस्तांतरण [नियम 3(7)(*viii*)]

नियोक्ता से संबंधित किसी चल संपत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कर्मचारी या उसके परिवार के किसी सदस्य को हस्तांतरित करने से उत्पन्न अनुलाभ का मूल्य नियोक्ता के लिए ऐसी संपत्ति की वास्तविक लागत होगी, जिसमें से निम्नलिखित को घटाया जाएगा:

(ए) प्रत्येक वर्ष के लिए सामान्य टूट-फूट की लागत 10%, जिसके दौरान उस परिसंपत्ति का उपयोग किया जाता है, और इसके अतिरिक्त

(*बी*) ऐसे स्थानांतरण के लिए कर्मचारी द्वारा प्रतिफल के रूप में वसूल की गई या भुगतान की गई राशि। नोट: कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के लिए टूट-फूट की दर 50% और मोटर कारों के लिए 20% है (घटते हुए शेष विधि द्वारा गणना की गई)।

(ओ) अनुलाभ का मूल्य [नियम 3(7)(*viii*)]:

नियोक्ता द्वारा प्रदान किए गए किसी अन्य लाभ या सुविधा, सेवा, अधिकार या विशेषाधिकार का मूल्य, कर्मचारी के अंशदान को घटाकर, नियोक्ता को होने वाले व्यय के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। यदि यह नियोक्ता द्वारा कर्मचारी की ओर से वास्तव में किए गए मोबाइल फोन सहित टेलीफोन पर व्यय से संबंधित है, तो मूल्य शून्य होगा।

उपरोक्त पैरा (ए) से (एन) के संबंध में, वाक्यांश "घर के सदस्य" में शामिल होगा

एक। जीवनसाथी,

बी। बच्चे और उनके जीवनसाथी,

सी। माता-पिता, और

डी। नौकर और आश्रित।

द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति :

वित्त अधिनियम, 2018 के संशोधन के अनुसार, चिकित्सा प्रतिपूर्ति की कुल राशि को धारा 17(2) के अंतर्गत अनुलाभ माना जाएगा। निम्नलिखित अनुलाभों में शामिल नहीं होंगे:

(ए) नियोक्ता द्वारा संचालित किसी अस्पताल में किसी कर्मचारी या उसके परिवार के किसी सदस्य को प्रदान की गई किसी भी चिकित्सा उपचार की लागत;

(*बी*) कर्मचारी द्वारा स्वयं या उसके/उसके परिवार के किसी सदस्य पर किए गए चिकित्सा व्यय पर नियोक्ता द्वारा भुगतान की गई कोई राशि—

- सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा संचालित किसी अस्पताल में या सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के चिकित्सा उपचार के प्रयोजनार्थ अनुमोदित किसी अन्य अस्पताल में;
- प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित किसी भी अस्पताल में निर्धारित रोगों के संबंध में।
- कोविड-19 से संबंधित किसी भी बीमारी के संबंध में, ऐसी शर्तों के अधीन, जिन्हें केंद्र सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकती है। इसे वित्त अधिनियम 2022 के माध्यम से संशोधन के रूप में 1-4-2020 से पूर्वव्यापी प्रभाव से सम्मिलित किया गया है और तदनुसार, यह आकलन वर्ष 2020-2021 और उसके बाद के आकलन वर्षों के संबंध में लागू होता है। इन शर्तों को सीबीडीटी अधिसूचना संख्या [एसओ 3703(ई)] 90/2022, दिनांक 5-8-2022 *द्वारा अधिसूचित किया गया है।*

(*सी*) किसी कर्मचारी के संबंध में नियोक्ता द्वारा भुगतान किए गए प्रीमियम का कोई भी हिस्सा, धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (*आईबी*) के प्रयोजनों के लिए केंद्र सरकार या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) द्वारा अनुमोदित किसी योजना के तहत ऐसे कर्मचारी के स्वास्थ्य बीमा को प्रभावी बनाने या लागू रखने के लिए।

(*डी*) धारा 80डी के प्रयोजन के लिए केन्द्र सरकार या आईआरडीए द्वारा अनुमोदित किसी योजना के तहत, कर्मचारी द्वारा अपने या अपने परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य पर बीमा कराने या उसे चालू रखने के लिए भुगतान किए गए किसी प्रीमियम के संबंध में नियोक्ता द्वारा भुगतान की गई कोई राशि।

(*ई*) नियोक्ता द्वारा किया गया कोई भी व्यय

- भारत के बाहर कर्मचारी (या उसके परिवार के किसी सदस्य) के चिकित्सा उपचार पर
- चिकित्सा उपचार के लिए कर्मचारी (या उसके परिवार के किसी सदस्य) की विदेश यात्रा और प्रवास पर
- रोगी के साथ आने वाले एक परिचारक की विदेश यात्रा और प्रवास पर व्यय।

  हालाँकि, विदेश में चिकित्सा उपचार पर होने वाले व्यय को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत सीमा तक अनुलाभों से बाहर रखा गया है। इसके अतिरिक्त, यात्रा पर होने वाले व्यय को केवल उस कर्मचारी के मामले में अनुलाभों से बाहर रखा जाएगा जिसकी सकल कुल आय, उक्त व्यय को उसमें शामिल करने से पहले गणना की गई, दो लाख रुपये से अधिक नहीं है। (*च) विदेश में चिकित्सा उपचार से संबंधित किसी भी व्यय के लिए नियोक्ता द्वारा भुगतान की गई कोई भी राशि,* ऊपर (*ङ)* में उल्लिखित शर्तों के अधीन ।

किसी व्यक्ति के संबंध में "परिवार" का वही अर्थ होगा जो धारा 10 के खंड (5) में है। इसका अर्थ है व्यक्ति का पति/पत्नी और बच्चे तथा व्यक्ति के माता-पिता, भाई-बहन या उनमें से कोई भी, जो पूरी तरह या मुख्य रूप से व्यक्ति पर निर्भर हो।

"अस्पताल" का अर्थ है डिस्पेंसरी या क्लिनिक या नर्सिंग होम।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अनुलाभों के मूल्यांकन की विधि अधिनियम की धारा 17(2) और नियमों के नियम 3 में दी गई है। कटौतीकर्ता कटौती के प्रयोजनों के लिए अनुलाभ मूल्य निर्धारित करने से पहले उपरोक्त प्रावधानों पर ध्यानपूर्वक विचार कर सकते हैं।

5.3 "वेतन" शीर्षक के अंतर्गत शामिल न की गई आय (छूट)

निम्नलिखित में से किसी भी खंड के अंतर्गत आने वाली कोई भी आय अधिनियम की धारा 192 के प्रयोजन के लिए वेतन से आय की गणना में शामिल नहीं की जाएगी : -

5.3.1 किसी कर्मचारी द्वारा अपने नियोक्ता या पूर्व नियोक्ता से स्वयं और अपने परिवार के लिए (*क*) भारत में किसी स्थान पर छुट्टी पर जाने या (*ख*) सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद या भारत में किसी स्थान पर सेवा समाप्ति के बाद जाने के संबंध में प्राप्त या देय किसी यात्रा रियायत या सहायता का मूल्य धारा 10(5) के तहत छूट प्राप्त है, हालांकि, नियमों के नियम 2बी में निर्धारित शर्तों के अधीन।

इस खंड के प्रयोजन के लिए, किसी व्यक्ति के संबंध में "परिवार" का अर्थ है:

(*मैं*) व्यक्ति के पति/पत्नी और बच्चे; और

(*ii*) व्यक्ति के माता-पिता, भाई-बहन या उनमें से कोई भी, जो पूरी तरह या मुख्य रूप से व्यक्ति पर निर्भर हो।

यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस खंड के अंतर्गत छूट प्राप्त राशि किसी भी स्थिति में ऐसी यात्रा के प्रयोजन के लिए वास्तव में किए गए व्यय की राशि से अधिक नहीं होगी।

जैसा कि पैरा 4.6.5 में चर्चा की गई है, धारा 192 (2डी) को नियम 26सी के साथ पढ़ने पर डीडीओ के लिए छुट्टी यात्रा रियायत या सहायता के लिए छूट के दावे के संबंध में विवरण/साक्ष्य प्राप्त करना अनिवार्य है, उक्त छूट की अनुमति देने से पहले कर्मचारी द्वारा विवरण प्रस्तुत करने के लिए प्रासंगिक फॉर्म फॉर्म 12बीबी है।

5.3.2 केंद्र सरकार के संशोधित पेंशन नियमों या, जैसा भी मामला हो, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के तहत या संघ की सिविल सेवाओं के सदस्यों या संघ के तहत रक्षा या सिविल पदों से जुड़े पदों के धारकों (ऐसे सदस्य या धारक उक्त नियमों द्वारा शासित नहीं होने वाले व्यक्ति हैं) या अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों या किसी राज्य की सिविल सेवाओं के सदस्यों या राज्य के तहत सिविल पदों के धारकों या स्थानीय प्राधिकरण के कर्मचारियों को लागू किसी भी समान योजना के तहत प्राप्त किसी भी मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी या रक्षा सेवा के सदस्यों पर लागू पेंशन कोड या विनियमों के तहत प्राप्त सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी का कोई भुगतान छूट प्राप्त है। ऊपर वर्णित के अलावा अन्य मामलों में सेवानिवृत्ति, समाप्ति आदि पर प्राप्त ग्रेच्युटी बोर्ड द्वारा निर्धारित सीमा तक छूट प्राप्त है। वर्तमान में सीमा 29-3-2018 से 20 लाख रुपये है संख्या 200/8/2018-आईटीए- I दिनांक 8-3-2019]

5.3.3 केंद्र सरकार के सिविल पेंशन (संराशीकरण) नियमों के तहत या संघ की सिविल सेवाओं के सदस्यों या संघ के तहत रक्षा या सिविल पदों से जुड़े पदों के धारकों (ऐसे सदस्य या धारक उक्त नियमों द्वारा शासित नहीं होने वाले व्यक्ति हैं) या अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों या रक्षा सेवाओं के सदस्यों या किसी राज्य की सिविल सेवाओं के सदस्यों या राज्य के तहत सिविल पदों के धारकों या किसी स्थानीय प्राधिकरण के कर्मचारियों या केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित निगम को लागू किसी भी समान योजना के तहत प्राप्त पेंशन के संराशीकरण में कोई भी भुगतान अधिनियम की धारा 10(10ए)(*i) के तहत छूट प्राप्त है। किसी अन्य नियोक्ता की किसी भी योजना के तहत प्राप्त पेंशन के संराशीकरण में भुगतान के संबंध में, छूट धारा 10(10* ए)(*ii)* के प्रावधानों द्वारा शासित होगी । साथ ही, धारा 10(23एएबी) में निर्दिष्ट निधि से पेंशन के संराशीकरण में कोई भी भुगतान धारा 10(10 ए)(*iii*) के तहत छूट प्राप्त है।

5.3.4 केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के किसी कर्मचारी द्वारा सेवानिवृत्ति के समय उसके खाते में अर्जित अवकाश की अवधि के संबंध में अवकाश वेतन के नकद समतुल्य के रूप में प्राप्त कोई भी भुगतान, चाहे वह अधिवर्षिता पर हो या अन्यथा, अधिनियम की धारा 10(10 एए)(*i*) के तहत छूट प्राप्त है।

सरकारी कर्मचारियों के अलावा अन्य कर्मचारियों के मामले में, यह छूट सेवानिवृत्ति पर या अन्यथा, उनके खाते में जमा छुट्टी के संदर्भ में निर्धारित की जाएगी, जो अधिकतम दस महीने की छुट्टी के अधीन होगी, जिसकी गणना सेवानिवृत्ति पर या अन्यथा सेवानिवृत्ति से ठीक पहले के दस महीनों के दौरान प्राप्त औसत वेतन के आधार पर की जाएगी। अर्जित छुट्टी की पात्रता प्रत्येक वास्तविक सेवा के वर्ष के लिए 30 दिनों से अधिक नहीं होगी। यह छूट भारत सरकार की अधिसूचना संख्या SO588(E), दिनांक 31-5-2002 द्वारा निर्दिष्ट अधिकतम राशि 3,00,000/- रुपये तक सीमित होगी, जो ऐसे कर्मचारियों के संबंध में है जो 1.4.1998 के बाद, चाहे सेवानिवृत्ति पर या अन्यथा, सेवानिवृत्त होते हैं। धारा 10(10 AA)(*ii*) के अनुसार, सेवानिवृत्ति के समय गैर-सरकारी कर्मचारी के मामले में छुट्टी नकदीकरण के संबंध में छूट निम्नलिखित राशियों में से कम होगी:

- सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी के खाते में जमा अर्जित अवकाश की अवधि × औसत मासिक वेतन।
- औसत मासिक वेतन × 10 (*अर्थात* 10 महीने का औसत वेतन)।
- केन्द्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट अधिकतम राशि, *अर्थात* 3,00,000 रुपये।
- सेवानिवृत्ति के समय वास्तव में प्राप्त अवकाश नकदीकरण।

छूट की गणना के प्रयोजन के लिए वेतन में मूल वेतन, सेवानिवृत्ति लाभों की गणना करते समय वेतन का हिस्सा बनने वाला महंगाई भत्ता और कर्मचारी द्वारा प्राप्त टर्नओवर के निश्चित प्रतिशत के आधार पर कमीशन शामिल होगा।

यदि कोई कर्मचारी एक ही वर्ष में एक से अधिक नियोक्ताओं से अवकाश वेतन प्राप्त करता है, तो धारा 10(10 एए)(*ii*) के अंतर्गत छूट की अधिकतम राशि केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट राशि (*अर्थात* 3,00,000 रुपये) से अधिक नहीं हो सकती। जहाँ किसी कर्मचारी ने किसी पूर्ववर्ती वर्ष(वर्षों) में इस धारा के अंतर्गत अवकाश वेतन की छूट का दावा किया है, तो ऐसे कर्मचारी के मामले में, अधिकतम सीमा (*अर्थात* 3,00,000 रुपये) में से पूर्व में दावा की गई छूट की राशि कम कर दी जाएगी।

5.3.5 धारा 10(10बी) के तहत, किसी कामगार को मिलने वाला छंटनी मुआवजा कुछ सीमाओं के अधीन आयकर से मुक्त है। छंटनी मुआवजे की अधिकतम छूट राशि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25एफ(*बी*) में दिए गए आधार पर गणना की गई राशि या 50,000/- रुपये से कम नहीं की कोई राशि है, जैसा कि केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है, जो भी कम हो। ये सीमाएं उस मामले में लागू नहीं होंगी जहां मुआवजे

का भुगतान किसी भी योजना के तहत किया जाता है जिसे केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में अनुमोदित किया गया है, जिसमें उस उपक्रम में कामगारों को विशेष सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता और अन्य प्रासंगिक परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाता है जिस पर यह योजना लागू होती है। ऐसे भुगतान की अधिकतम सीमा 5,00,000/- रुपये है जहां छंटनी 1.1.1997 को या उसके बाद हुई है जैसा कि अधिसूचना संख्या 10969, दिनांक 25-06-1999 में निर्दिष्ट है।

5.3.6 धारा 10(10सी) के अंतर्गत, निम्नलिखित निकायों के किसी कर्मचारी द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या सेवा समाप्ति के समय, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की किसी योजना या योजनाओं के अनुसार या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के मामले में स्वैच्छिक पृथक्करण की योजना के तहत प्राप्त या प्राप्य कोई भी भुगतान (भले ही किश्तों में प्राप्त हुआ हो) उस सीमा तक आयकर से मुक्त है, जब तक कि ऐसी राशि 5,00,000/- रुपये से अधिक न हो:

(ए) एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी;

(*बी*) कोई अन्य कंपनी;

(*सी*) केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम के तहत स्थापित प्राधिकरण;

(*डी*) एक स्थानीय प्राधिकरण;

(*ई*) एक सहकारी समिति;

(एफ) किसी केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम के तहत स्थापित या निगमित विश्वविद्यालय, या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत विश्वविद्यालय घोषित संस्थान;

(*जी*) संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 3 (*जी)* के अर्थ के भीतर कोई भी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ;

(एच) कोई राज्य सरकार; या

(*मैं*) केंद्र सरकार; या

(*जे*) ऐसा प्रबंध संस्थान जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) के अंतर्गत प्राप्त राशि पर छूट केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों तथा पूरे भारत या किसी राज्य या राज्यों में महत्वपूर्ण अधिसूचित संस्थानों के कर्मचारियों को भी प्रदान की गई है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि जहाँ किसी कर्मचारी को किसी निर्धारण वर्ष के लिए यह छूट दी गई है, वहाँ उसे किसी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए यह छूट नहीं दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, यदि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या अधिवर्षिता पर प्राप्त राशि के संबंध में किसी निर्धारण वर्ष के लिए धारा 89 के अंतर्गत छूट दी गई है, तो धारा 10(10सी) के अंतर्गत कोई छूट उपलब्ध नहीं होगी।

5.3.7 जीवन बीमा पॉलिसी [धारा 10(10डी)] के तहत प्राप्त कोई भी राशि, जिसमें निम्नलिखित के अलावा ऐसी पॉलिसी पर बोनस के रूप में आवंटित राशि भी शामिल है, धारा 10(10डी) के तहत छूट प्राप्त है:

(*मैं*) डीडी(3) या धारा 80 डीडीए(3) के तहत प्राप्त कोई राशि ; या

(*ii*) कीमैन बीमा पॉलिसी के तहत प्राप्त कोई राशि; या

(*iii*) 1.4.2003 को या उसके बाद, किन्तु 31-03-2012 को या उससे पहले जारी की गई किसी बीमा पॉलिसी के अंतर्गत प्राप्त कोई राशि, जिसके संबंध में पॉलिसी अवधि के दौरान किसी भी वर्ष के लिए देय प्रीमियम वास्तविक बीमित पूंजी राशि के 20 प्रतिशत से अधिक हो; या

(*iv*) 1.4.2012 को या उसके बाद जारी की गई बीमा पॉलिसी के अंतर्गत प्राप्त कोई राशि जिसके संबंध में पॉलिसी की अवधि के दौरान किसी भी वर्ष के लिए देय प्रीमियम वास्तविक पूंजीगत बीमित राशि के 10 प्रतिशत से अधिक है; या

(*वी*) धारा 80यू के अनुसार विकलांगता वाले या गंभीर विकलांगता वाले व्यक्ति या धारा 80डीडीबी में निर्दिष्ट बीमारी या व्याधि से पीड़ित व्यक्ति के मामले में 1.4.2013 को या उसके बाद जारी की गई बीमा पॉलिसी के तहत प्राप्त कोई राशि, जिसके संबंध में पॉलिसी की अवधि के दौरान किसी भी वर्ष के लिए देय प्रीमियम वास्तविक पूंजीगत बीमित राशि के 15 प्रतिशत से अधिक है।

किसी व्यक्ति की मृत्यु पर उपरोक्त (*iii*), (*iv*) और (*v)* में उल्लिखित ऐसी पॉलिसी के तहत प्राप्त कोई भी राशि कर मुक्त होगी।

उक्त खंड को वित्त अधिनियम, 2021 द्वारा संशोधित किया गया था ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि:

(ए) 1 फरवरी, 2021 से, 1 फरवरी, 2021 को या उसके बाद जारी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी (यूलिप) के तहत प्राप्त राशि पर छूट नहीं दी जाएगी, यदि ऐसी पॉलिसी की अवधि के दौरान पिछले किसी भी वर्ष के लिए देय प्रीमियम की राशि 2,50,000 रुपये से अधिक है।

(*बी*) यदि 1 फरवरी, 2021 को या उसके बाद जारी एक से अधिक यूलिप के लिए प्रीमियम देय है, तो इस खंड के तहत छूट केवल ऐसी पॉलिसियों के संबंध में उपलब्ध होगी, जहां कुल प्रीमियम उन पॉलिसियों में से किसी की अवधि के दौरान पिछले किसी भी वर्ष के लिए 2,50,000 रुपये से अधिक नहीं है।

हालाँकि, उपरोक्त संशोधन व्यक्ति की मृत्यु पर प्राप्त राशि के मामले में लागू नहीं होंगे।

अधिनियम की धारा 10 (12ए) के तहत, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट से किसी करदाता को उसके खाते को बंद करने पर या धारा 80सीसीडी में निर्दिष्ट पेंशन योजना से बाहर निकलने पर कोई भी भुगतान, वित्तीय वर्ष 2019-20 [वित्त (सं.2) अधिनियम, 2019 द्वारा संशोधित] से साठ प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, योजना से बाहर निकलने के ऐसे बंद होने के समय उसे देय कुल राशि के भुगतान पर छूट होगी।

अधिनियम की धारा 10 (12बी) के तहत, धारा 80सीसीडी में निर्दिष्ट पेंशन योजना के तहत किसी कर्मचारी को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट से कोई भी भुगतान, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए विनियमन के तहत निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुसार उसके खाते से आंशिक निकासी पर, उस सीमा तक छूट दी जाएगी, जो उसके द्वारा किए गए योगदान की राशि के पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं है।

5.3.8 भविष्य निधि अधिनियम, 1925 लागू होने वाली किसी भविष्य निधि या केंद्र सरकार द्वारा स्थापित और आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किसी अन्य भविष्य निधि से कोई भी भुगतान धारा 10 के खंड (11) के तहत छूट प्राप्त है। धारा 10 के खंड (11) का पहला प्रावधान, 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी है, यह प्रावधान करता है कि किसी व्यक्ति के खाते में पिछले वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज के रूप में आय के मामले में उक्त खंड के तहत छूट उपलब्ध नहीं होगी, इस सीमा तक कि यह उस व्यक्ति द्वारा उस निधि में किसी भी पिछले वर्ष में निर्धारित सीमा (दो लाख पचास हजार रुपये) से अधिक राशि या कुल राशि से संबंधित है, जो 1 अप्रैल, 2021 को या उसके बाद निर्धारित तरीके से गणना की गई है। धारा 10 के खंड (11) का दूसरा प्रावधान यह प्रावधान करता है कि यदि ऐसे व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे कोष में योगदान दिया जाता है जिसमें ऐसे व्यक्ति के नियोक्ता द्वारा कोई योगदान नहीं है आयकर नियम, 1962 के नियम 9डी में भविष्य निधि या मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में निर्दिष्ट सीमा से अधिक अंशदान से संबंधित कर योग्य ब्याज की गणना का प्रावधान है।

5.3.9 अधिनियम की चौथी अनुसूची के भाग ए के नियम 8 में प्रदान की गई सीमा तक, मान्यता प्राप्त प्रदत्त निधि में भाग लेने वाले कर्मचारी को देय और देय होने वाला संचित शेष, अधिनियम की धारा 10 के खंड (12) के तहत छूट प्राप्त है। 1 अप्रैल, 2022 से, उक्त खंड के तहत छूट किसी व्यक्ति के खाते में पिछले वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज के रूप में आय पर लागू नहीं होगी, जिस सीमा तक यह उस व्यक्ति द्वारा उस निधि में किसी भी पिछले वर्ष में निर्धारित सीमा दो लाख पचास हजार रुपये से अधिक के योगदान की राशि या कुल राशि से संबंधित है, 1 अप्रैल, 2021 को या उसके बाद और निर्धारित तरीके से गणना की जाती है। धारा 10 के खंड (12) के दूसरे प्रावधान में यह प्रावधान है कि यदि ऐसे व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे कोष में योगदान दिया जाता है जिसमें ऐसे व्यक्ति के नियोक्ता द्वारा कोई योगदान नहीं है, तो सीमा पांच लाख रुपये होगी। आयकर नियम, 1962 के नियम 9डी में भविष्य निधि या मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में निर्दिष्ट सीमा से अधिक अंशदान से संबंधित कर योग्य ब्याज की गणना का प्रावधान है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि सीमा का अर्थ होगा: -

(*मैं*) पांच लाख रुपए, यदि धारा 10 के खंड (11) या खंड (12) का दूसरा परंतुक लागू होता है; और

(*ii*) अन्य मामलों में दो लाख पचास हजार रुपये।

(संदर्भ: अधिसूचना संख्या 95/2021 जीएसआर604(ई), दिनांक 31 अगस्त, 2021)

5.3.10 अधिनियम की धारा 10(13ए) के अंतर्गत, किसी करदाता को उसके नियोक्ता द्वारा उसके आवास के संबंध में किराए (चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए) के भुगतान पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए विशेष रूप से प्रदान किया गया कोई भी विशेष भत्ता आयकर से मुक्त है। किराए के भुगतान पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए विशेष भत्ता प्रदान करने के कारण स्वीकार्य छूट की मात्रा निम्नलिखित में से कम से कम होगी:

मुंबई/दिल्ली/कोलकाता/चेन्नई में	किसी अन्य शहर में
1.वास्तव में प्राप्त भत्ता	1. वास्तव में प्राप्त भत्ता
2. वेतन के 10% से अधिक किराया भुगतान	2. वेतन के 10% से अधिक किराया भुगतान
3. वेतन का 50 प्रतिशत	3. वेतन का 40 प्रतिशत

इस प्रयोजन के लिए, "वेतन" में महंगाई भत्ता शामिल है, यदि रोजगार की शर्तों में ऐसा प्रावधान है, लेकिन अन्य सभी भत्ते और सुविधाएं इसमें शामिल नहीं हैं।

करदाता द्वारा अधिग्रहीत आवासीय आवास के किराए के भुगतान पर वास्तव में किया गया व्यय ही आयकर से छूट के लिए पात्र है। इस प्रकार, अपने स्वामित्व वाले मकान/फ्लैट में रहने वाले कर्मचारी को दिया जाने वाला मकान किराया भत्ता आयकर से मुक्त नहीं है।

5.3.11 धारा 10(14) निम्नलिखित भत्तों से छूट प्रदान करती है: -

मैं। किसी कर्मचारी को नियम 2बीबी के तहत निर्धारित अपने कर्तव्यों के निष्पादन में पूर्णतः, अनिवार्यतः और अनन्य रूप से किए गए व्यय को पूरा करने के लिए दिया गया कोई विशेष भत्ता या लाभ, इस सीमा के अधीन कि ऐसे व्यय वास्तव में उस प्रयोजन के लिए किए गए हैं।

ii. किसी कर्मचारी को उसकी तैनाती के स्थान पर या जहां वह सामान्यतः रहता है, वहां उसके व्यक्तिगत खर्चों को पूरा करने के लिए या

जीवन-यापन की बढ़ी हुई लागत की प्रतिपूर्ति के लिए दिया जाने वाला कोई भत्ता, जो निर्धारित किया जा सकता है और निर्धारित सीमा तक दिया जा सकता है।

ii) में निर्दिष्ट भत्ता व्यक्तिगत भत्ते की प्रकृति का नहीं होना चाहिए जो करदाता को उसके कार्यालय या रोजगार से संबंधित विशेष प्रकृति के कर्तव्यों के निष्पादन के लिए पारिश्रमिक या क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान किया जाता है , जब तक कि ऐसा भत्ता उसकी तैनाती या निवास स्थान से संबंधित न हो।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि किसी कर्मचारी को दिया गया कोई भी भत्ता, जो नियम 2BB के साथ धारा 10(14) के अंतर्गत छूट प्राप्त नहीं है, या नियम के अंतर्गत निर्धारित राशि से अधिक भत्ते की राशि, वेतन से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होगी। उदाहरण के लिए, किसी भी प्रशिक्षण संस्थान में नियुक्ति के लिए दिए जाने वाले प्रशिक्षण भत्ते पर नियम 2BB में कोई छूट प्रदान नहीं की गई है। इसलिए संपूर्ण प्रशिक्षण भत्ता वेतन में शामिल किया जाएगा।

सीबीडीटी ने अधिसूचना संख्या एसओ 617(ई), दिनांक 7 जुलाई, 1995 (एफ.सं.142/9/95-टीपीएल) के तहत धारा 10(14) (*i*) और 10(14) (*ii*) *के प्रयोजन के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए थे, जिन्हें अधिसूचना एसओ संख्या 403(ई), दिनांक 24.4.2000 (एफ.सं.142/34/99-टीपीएल) के तहत संशोधित किया गया है। नियम 2बीबी* में संशोधन किया गया है और वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए परिवहन भत्ते के संबंध में छूट केवल दृष्टिहीन या अस्थि विकलांग या निचले अंगों में विकलांगता वाले व्यक्ति को निवास स्थान और अपने कर्तव्य स्थल के बीच आवागमन के लिए अपने व्यय को पूरा करने हेतु 3200 रुपये प्रति माह तक उपलब्ध होगी।

5.3.12 अधिनियम की धारा 10(15)(*iv*)(*i*) के अंतर्गत, केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के किसी कर्मचारी द्वारा अपने सेवानिवृत्ति लाभों में से, केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में बनाई गई और राजपत्र में अधिसूचित ऐसी योजना के अनुसार जमा राशि पर सरकार द्वारा देय ब्याज आयकर से मुक्त है। अधिसूचना संख्या F.2/14/89-NS-II, दिनांक 7.6.89 द्वारा, जैसा कि अधिसूचना संख्या F.2/14/89-NS-II, दिनांक 12.10.89 द्वारा संशोधित किया गया है, केंद्र सरकार ने उक्त खंड के प्रयोजनार्थ सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए जमा योजना, 1989 नामक एक योजना अधिसूचित की है।

5.3.13 शिक्षा की लागत को पूरा करने के लिए दी गई किसी भी छात्रवृत्ति को अधिनियम की धारा 10(16) के प्रावधानों के अनुसार कुल आय में शामिल नहीं किया जाएगा।

5.3.14 धारा 10(18) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा पेंशन के रूप में प्राप्त किसी भी आय पर छूट प्रदान करती है, जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार की सेवा में रहा हो और जिसे "परमवीर चक्र" या "महावीर चक्र" या "वीर चक्र" या ऐसे अन्य वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया हो, जिसे केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से अधिसूचित किया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति के परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा प्राप्त पारिवारिक पेंशन भी छूट प्राप्त है [अधिसूचना संख्या एसओ 1948(ई), दिनांक 24.11.2000 और 81(ई), दिनांक 29.1.2001, जो **अनुलग्नक VIII और IX के अनुसार संलग्न हैं**]। इस प्रयोजन के लिए परिवार का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 10(5) में निर्दिष्ट है।

डीडीओ दावे की सत्यता के बारे में स्वयं संतुष्ट होने के बाद ऐसे पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के मामले में कोई कर नहीं काट सकता है।

5.3.15 यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि अधिनियम की धारा 10(13ए), 10(5), 10(14), 17 आदि के अंतर्गत विशेष रूप से छूट प्राप्त लाभ भी छूट प्राप्त बने रहेंगे। इनमें मकान किराया भत्ता, अवकाश यात्रा रियायत, दौरे और स्थानांतरण पर यात्रा व्यय भत्ता, निर्धारित दौरे के खर्चों को पूरा करने के लिए दैनिक भत्ता, और शर्तों के अधीन चिकित्सा सुविधाएँ शामिल हैं।

5.3.16 इस संबंध में यह ध्यान देने योग्य है कि नियम 2BB के साथ पठित धारा 10(14) के अनुसार, दौरे या स्थानांतरण पर यात्रा की लागत को पूरा करने के लिए दिए गए किसी भी भत्ते में स्थानांतरण, पैकिंग और ऐसे स्थानांतरण पर व्यक्तिगत सामान के परिवहन के संबंध में भुगतान की गई कोई भी राशि शामिल है, वह छूट प्राप्त होगी। इसके अलावा, किसी कर्मचारी द्वारा अपने सामान्य कार्यस्थल से अनुपस्थिति के कारण होने वाले सामान्य दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए, दौरे पर या स्थानांतरण के संबंध में यात्रा की अवधि के लिए दिया गया कोई भी भत्ता छूट प्राप्त होगा।

5.3.17 *अधिसूचना* संख्या जीएसआर 415(ई), दिनांक 26-6-2020 के तहत नियम 2बीबी में संशोधन किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि अधिनियम की धारा 115बीएसी के तहत रियायती कराधान व्यवस्था का विकल्प चुनने वाले करदाता को केवल निम्नलिखित भत्तों के संबंध में छूट मिलेगी:

(ए) परिवहन भत्ता, किसी ऐसे कर्मचारी को दिया जाता है जो दृष्टिहीन या गूंगा या बहरा है या निचले अंगों की विकलांगता के साथ अस्थि विकलांग है, ताकि उसके निवास स्थान और उसके कर्तव्य स्थान के बीच आवागमन के लिए व्यय को पूरा किया जा सके;

(*बी*) दौरे या स्थानांतरण पर यात्रा की लागत को पूरा करने के लिए दिया गया कोई भत्ता;

(*सी*) किसी कर्मचारी द्वारा अपने सामान्य कार्य स्थल से अनुपस्थित रहने के कारण किए गए सामान्य दैनिक व्यय को पूरा करने के लिए, चाहे वह दौरे पर या स्थानांतरण के संबंध में यात्रा की अवधि के लिए प्रदान किया गया हो;

(*डी*) किसी लाभ के पद या नियोजन के कर्तव्यों के निष्पादन में परिवहन पर किए गए व्यय को पूरा करने के लिए दिया गया कोई भत्ता, इस शर्त के अधीन कि नि:शुल्क परिवहन नियोक्ता द्वारा प्रदान नहीं किया गया है।"

कृपया ध्यान दें:

A. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194S (वर्चुअल डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण पर टीडीएस) के संबंध में, कृपया "आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194S की उप-धारा (6) के अंतर्गत कठिनाइयों के निवारण हेतु दिशानिर्देश" विषय पर दिनांक 22 जून 2022 के परिपत्र संख्या 13/2022 और "एक्सचेंज पर या उसके माध्यम से होने वाले लेनदेन के अलावा अन्य लेनदेन के लिए आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 119 के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती के संबंध में आदेश" विषय पर दिनांक 28 जून 2022 के परिपत्र संख्या 14/2022 का संदर्भ लें। कृपया अधिसूचना संख्या 74/2022/F का भी संदर्भ लें। संख्या 370142/29/2022-टीपीएल (भाग-I), दिनांक 30 जून 2022 और अधिसूचना संख्या 75/2022/एफ. संख्या 370142/29/2022-टीपीएल (भाग-I), दिनांक 30 जून 2022।

5.4 अधिनियम की धारा 16 के तहत वेतन से कटौती

आईए) के तहत मानक कटौती :

वित्तीय वर्ष 2019-2020 से पचास हजार रुपये या वेतन की राशि जो भी कम हो, की कटौती मानक कटौती के रूप में दी जाएगी।

5.4.2 मनोरंजन भत्ता [धारा 16(*ii*)]:

धारा 16(*ii) के अंतर्गत नियोक्ता द्वारा* करदाता को , जो सरकार से वेतन प्राप्त करता है, विशेष रूप से दिए गए मनोरंजन भत्ते के संबंध में उसके वेतन के पांचवें भाग (किसी भत्ते, लाभ या अन्य अनुलाभ को छोड़कर) या पांच हजार रुपए, जो भी कम हो, के बराबर राशि की कटौती की अनुमति दी जाती है।

5.4.3 रोजगार पर कर [धारा 16(*iii*)]:

भारत के संविधान के अनुच्छेद 276(2) के अर्थ में रोजगार पर कर (व्यावसायिक कर), जो किसी कानून द्वारा या उसके अधीन लगाया जा सकता है, को भी "वेतन" शीर्षक के अंतर्गत आय की गणना में कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी।

5.5 अधिनियम के अध्याय VI-A के अंतर्गत कटौती

कर्मचारी की कर योग्य आय की गणना करते समय, अधिनियम के अध्याय VI-ए के तहत उसकी सकल कुल आय से निम्नलिखित कटौतियां की जाएंगी:

5.5.1 जीवन बीमा प्रीमियम, आस्थगित वार्षिकी, भविष्य निधि में अंशदान, कुछ इक्विटी शेयरों या डिबेंचर आदि में अभिदान के संबंध में कटौती (धारा 80सी)

धारा 80सी, किसी कर्मचारी को चालू वित्तीय वर्ष में निम्नलिखित योजनाओं में भुगतान या जमा की गई पूरी राशि के लिए कटौती का अधिकार देती है, जिसकी सीमा 1,50,000/- रुपये तक है:

(1) किसी व्यक्ति, उसके पति/पत्नी या बच्चे या एचयूएफ के जीवन पर बीमा लागू करने या उसे लागू रखने के लिए बीमा प्रीमियम का भुगतान।

(2) किसी व्यक्ति, उसके पति/पत्नी या किसी बच्चे के जीवन पर किसी आस्थगित वार्षिकी के लिए अनुबंध को प्रभावी करने या लागू रखने के लिए किया गया कोई भुगतान, जो वार्षिकी योजना नहीं है जैसा कि नीचे मद (7) में निर्दिष्ट है, बशर्ते कि ऐसे अनुबंध में बीमाधारक द्वारा वार्षिकी के भुगतान के बदले नकद भुगतान प्राप्त करने के विकल्प के प्रयोग का प्रावधान न हो;

(3) सरकार द्वारा या उसकी ओर से किसी व्यक्ति को देय वेतन से कटौती की गई कोई राशि, जो उसकी सेवा की शर्तों के अनुसार उसे आस्थगित वार्षिकी प्राप्त करने या उसके पति/पत्नी या बच्चों के लिए प्रावधान करने के उद्देश्य से कटौती की गई राशि हो, जहां तक कटौती की गई राशि वेतन के 1/5वें भाग से अधिक न हो;

(4) कोई भी योगदान दिया गया:

(ए) किसी व्यक्ति द्वारा किसी भविष्य निधि में, जिस पर भविष्य निधि अधिनियम, 1925 लागू होता है;

(*बी*) केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित किसी भविष्य निधि में, तथा इस संबंध में उसके द्वारा राजपत्र में अधिसूचित, जहां ऐसा अंशदान किसी व्यक्ति, या पति/पत्नी या बच्चों के नाम पर खाते में है;

[केंद्र सरकार ने अधिसूचना एसओ संख्या 1559 (ई) दिनांक 3-11-5 के तहत सार्वजनिक भविष्य निधि को अधिसूचित किया है]

(*सी*) किसी कर्मचारी द्वारा मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में जमा की गई राशि;

(*डी*) किसी कर्मचारी द्वारा अनुमोदित सुपरएनुएशन फंड में जमा की गई राशि;

यह ध्यान दिया जा सकता है कि किसी भी निधि में "योगदान" में ऋण या अग्रिम की अदायगी में कोई राशि शामिल नहीं होगी;

(5) वर्ष के दौरान सदस्यता के रूप में भुगतान या जमा की गई कोई भी राशि: —

(ए) कर्मचारी के नाम पर या उस कर्मचारी की किसी बालिका के नाम पर, जिसके अंतर्गत ऐसी बालिका भी है जिसके लिए कर्मचारी केन्द्रीय

सरकार की किसी ऐसी प्रतिभूति या किसी ऐसी जमा योजना में विधिक संरक्षक है, जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त निर्दिष्ट करे;

[केंद्र सरकार ने अधिसूचना जीएसआर संख्या 863(ई) दिनांक 02.12.2014 के तहत "सुकन्या समृद्धि खाता" योजना को अधिसूचित किया है]

(*बी*) *ग)* के अधीन परिभाषित किसी ऐसे बचत प्रमाणपत्र पर, जिसे सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे।

[केंद्र सरकार ने अधिसूचना एसओ संख्या 1560 (ई), दिनांक 3-11-5 के तहत राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (आठवां अंक) और अधिसूचना जीएसआर 848 (ई), दिनांक 29 नवंबर, 2011 के तहत राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (IX अंक) को अधिसूचित *किया* है, जिससे राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (IX- अंक) नियम, 2011 जीएसआर 868 (ई), दिनांक 7 दिसंबर, 2011 को प्रकाशित किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र IX अंक को बचत प्रमाणपत्रों की श्रेणी के रूप में निर्दिष्ट किया गया है एफ सं.1-13/2011-एनएस-II आर/डब्ल्यू संशोधन अधिसूचना सं. जीएसआर 319 (ई), दिनांक 25-4-2012]

(6) किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं, पति/पत्नी या किसी बच्चे के लिए अंशदान के रूप में दी गई कोई राशि,

एका यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, 1971 में भागीदारी के लिए;

बी। धारा 10 (23डी) में संदर्भित और केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित एलआईसी म्यूचुअल फंड की किसी भी यूनिट-लिंक्ड बीमा योजना में भागीदारी के लिए।

[केंद्र सरकार ने अधिसूचना एसओ संख्या 1561 (ई) दिनांक 3-11-2005 के *तहत एलआईसी म्यूचुअल फंड की यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (जिसे पहले* धनरक्षा , 1989 के रूप में जाना जाता था) को अधिसूचित किया है।]

(7) जीवन बीमा निगम या किसी अन्य बीमाकर्ता की ऐसी वार्षिकी योजना के लिए अनुबंध को प्रभावी बनाने या लागू रखने के लिए किया गया कोई भी अंशदान, जिसे केंद्रीय सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है;

[केंद्र सरकार ने तब से नई जीवन धारा को अधिसूचित किया है। नई जीवन धारा-I, नई 52 जीवन अक्षय, नई जीवन अक्षय-I और नई जीवन अक्षय-II अधिसूचना एसओ संख्या 1562(ई) , दिनांक 3-11-2005, जीवन अक्षय-III अधिसूचना *एसओ* संख्या 847(ई), दिनांक 1.6.2006, जीवन अक्षय-VI *अधिसूचना* एसओ संख्या 1184(ई) दिनांक 19-5-2010 और जीवन अक्षय-VII अधिसूचना एसओ संख्या 5056(ई) , दिनांक 06.12.2021 के तहत]

(8) धारा 10(23डी) के अंतर्गत किसी म्यूचुअल फंड की किसी यूनिट में, या भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण एवं निरसन) अधिनियम, 2002 में निर्दिष्ट प्रशासक या निर्दिष्ट कंपनी से, किसी योजना के अनुसार तैयार की गई किसी योजना के अंतर्गत किया गया कोई भी अंशदान, जिसे केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकती है; [केंद्र सरकार ने इस प्रयोजन के लिए अधिसूचना एसओ संख्या 1563(ई) , दिनांक 3.11.2005 के तहत इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, 2005 को अधिसूचित किया है]

इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, 1992 या इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, 1998 के अनुसार तैयार की गई योजनाओं में 1.4.2006 के बाद किए गए निवेश भी धारा 80सी के तहत कटौती के लिए पात्र होंगे।

(9) धारा 10(23डी) में निर्दिष्ट किसी म्यूचुअल फंड द्वारा स्थापित किसी पेंशन फंड में किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई योगदान, या, प्रशासक या यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (उपक्रम का हस्तांतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 में परिभाषित निर्दिष्ट कंपनी द्वारा, जैसा कि केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकती है;

[केंद्र सरकार ने इस प्रयोजन के लिए अधिसूचना एसओ संख्या 1563(ई), दिनांक 3.11.2005 के तहत इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, 2005 को अधिसूचित किया है]

(10) राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा स्थापित किसी ऐसी जमा योजना में किया गया कोई अंशदान या किसी ऐसी पेंशन निधि में किया गया कोई अंशदान, जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस संबंध में निर्दिष्ट करे;

(11) किसी ऐसी जमा योजना में किया गया कोई अंशदान, जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, (*क*) सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा, जो भारत में आवासीय प्रयोजनों के लिए मकानों के निर्माण या क्रय के लिए दीर्घावधि वित्त उपलब्ध कराने में लगी हैं, अथवा (*ख*) भारत में आवास की आवश्यकता से निपटने और उसे पूरा करने के लिए अथवा शहरों, कस्बों और गांवों की योजना, विकास या सुधार के लिए अथवा दोनों के लिए अधिनियमित किसी विधि द्वारा या उसके अधीन गठित किसी प्राधिकरण द्वारा, जारी किए जाने के प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट करे।

[केंद्र सरकार ने धारा 80सी(2)(*xvi*)(ए) के प्रयोजनों के लिए अधिसूचना एसओ संख्या 37(ई), दिनांक 11-1-2007 के

तहत हुडको की सार्वजनिक जमा योजना को अधिसूचित किया है।]

(12) करदाता द्वारा भुगतान की गई कोई राशि , जिससे प्राप्त आय "गृह संपत्ति से आय" शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य है (या जो, यदि करदाता के अपने निवास के लिए उपयोग नहीं की गई है, तो उस शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होगी) जहां ऐसे भुगतान किसी विकास प्राधिकरण, आवास बोर्ड या स्वामित्व के आधार पर गृह संपत्ति के निर्माण और बिक्री में लगे अन्य प्राधिकरण की किसी स्व-वित्तपोषण या अन्य योजना के अंतर्गत देय राशि के किसी किस्त या आंशिक भुगतान के माध्यम से किए जाते हैं।

यह कटौती किसी भी कंपनी या सहकारी समिति को देय राशि के किसी भी किस्त या आंशिक भुगतान पर स्वीकार्य है, जिसका करदाता शेयरधारक या सदस्य है, जो उसे आवंटित गृह संपत्ति की लागत के लिए है।

यह कटौती किसी करदाता द्वारा केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार, या किसी सहकारी बैंक सहित किसी बैंक, या जीवन बीमा निगम, या राष्ट्रीय आवास बैंक, या भारत में मकान निर्माण या खरीद के लिए दीर्घकालिक वित्त प्रदान करने के व्यवसाय में लगे कुछ अन्य श्रेणी के संस्थानों से लिए गए ऋणों के पुनर्भुगतान के संबंध में भी स्वीकार्य होगी। नियोक्ता से लिए गए ऋण के किसी भी पुनर्भुगतान को भी कवर किया जाएगा, यदि नियोक्ता एक सार्वजनिक कंपनी, या एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, या विधि द्वारा स्थापित एक विश्वविद्यालय, या ऐसे विश्वविद्यालय से संबद्ध एक महाविद्यालय, या एक स्थानीय प्राधिकरण, या एक सहकारी समिति, या एक प्राधिकरण, या एक बोर्ड, या एक निगम, या किसी केंद्रीय या राज्य अधिनियम के तहत स्थापित कोई अन्य निकाय है।

गृह संपत्ति की खरीद के लिए किए गए भुगतान में स्टांप शुल्क, पंजीकरण शुल्क और अन्य खर्च शामिल होंगे, लेकिन इसमें प्रवेश शुल्क, शेयर की लागत या प्रारंभिक जमा राशि, या गृह संपत्ति में किसी भी प्रकार के परिवर्धन या परिवर्तन, या नवीनीकरण या मरम्मत की लागत शामिल नहीं होगी, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने के बाद, या करदाता द्वारा घर पर कब्जा करने के बाद , या उसे किराए पर दिए जाने के बाद की जाती है। अधिनियम की धारा 24 के प्रावधानों के तहत कटौती योग्य किसी भी व्यय के लिए किए गए भुगतान को भी गृह संपत्ति की खरीद या निर्माण की लागत के भुगतान में शामिल नहीं किया जाएगा।

जहां गृह संपत्ति, जिसके संबंध में इन प्रावधानों के तहत कटौती की अनुमति दी गई है, को करदाता द्वारा उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पांच वर्ष की समाप्ति से पहले किसी भी समय स्थानांतरित किया जाता है जिसमें ऐसी संपत्ति का कब्जा उसके द्वारा प्राप्त किया जाता है या वह रिफंड के माध्यम से या अन्यथा धारा 80 सी (2) (*xviii) में निर्दिष्ट किसी भी राशि को वापस प्राप्त करता है, इन प्रावधानों के तहत कोई कटौती ऐसे पिछले वर्ष में भुगतान की गई ऐसी राशियों के संबंध में अनुमति नहीं दी जाएगी जिसमें स्थानांतरण किया गया है और पहले के वर्षों में अनुमत आय की कटौती की कुल राशि ऐसे पिछले वर्ष की* करदाता की कुल आय में जोड़ दी जाएगी और तदनुसार कर के लिए उत्तरदायी होगी।

(13) विकास शुल्क या दान या समान प्रकृति के भुगतान को छोड़कर, चाहे प्रवेश के समय या उसके बाद, कर्मचारी के किन्हीं दो बच्चों की पूर्णकालिक शिक्षा के उद्देश्य से भारत में स्थित किसी विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल या अन्य शैक्षणिक संस्थान को भुगतान की गई ट्यूशन फीस।

(14) किसी सार्वजनिक कंपनी द्वारा जारी पूंजी के किसी पात्र निर्गम का हिस्सा बनने वाले इक्विटी शेयरों या डिबेंचर का अभिदान, जिसे बोर्ड या किसी सार्वजनिक वित्त संस्थान द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

(15) धारा 10 के खंड (23डी) में निर्दिष्ट और बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी म्यूचुअल फंड की किसी भी इकाई में अभिदान, यदि ऐसी इकाइयों में अभिदान की राशि किसी कंपनी की पूंजी के केवल पात्र निर्गम में अभिदत्त की जाती है।

(16) किसी अनुसूचित बैंक में कम से कम पांच वर्ष की निश्चित अवधि के लिए सावधि जमा के रूप में निवेश, जो इन प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में तैयार और अधिसूचित योजना के अनुसार हो।

[केंद्र सरकार ने इस प्रयोजन के लिए अधिसूचना एसओ संख्या 1220 (ई), दिनांक 28.7.2006 के तहत बैंक सावधि जमा योजना, 2006 को अधिसूचित किया है]

(17) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा जारी ऐसे बांडों में अभिदान, जिन्हें केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस संबंध में निर्दिष्ट करे।

(18) वरिष्ठ नागरिक बचत योजना नियम, 2004 के अंतर्गत किसी खाते में किया गया कोई भी निवेश।

(19) डाकघर सावधि जमा नियम, 1981 के अंतर्गत किसी खाते में पांच वर्ष की सावधि जमा के रूप में कोई भी निवेश ।

(20) धारा 80सीसीडी में निर्दिष्ट पेंशन योजना के किसी निर्दिष्ट खाते में केंद्र सरकार के कर्मचारी द्वारा किया गया कोई अंशदान -

(ए) कम से कम तीन वर्ष की निश्चित अवधि के लिए; और

(*बी*) जो इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित योजना के अनुसार होगा।

स्पष्टीकरण.- इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "विनिर्दिष्ट खाता" से पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की

धारा 20 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट अतिरिक्त खाता अभिप्रेत है।

बी. धारा 80 सी (3) और 80 सी (3 ए) में कहा गया है कि आस्थगित वार्षिकी के लिए अनुबंध के अलावा बीमा पॉलिसी के मामले में किसी भी प्रीमियम या अन्य भुगतान की राशि निम्न तक सीमित है:

1 अप्रैल, 2012 से पहले जारी की गई पॉलिसी	वास्तविक बीमित पूंजी राशि का 20%
1 अप्रैल, 2012 को या उसके बाद जारी की गई पॉलिसी	वास्तविक बीमित पूंजी राशि का 10%
1 अप्रैल, 2013 को या उसके बाद जारी की गई पॉलिसी * - धारा 80यू के अनुसार विकलांगता वाले या गंभीर विकलांगता वाले व्यक्ति या धारा 80डीडीबी के तहत बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट बीमारी या व्याधि से पीड़ित व्यक्ति के मामले में	वास्तविक पूंजीगत बीमित राशि का 15%

*वित्त अधिनियम, 2013 द्वारा प्रस्तुत

जीवन बीमा पॉलिसी के संबंध में वास्तविक पूंजीगत बीमा राशि का अर्थ है पॉलिसी की अवधि के दौरान किसी भी समय बीमित घटना के घटित होने पर पॉलिसी के तहत न्यूनतम बीमित राशि, जिसमें निम्नलिखित को शामिल नहीं किया जाता है -

मैं। किसी भी प्रीमियम का मूल्य वापस करने के लिए सहमत, या

ii. किसी भी व्यक्ति द्वारा पॉलिसी के अंतर्गत वास्तविक बीमित राशि के अतिरिक्त बोनस या अन्य किसी रूप में प्राप्त किया जाने वाला कोई भी लाभ।

5.5.2 कुछ पेंशन निधियों में योगदान के संबंध में कटौती (धारा 80सीसीसी)

धारा 80सीसीसी, किसी कर्मचारी को भारतीय जीवन बीमा निगम या किसी अन्य बीमाकर्ता की किसी वार्षिकी योजना के लिए धारा 10(23एएबी) में निर्दिष्ट निधि से पेंशन प्राप्त करने हेतु अनुबंध को प्रभावी बनाने या लागू रखने हेतु उसकी कर-योग्य आय में से भुगतान की गई या जमा की गई राशि की कटौती की अनुमति देती है। हालाँकि, कटौती में कर्मचारी के खाते में अर्जित या जमा किया गया ब्याज या बोनस, यदि कोई हो, शामिल नहीं होगा और यह 1,50,000 रुपये से अधिक नहीं होगा। हालाँकि, यदि उपर्युक्त निधि में कर्मचारी के खाते में कोई राशि जमा है और ऊपर बताए अनुसार कटौती की अनुमति दी गई है और कर्मचारी या उसके नामित व्यक्ति को यह राशि, निम्नलिखित कारणों से इस खाते में अर्जित या जमा किए गए ब्याज या बोनस के साथ प्राप्त होती है।

(*मैं*) वार्षिकी योजना का पूर्णतः या आंशिक रूप से समर्पण

(*ii*) वार्षिकी योजना से प्राप्त पेंशन

तो वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त राशि उस वित्तीय वर्ष के लिए कर्मचारी या उसके नामिती की आय होगी और तदनुसार उस पर कर लगाया जाएगा।

जहां कर्मचारी द्वारा भुगतान या जमा की गई किसी राशि को इस धारा के प्रयोजनों के लिए ध्यान में रखा गया है, ऐसी राशि के संदर्भ में कटौती धारा 80 सी के तहत अनुमति नहीं दी जाएगी।

5.5.3 केंद्र सरकार की पेंशन योजना में अंशदान के संबंध में कटौती (धारा 80सीसीडी):

धारा 80सीसीडी(1) किसी कर्मचारी को, जो 1-1-2004 को या उसके बाद केंद्र सरकार द्वारा नियोजित व्यक्ति हो या किसी अन्य नियोक्ता द्वारा नियोजित व्यक्ति हो, या कोई अन्य करदाता व्यक्ति हो, किसी पेंशन योजना के अंतर्गत कर-योग्य उसकी आय में से भुगतान की गई या जमा की गई राशि की कटौती की अनुमति देता है, जैसा कि अधिसूचना एफएन 5/7/2003- ईसीबीएंडपीआर, दिनांक 22.12.2003 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली-एनपीएस द्वारा अधिसूचित किया गया हो या जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया हो। हालाँकि, यह कटौती कर्मचारी के मामले में उसके वेतन के 10% (महंगाई भत्ता शामिल है, लेकिन अन्य सभी भत्ते और अनुलाभ शामिल नहीं हैं) और किसी अन्य मामले में उसकी सकल कुल आय के 20% के बराबर राशि से अधिक नहीं होगी।

धारा 80सीसीडी(1बी) के अनुसार, 80 सीसीडी(1) में निर्दिष्ट करदाता को उसकी आय की गणना में, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित या अधिसूचित पेंशन योजना के अंतर्गत पिछले वर्ष उसके खाते में भुगतान की गई या जमा की गई संपूर्ण राशि की कटौती की अनुमति होगी, जो 50,000 रुपये से अधिक नहीं होगी। 50,000 रुपये की कटौती की अनुमति होगी, चाहे उप-धारा (1) के अंतर्गत कोई कटौती अनुमत हो या नहीं। हालाँकि, धारा 80सीसीडी की उप-धारा (1) और उप-धारा (1बी) दोनों के अंतर्गत एक ही राशि का दावा नहीं किया जा सकता है।

धारा 80सीसीडी(2) के अनुसार, जहाँ उक्त पेंशन योजना में केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी अन्य नियोक्ता द्वारा कोई अंशदान किया जाता है, तो कर्मचारी को उसकी कुल आय में से केंद्र सरकार या किसी अन्य नियोक्ता द्वारा अंशदान की गई पूरी राशि की कटौती की अनुमति होगी। यह कटौती केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा उसके वेतन में किए गए अंशदान की सीमा 14% और किसी अन्य नियोक्ता द्वारा अंशदान किए जाने की स्थिति में 10% होगी। नियोक्ता के "राज्य सरकार" होने के संबंध में प्रावधान 1 अप्रैल, 2020 से पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी हैं और तदनुसार, आकलन वर्ष 2020-2021 और उसके बाद के आकलन वर्षों के संबंध में लागू होते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस दौरान किए गए 14% से अधिक के किसी भी अंशदान पर कोई अतिरिक्त कर देयता

उत्पन्न न हो।

धारा 80सीसीडी(3) के अनुसार, उपधारा (1) या उपधारा (1बी) में निर्दिष्ट करदाता के खाते में जमा कोई राशि, जिसके संबंध में उन उपधाराओं या उपधारा (2) के अंतर्गत कटौती की अनुमति दी गई है, उस पर उपार्जित राशि सहित, यदि कोई हो, करदाता या उसके नामिती द्वारा पेंशन योजना को बंद करने या उससे बाहर निकलने के कारण पूर्णतः या आंशिक रूप से प्राप्त की जाती है या ऐसे बंद करने या बाहर निकलने पर खरीदी गई या ली गई वार्षिकी योजना से पेंशन के रूप में प्राप्त की जाती है, तो पूरी राशि उस पिछले वर्ष में करदाता या उसके नामिती की आय मानी जाएगी और तदनुसार उस पर पिछले वर्ष से संबंधित उक्त कर निर्धारण वर्ष में कर लगाया जाएगा।

सीसीडी(4) के अनुसार , करदाता द्वारा भुगतान या जमा की गई किसी भी राशि को उप-धारा (1) या उप-धारा (1बी) के तहत कटौती के रूप में अनुमति दी गई है, 1-4-2006 से पहले समाप्त होने वाले किसी भी कर निर्धारण वर्ष के लिए धारा 88 के तहत ऐसी राशि के संदर्भ में कोई छूट नहीं दी जाएगी और 1-4-2006 को या उसके बाद शुरू होने वाले किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए धारा 80सी के तहत ऐसी राशि के संदर्भ में कोई कटौती नहीं दी जाएगी।

सीसीडी (5) के अनुसार , यदि करदाता ने पिछले वर्ष में कोई राशि प्राप्त नहीं की है, तो ऐसी राशि का उपयोग उसी पिछले वर्ष में वार्षिकी योजना खरीदने के लिए किया जाता है।

पैरा 5.3.7 में चर्चा की गई धारा 10 (12ए) और धारा 10 (12बी) के प्रावधानों के अधीन, यदि ऊपर उल्लिखित पेंशन योजना में कर्मचारी के खाते में कोई राशि जमा है और ऊपर बताए अनुसार कटौती की अनुमति दी गई है, और कर्मचारी या उसके नामित व्यक्ति को इस राशि को उस पर अर्जित राशि के साथ प्राप्त होता है, तो

(*मैं*) पेंशन योजना को बंद करना या उससे बाहर निकलना, या

(*ii*) खरीदी गई वार्षिकी योजना से प्राप्त पेंशन और ऐसे बंद होने या इससे बाहर निकलने पर ली गई पेंशन,

तो वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त राशि उस वित्तीय वर्ष के लिए कर्मचारी या उसके नामित व्यक्ति की आय होगी और तदनुसार उस पर कर लगाया जाएगा।

करदाता की मृत्यु पर, पेंशन बंद होने या चालू होने पर, नामिती द्वारा प्राप्त राशि, नामिती की आय नहीं मानी जाएगी। जहाँ कर्मचारी द्वारा भुगतान या जमा की गई किसी भी राशि को इस धारा के प्रयोजनों के लिए ध्यान में रखा गया है, वहाँ धारा 80सी के तहत ऐसी राशि के संदर्भ में कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इसके अलावा, यह निर्दिष्ट किया गया है कि 1-4-2009 से नई पेंशन योजना से कर्मचारी द्वारा प्राप्त कोई भी राशि पिछले वर्ष में प्राप्त नहीं हुई मानी जाएगी यदि ऐसी राशि का उपयोग उसी पिछले वर्ष में वार्षिकी योजना खरीदने के लिए किया जाता है।

इस बात पर ज़ोर दिया जाता है कि धारा 80सीसीई के अनुसार, धारा 80सी, 80सीसीसी और धारा 80सीसीडी (1) के अंतर्गत कटौती की कुल राशि 1,50,000/- रुपये से अधिक नहीं होगी। धारा 80सीसीडी(1बी) के अंतर्गत दी जाने वाली कटौती, एनपीएस में 50,000/- रुपये तक की किसी भी राशि के भुगतान पर एक अतिरिक्त कटौती है । हालाँकि, केंद्र सरकार या किसी अन्य नियोक्ता द्वारा धारा 80 सीसीडी(2) के अंतर्गत किसी पेंशन योजना में किया गया अंशदान इस धारा के अंतर्गत निर्धारित 1,50,000/- रुपये की सीमा से बाहर रखा जाएगा।

5.5.4 भुगतान किए गए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम आदि के संबंध में कटौती (धारा 80डी)

विवरण	केस-1		केस-2		केस-3	
	स्वयं एवं परिवार (इनमें से कोई भी वरिष्ठ नागरिक नहीं है)	माता-पिता (उनमें से कोई भी वरिष्ठ नागरिक नहीं है)	स्वयं एवं परिवार (इनमें से कोई भी वरिष्ठ नागरिक नहीं है)	माता-पिता (उनमें से कम से कम एक वरिष्ठ नागरिक हो)	स्वयं एवं परिवार (उनमें से कम से कम एक वरिष्ठ नागरिक हो)	माता-पिता (उनमें से कम से कम एक वरिष्ठ नागरिक हो)
चिकित्सा बीमा, आदि*	25,000	25,000	25,000	50,000	50,000	50,000
चिकित्सा व्यय**	--	--	--	50,000	50,000	50,000
अधिकतम स्वीकार्य कटौती	25,000	25,000	25,000	50,000	50,000	50,000
धारा 80डी के तहत स्वीकार्य कटौती की कुल राशि	50,000		75,000		1,00,000	

***** इसमें (*i*) स्वयं एवं परिवार के लिए केन्द्र सरकार की स्वास्थ्य योजना/अधिसूचित योजना में अंशदान, तथा (*ii*) निवारक स्वास्थ्य जांच के लिए 5,000/- रुपये तक की राशि शामिल है।

****** यह तभी स्वीकार्य है जब चिकित्सा बीमा के लिए कोई राशि का भुगतान न किया गया हो।

नोट 1: निवारक स्वास्थ्य जांच के लिए भुगतान नकद या किसी अन्य तरीके से किया जा सकता है, जबकि निवारक स्वास्थ्य जांच के अलावा अन्य भुगतान केवल

गैर-नकद मोड में किया जा सकता है।

नोट 2: वित्त अधिनियम, 2018 ने अधिनियम की धारा 80डी में संशोधन किया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि एक वर्ष से अधिक के कवर वाली एकल प्रीमियम स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के मामले में, कटौती उन वर्षों की संख्या के लिए आनुपातिक आधार पर दी जाएगी, जिसके लिए स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया गया है, जो ऊपर निर्दिष्ट मौद्रिक सीमाओं के अधीन है।

यहाँ

(*मैं*) "परिवार" का तात्पर्य कर्मचारी के पति/पत्नी और आश्रित बच्चों से है।

(*ii*) "वरिष्ठ नागरिक" से तात्पर्य भारत में निवास करने वाले ऐसे व्यक्ति से है जो प्रासंगिक पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय साठ वर्ष या उससे अधिक आयु का हो।

1. डीडीओ को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऊपर उल्लिखित चिकित्सा बीमा इस संबंध में बनाई गई योजना के अनुसार होगा -

(ए) साधारण बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 9 के अधीन गठित और इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित भारतीय साधारण बीमा निगम; या

(*बी*) किसी अन्य बीमाकर्ता द्वारा अनुमोदित और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत स्थापित बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित।

2. स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का एकमुश्त भुगतान।
यदि स्वास्थ्य बीमा को एक वर्ष से अधिक समय तक प्रभावी रखने के लिए एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाता है, तो धारा 80डी की उपधारा (4ए) के अनुसार, जिस वर्ष भुगतान किया गया था, उसके लिए तथा आगामी वर्ष/वर्षों के लिए आनुपातिक कटौती (उचित अंश) स्वीकार्य होगी।

5.5.5 विकलांग व्यक्तियों या आश्रितों पर व्यय के संबंध में कटौती

(क) आश्रित, जो विकलांग व्यक्ति है, के चिकित्सा उपचार सहित भरण-पोषण के संबंध में कटौती (धारा 80डीडी):

धारा 80डीडी के तहत, जहां कोई कर्मचारी, जो भारत का निवासी है, पिछले वर्ष के दौरान-

(ए) आश्रित , जो विकलांग व्यक्ति हो, के चिकित्सा उपचार (नर्सिंग सहित), प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए कोई व्यय किया हो ; या

(*बी*) जीवन बीमा निगम या किसी अन्य बीमाकर्ता या प्रशासक या निर्दिष्ट कंपनी द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन और बोर्ड द्वारा इस संबंध में अनुमोदित किसी योजना के तहत किसी आश्रित, जो विकलांग व्यक्ति है, के भरण-पोषण के लिए कोई राशि का भुगतान या जमा किया जाता है, तो कर्मचारी को उस वर्ष की उसकी सकल कुल आय से 75,000 /- **रुपये की राशि की कटौती की अनुमति दी जाएगी।**

तथापि, जहां ऐसा आश्रित गंभीर विकलांगता वाला व्यक्ति है, वहां निर्दिष्ट शर्तों के अधीन 1,25,000/- रुपये की राशि कटौती के रूप में दी जाएगी।

ख) के अंतर्गत कटौती पहले केवल तभी दी जाती थी जब निम्नलिखित शर्त पूरी होती थी:

(*मैं*) *ख)* में निर्दिष्ट योजना में उस व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में, जिसके नाम पर योजना में अंशदान किया गया है, आश्रित, जो विकलांग व्यक्ति है, के लाभ के लिए वार्षिकी या एकमुश्त राशि के भुगतान का प्रावधान है;

उप-खंड (*क) में उल्लिखित* शर्तों (*i*) या (*ii) में से किसी एक की पूर्ति पर कटौती की अनुमति देता है* । यह निम्नानुसार है:

(ए) उपधारा (1) के खंड (*ख)* में निर्दिष्ट योजना, आश्रित , जो दिव्यांग व्यक्ति है, के लाभ के लिए वार्षिकी या एकमुश्त राशि के भुगतान का प्रावधान करती है ,—

(*मैं*) उस व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्य की मृत्यु की स्थिति में जिसके नाम पर योजना में अंशदान किया गया है; या

(*ii*) ऐसे व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्य द्वारा साठ वर्ष या उससे अधिक की आयु प्राप्त करने पर, और ऐसी योजना के लिए भुगतान या जमा बंद कर दिया गया है;

(*बी*) करदाता , आश्रित, जो कि दिव्यांग व्यक्ति है, या किसी अन्य व्यक्ति या ट्रस्ट को, आश्रित, जो कि दिव्यांग व्यक्ति है, के लाभ के लिए, उसकी ओर से भुगतान प्राप्त करने के लिए नामित करता है ।

तथापि, यदि आश्रित, जो दिव्यांग व्यक्ति है, कर्मचारी से पहले मर जाता है, तो उप-पैरा (*ख*) के अंतर्गत भुगतान की गई या जमा की गई राशि के बराबर राशि, उस पिछले वर्ष की कर्मचारी की आय मानी जाएगी जिसमें ऐसी राशि कर्मचारी द्वारा प्राप्त की गई थी और तदनुसार उस पिछले वर्ष की आय के रूप में कर के लिए प्रभार्य होगी।

करदाता को , जिस कर निर्धारण वर्ष में कटौती का दावा किया गया है, उस वर्ष की धारा 139 के अंतर्गत आयकर विवरणी के साथ, निर्धारित प्रपत्र और तरीके से चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी। हालाँकि, उस पिछले वर्ष की समाप्ति के बाद शुरू होने वाले किसी भी पिछले वर्ष से संबंधित किसी भी कर निर्धारण वर्ष के लिए कोई कटौती नहीं दी जाएगी, जिसके दौरान उक्त विकलांगता प्रमाण पत्र समाप्त हो गया था, जब तक कि निर्धारित प्रपत्र और तरीके से एक नया प्रमाण पत्र प्राप्त न कर लिया जाए।

ख. विकलांग व्यक्ति के संबंध में कटौती (धारा 80यू)

धारा 80यू के तहत, किसी निवासी व्यक्ति की कुल आय की गणना करते समय, जिसे पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा दिव्यांग व्यक्ति प्रमाणित किया जाता है, उसे 75,000/- रुपये की कटौती की अनुमति होगी। हालाँकि, जहाँ ऐसा व्यक्ति गंभीर रूप से दिव्यांग है, वहाँ 1,25,000/- रुपये की उच्चतर कटौती स्वीकार्य होगी।

डीडीओ को ध्यान रखना चाहिए कि 80डीडी कटौती कर्मचारी के आश्रितों के लिए है, जबकि 80यू कटौती स्वयं कर्मचारी के लिए है। हालाँकि, दोनों धाराओं के अंतर्गत, कर्मचारी को डीडीओ को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करनी होगी:

1. नियम 11ए (1) में परिभाषित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा नियम 11ए (2) के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में जारी प्रमाण पत्र की एक प्रति। डीडीओ को कटौती की अनुमति केवल तभी देनी होगी जब वह यह देख ले कि प्रस्तुत प्रमाण पत्र इस नियम में परिभाषित चिकित्सा प्राधिकारी से है और उसमें उल्लिखित प्रारूप में है।
2. इसके अतिरिक्त, ऐसे मामलों में जहां विकलांगता की स्थिति अस्थायी है और पूर्वोक्त प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि के बाद इसकी सीमा का पुनः आकलन अपेक्षित है, इस धारा के अंतर्गत किसी भी बाद की अवधि के लिए कोई कटौती नहीं दी जाएगी, जब तक कि उपरोक्त 1 के अनुसार चिकित्सा प्राधिकारी से नया प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लिया जाता है और डीडीओ के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता है।
3. धारा 80डीडी और 80यू के प्रयोजनों के लिए परिभाषित कुछ शब्द निम्नानुसार हैं: -

(ए) भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 की धारा 2 के खंड (*क*) में निर्दिष्ट प्रशासक से है ;

(*बी*) " आश्रित " का अर्थ है-

(*मैं*) किसी व्यक्ति के मामले में, उस व्यक्ति के पति/पत्नी, बच्चे, माता-पिता, भाई-बहन या उनमें से कोई भी;

(*ii*) हिंदू अविभाजित परिवार के मामले में, हिंदू अविभाजित परिवार का कोई सदस्य, जो अपने भरण-पोषण के लिए पूर्णतः या मुख्यतः ऐसे व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार पर निर्भर है, और जिसने पिछले वर्ष से संबंधित कर निर्धारण वर्ष के लिए अपनी कुल आय की गणना करने में धारा 80यू के अंतर्गत किसी कटौती का दावा नहीं किया है;

(*सी*) "विकलांगता" का वही अर्थ होगा जो दिव्यांगजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 2 के खंड (*i) में दिया गया है और इसमें ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु दिव्यांगजन कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 की धारा 2 के खंड (क*), (*ग*) और (ज) में निर्दिष्ट "ऑटिज्म", "सेरेब्रल पाल्सी" और "बहु दिव्यांगता" शामिल हैं;

(*डी*) "जीवन बीमा निगम" का वही अर्थ होगा जो धारा 88 की उपधारा (8) के खंड (*iii) में है;*

(*ई*) "चिकित्सा प्राधिकरण" का अर्थ है विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 2 के खंड (*पी*) में निर्दिष्ट चिकित्सा प्राधिकरण या ऐसे अन्य चिकित्सा प्राधिकरण, जो अधिसूचना द्वारा, केंद्रीय सरकार द्वारा ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु विकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम, 1999 की धारा 2 के खंड (ए), (*सी*), (एच), (जे) और (*ओ*) में निर्दिष्ट "ऑटिज्म", "सेरेब्रल पाल्सी", "बहु विकलांगता", "विकलांग व्यक्ति" और "गंभीर विकलांगता" को प्रमाणित करने के लिए निर्दिष्ट किया जा सकता है;

(एफ) "दिव्यांग व्यक्ति" से तात्पर्य दिव्यांगजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 2 के खंड (*टी) या* ऑटिज्म, मस्तिष्क पक्षाघात, मानसिक मंदता और बहुदिव्यांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 की धारा 2 के खंड (*जे) में निर्दिष्ट व्यक्ति से है;*

(*जी*) "गंभीर विकलांगता वाले व्यक्ति" का अर्थ है-

(*मैं*) दिव्यांगजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 56 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट एक या एक से अधिक दिव्यांगताओं में से अस्सी प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाला व्यक्ति; या

(*ii*) ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु विकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 की धारा 2 के खंड (*ओ)* में निर्दिष्ट गंभीर विकलांगता वाला व्यक्ति ;

(एच) यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 की धारा 2 के खंड (*एच*) में निर्दिष्ट कंपनी से है।

5.5.6 चिकित्सा उपचार आदि के संबंध में कटौती (धारा 80डीडीबी):

धारा 80DDB, भारत में निवासी किसी कर्मचारी को, पिछले वर्ष के दौरान, स्वयं या किसी आश्रित के लिए नियम 11DD(1) में निर्दिष्ट किसी बीमारी या व्याधि के चिकित्सा उपचार हेतु वास्तव में भुगतान की गई किसी भी राशि पर कटौती की अनुमति देती है। अनुमत कटौती कर्मचारी या उसके आश्रित के संबंध में वास्तव में भुगतान की गई राशि के बराबर या ₹40,000, जो भी कम हो, के बराबर होगी।

अब नियम 11DD में उल्लिखित किसी ऑन्कोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, हेमेटोलॉजिस्ट, इम्यूनोलॉजिस्ट या ऐसे ही किसी अन्य विशेषज्ञ के पर्चे के आधार पर कटौती की अनुमति दी जा सकती है। हालाँकि, दावे की राशि में बीमाकर्ता से प्राप्त या नियोक्ता द्वारा प्रतिपूर्ति की गई राशि को घटा दिया जाएगा। इसके अलावा, यदि ऐसा दावा करने वाला व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष या उससे अधिक आयु का) है, तो एक लाख रुपये तक की कटौती की अनुमति है।

इस धारा के प्रयोजन के लिए, किसी कर्मचारी के मामले में, "आश्रित" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति, पति/पत्नी, बच्चे, माता-पिता, भाई-बहन या उनमें से किसी से है, जो अपने भरण-पोषण के लिए पूर्णतः या मुख्यतः कर्मचारी पर निर्भर है।

अधिसूचना संख्या 2791(ई), दिनांक 12.10.2015 के तहत, नियम 11DD में संशोधन करके फॉर्म 10-I में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। अब नियमों में निर्दिष्ट विशेषज्ञ से एक पर्चा प्राप्त करना आवश्यक होगा, जिसमें रोगी का नाम और आयु, रोग/व्याधि का नाम, साथ ही पर्चा जारी करने वाले विशेषज्ञ का नाम, पता, पंजीकरण संख्या और योग्यता का विवरण हो।

5.5.7 उच्च शिक्षा के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में कटौती (धारा 80ई):

धारा 80ई के तहत किसी वित्तीय संस्थान या किसी अनुमोदित धर्मार्थ संस्थान से उच्च शिक्षा के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज के भुगतान के संबंध में कटौती की अनुमति दी गई है, जिसका उद्देश्य व्यक्ति की उच्च शिक्षा या उसके पति/पत्नी या उसके बच्चों या उस छात्र की उच्च शिक्षा है, जिसका वह कानूनी अभिभावक है।

यह कटौती उस वित्तीय वर्ष के लिए कुल आय की गणना में दी जाएगी जिसमें कर्मचारी द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज का भुगतान करना शुरू किया जाता है और उसके तुरंत बाद के सात वित्तीय वर्षों तक या उस वित्तीय वर्ष तक जिसमें कर्मचारी द्वारा ब्याज का पूरा भुगतान किया जाता है, जो भी पहले हो।

इस धारा के प्रयोजन के लिए -

(ए) " अनुमोदित धर्मार्थ संस्था" से तात्पर्य धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए स्थापित और धारा 10(23सी) के अंतर्गत विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित संस्था या धारा 80जी(2)(क) में निर्दिष्ट संस्था से है;

(*बी*) " वित्तीय संस्था" से तात्पर्य ऐसी बैंकिंग कंपनी से है जिस पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 लागू होता है (जिसके अंतर्गत उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट कोई बैंक या बैंकिंग संस्था भी है); या कोई अन्य वित्तीय संस्था जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस संबंध में निर्दिष्ट करे;

(*सी*) " उच्च शिक्षा" से तात्पर्य किसी विद्यालय, बोर्ड या विश्वविद्यालय से वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षा या इसके समकक्ष उत्तीर्ण करने के बाद किया जाने वाला अध्ययन का कोई पाठ्यक्रम है, जिसे केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त हो या ऐसा करने के लिए केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त हो;

5.5.8 कुछ गृह संपत्ति के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में कटौती (धारा 80ईईए):

वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2019 (2019 की संख्या 23) द्वारा शुरू की गई धारा 80ईईए, किसी व्यक्ति (धारा 80ईई के तहत कटौती का दावा करने के लिए पात्र नहीं) की सकल कुल आय से आवासीय गृह संपत्ति के अधिग्रहण के उद्देश्य से किसी भी वित्तीय संस्थान से उसके द्वारा लिए गए ऋण पर देय ब्याज के संबंध में कटौती की अनुमति देती है, यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं: -

(*मैं*) वित्तीय संस्थान द्वारा ऋण 1 अप्रैल, 2019 से शुरू होकर 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान स्वीकृत किया गया है;

(*ii*) आवासीय गृह संपत्ति का स्टाम्प शुल्क मूल्य पैंतालीस लाख रुपये से अधिक नहीं है;

(*iii*) ऋण स्वीकृति की तिथि पर करदाता के पास कोई आवासीय गृह संपत्ति नहीं है ।

इस धारा के प्रयोजनों के लिए ,—

(ए) "वित्तीय संस्था" पद का वही अर्थ होगा जो धारा 80ईई की उपधारा (5) के खंड (*क) में है;*

(*बी*) "स्टाम्प ड्यूटी मूल्य" से तात्पर्य किसी अचल संपत्ति के संबंध में स्टाम्प ड्यूटी के भुगतान के प्रयोजन के लिए केन्द्र सरकार या राज्य

सरकार के किसी प्राधिकारी द्वारा अपनाया गया या निर्धारित या निर्धारणीय मूल्य से है।

इस कटौती की राशि 1,50,000/- रुपये से अधिक नहीं होगी और इसे कर निर्धारण वर्ष 2020-21 और उसके बाद के कर निर्धारण वर्षों के लिए व्यक्ति की कुल आय की गणना में अनुमति दी जाएगी।

जहां इस धारा के अंतर्गत कटौती इस धारा में निर्दिष्ट किसी ब्याज के लिए अनुज्ञात की जाती है, वहां उसी या किसी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अंतर्गत ऐसे ब्याज के संबंध में कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

5.5.9 इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के उद्देश्य से लिए गए ऋण पर देय ब्याज के संबंध में कटौती (80ईईबी)

वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2019 (2019 की संख्या 23) द्वारा शुरू की गई धारा 80ईईबी, किसी व्यक्ति द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के उद्देश्य से किसी वित्तीय संस्थान से लिए गए ऋण पर देय ब्याज के संबंध में उसकी सकल कुल आय से कटौती की अनुमति देती है, यदि ऋण 1-4-2019 से 31-3-2023 की अवधि के दौरान वित्तीय संस्थान द्वारा स्वीकृत किया गया हो।

इस धारा के प्रयोजनों के लिए ,—

(ए) " इलेक्ट्रिक वाहन" से तात्पर्य ऐसे वाहन से है जो विशेष रूप से इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा संचालित होता है, जिसकी कर्षण ऊर्जा विशेष रूप से वाहन में स्थापित कर्षण बैटरी द्वारा आपूर्ति की जाती है और इसमें ऐसी इलेक्ट्रिक पुनर्योजी ब्रेकिंग प्रणाली होती है, जो ब्रेक लगाने के दौरान वाहन की गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है;

(*बी*) " वित्तीय संस्था" से तात्पर्य ऐसी बैंकिंग कंपनी से है जिस पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) लागू होता है, या उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट कोई बैंक या बैंकिंग संस्था है और इसमें धारा 43बी के स्पष्टीकरण 4 के खंड (ई) और (*जी*) में परिभाषित कोई जमा स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी या प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी शामिल है।

इस कटौती की राशि 1,50,000/- रुपये से अधिक नहीं होगी और इसे कर निर्धारण वर्ष 2020-21 और उसके बाद के कर निर्धारण वर्षों के लिए व्यक्ति की कुल आय की गणना में अनुमति दी जाएगी।

जहां इस धारा के अंतर्गत कटौती इस धारा में निर्दिष्ट किसी ब्याज के लिए अनुज्ञात की जाती है, वहां उसी या किसी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अंतर्गत ऐसे ब्याज के संबंध में कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

5.5.10 कुछ निधियों, धर्मार्थ संस्थाओं आदि को दिए गए दान के संबंध में कटौती (धारा 80जी):

धारा 80जी विभिन्न निधियों, धर्मार्थ संगठनों आदि को दिए गए दान के कारण कटौती का प्रावधान करती है। ऐसे मामलों में जहां कर्मचारी अपने संबंधित नियोक्ताओं के माध्यम से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, मुख्यमंत्री राहत कोष या उपराज्यपाल राहत कोष में दान करते हैं, ऐसी निधियों के लिए प्रत्येक कर्मचारी को ऐसे कोष में किए गए दान के संबंध में अलग प्रमाण पत्र जारी करना संभव नहीं है क्योंकि इन निधियों में किए गए योगदान एक समेकित चेक के रूप में होते हैं। जो कर्मचारी इन निधियों में दान करता है वह धारा 80जी के तहत कटौती का दावा करने के लिए पात्र है। एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर बताए गए ऐसे दान के संबंध में दावा आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ)/नियोक्ता द्वारा इस संबंध में जारी प्रमाण पत्र के आधार पर धारा 80जी के तहत स्वीकार्य होगा - परिपत्र संख्या 2/2005, दिनांक 12-1-2005।

यदि दान की राशि 2000/- रुपये से अधिक है तो इस धारा के अंतर्गत कोई कटौती स्वीकार्य नहीं है, जब तक कि राशि नकद के अलावा किसी अन्य तरीके से भुगतान न की गई हो।

5.5.11 भुगतान किए गए किराए के संबंध में कटौती (धारा 80जीजी):

धारा 80जीजी कर्मचारी को अपने आवास के लिए भुगतान किए गए मकान किराए के संबंध में कटौती का अधिकार देती है। यह कटौती निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमेय है: -

(ए) कर्मचारी को विशेष रूप से दिया गया कोई मकान किराया भत्ता प्राप्त नहीं हुआ है जो अधिनियम की धारा 10(13ए) के तहत छूट के लिए अर्हता प्राप्त करता हो;

(*बी*) कर्मचारी फॉर्म संख्या 10BA **(अनुलग्नक X) में घोषणा दाखिल करता है**

(*सी*) कर्मचारी के पास निम्नलिखित नहीं है:

(*मैं*) स्वयं या अपने पति/पत्नी या नाबालिग बच्चे द्वारा या जहां ऐसा कर्मचारी हिंदू अविभाजित परिवार का सदस्य है, वहां ऐसे परिवार द्वारा, उस स्थान पर जहां वह सामान्यतः निवास करता है या अपने कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करता है या अपना व्यवसाय या पेशा करता है, कोई आवासीय सुविधा; या

(*ii*) किसी अन्य स्थान पर, कोई आवासीय सुविधा जो कर्मचारी के कब्जे में है, जिसका मूल्य धारा 23(2)(क) या धारा 23(4)(क) के अधीन निर्धारित किया जाना है, जैसा भी मामला हो।

(*डी*) वह अपनी कुल आय के 10% से अधिक भुगतान किए गए मकान किराए पर कटौती का हकदार होगा। यह कटौती कुल आय के 25% या ₹5,000/- प्रति माह, जो भी कम हो, के बराबर होगी। धारा 80GG के तहत कोई भी कटौती करने से पहले इन प्रतिशतों की गणना के लिए कुल आय की गणना की जाएगी।

आहरण एवं संवितरण प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि कर्मचारी को ऐसी कटौती की अनुमति देने से पहले ऊपर उल्लिखित सभी शर्तें पूरी हो चुकी हैं। उन्हें किराए के वास्तविक भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत करने पर भी ज़ोर देकर इस संबंध में स्वयं को संतुष्ट करना चाहिए।

5.5.12 वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए कुछ दान के संबंध में कटौती (धारा 80 जीजीए):

धारा 80जीजीए किसी भी राशि के दान के संबंध में कर्मचारी की कुल आय से कटौती की अनुमति देती है, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

क्रम सं.	व्यक्तियों को दिए गए दान	धारा के अंतर्गत अनुमोदन/अधिसूचना	अनुमोदन/अधिसूचना प्रदान करने वाला प्राधिकरण
1	एक शोध संघ जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान करना है या एक विश्वविद्यालय, कॉलेज या अन्य संस्थान जिसका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जाना है	धारा 35(1)(*ii*) के तहत	केंद्र सरकार
2	एक शोध संघ जिसका उद्देश्य सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकीय अनुसंधान में अनुसंधान करना है या किसी विश्वविद्यालय, कॉलेज या अन्य संस्थान को सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकीय अनुसंधान में अनुसंधान के लिए उपयोग करना है	धारा 35(1)(*iii*) के तहत	केंद्र सरकार
3	कोई संघ या संस्था, जिसका उद्देश्य ग्रामीण विकास का कोई कार्यक्रम शुरू करना है, जिसका उपयोग धारा 35सीसीए के प्रयोजनों के लिए अनुमोदित ग्रामीण विकास के किसी कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए किया जाएगा।	धारा 35CCA (2) के तहत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है	नियम 6AAA के तहत विहित प्राधिकारी
4	एक संघ या संस्था जिसका उद्देश्य ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना है।	धारा 35CCA (2A) के तहत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है	नियम 6AAA के तहत विहित प्राधिकारी
5	किसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी या स्थानीय प्राधिकरण या राष्ट्रीय समिति द्वारा अनुमोदित किसी संघ या संस्था को किसी पात्र परियोजना या योजना को कार्यान्वित करने के लिए।	*a*) के तहत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है	सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण संवर्धन हेतु राष्ट्रीय समिति
6	कोई संघ या संस्था, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण या वनरोपण का कोई कार्यक्रम शुरू करना हो।	धारा 35सीसीबी के प्रयोजनों के लिए अनुमोदित।	केंद्र सरकार द्वारा स्थापित और अधिसूचित
7	वनरोपण के लिए एक कोष	धारा 35सीसीबी की उपधारा (1) के खंड (*बी)* के तहत अधिसूचित	केंद्र सरकार द्वारा स्थापित और अधिसूचित
8	ग्रामीण विकास निधि	धारा 35सीसीए (1)(*सी*) के तहत अधिसूचित	केंद्र सरकार द्वारा स्थापित और अधिसूचित
9	राष्ट्रीय शहरी गरीबी उन्मूलन कोष	धारा 35सीसीए (1)(*डी*) के तहत अधिसूचित	केंद्र सरकार द्वारा स्थापित और अधिसूचित

इस धारा के अंतर्गत निम्नलिखित मामलों में कोई कटौती स्वीकार्य नहीं है:

(*मैं*) कर्मचारी की सकल कुल आय में वह आय शामिल है जो "व्यवसाय या पेशे से लाभ और प्राप्ति" शीर्षक के अंतर्गत प्रभार्य है।

(*ii*) दान की राशि 2000 रुपये से अधिक है, जब तक कि ऐसी राशि नकद के अलावा किसी अन्य तरीके से भुगतान न की गई हो।

आहरण एवं संवितरण प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि कर्मचारी को ऐसी कटौती की अनुमति देने से पहले ऊपर बताई गई सभी शर्तें पूरी हो

चुकी हैं। उन्हें इस संबंध में दान के वास्तविक भुगतान का प्रमाण और दान देने वाले व्यक्ति से रसीद प्रस्तुत करने पर ज़ोर देकर भी संतुष्ट होना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अनुमोदन/अधिसूचना सही प्राधिकारी द्वारा जारी की गई है। आहरण एवं संवितरण प्राधिकारियों को कर्मचारी से यह स्व-घोषणा सुनिश्चित करनी चाहिए कि उसे "व्यवसाय या पेशे से प्राप्त लाभ" से कोई आय नहीं है।

5.5.13 बचत खाते में जमा राशि पर ब्याज के संबंध में कटौती (धारा 80टीटीए):

धारा 80टीटीए किसी कर्मचारी को, जो वरिष्ठ नागरिक कर्मचारी नहीं है, उसकी सकल कुल आय में से, यदि इसमें बचत खाते में जमा राशि (सावधि जमा नहीं) पर ब्याज के रूप में कोई आय शामिल है, निम्नलिखित राशि की कटौती की अनुमति देता है:

(*मैं*) ऐसे मामले में जहां ऐसी आय की रकम कुल मिलाकर दस हजार रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी पूरी रकम; और

(*ii*) अन्यथा दस हजार रुपये।

कटौती उपलब्ध है यदि ऐसा बचत खाता निम्नलिखित में रखा गया हो—

(ए) बैंकिंग कंपनी जिस पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 लागू होता है (उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट किसी भी बैंक या बैंकिंग संस्थान सहित);

(*बी*) बैंकिंग व्यवसाय चलाने में लगी सहकारी समिति (जिसमें सहकारी भूमि बंधक बैंक या सहकारी भूमि विकास बैंक भी शामिल है); या

(*सी*) भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की धारा 2 के खंड (*के*) में परिभाषित डाकघर।

इस खंड के लिए, "सावधि जमा" का अर्थ निश्चित अवधि की समाप्ति पर चुकाए जाने वाले जमा से है।

5.5.14 वरिष्ठ नागरिकों के मामले में जमा पर ब्याज के संबंध में कटौती (धारा 80टीटीबी):

वित्त अधिनियम, 2018 द्वारा शुरू की गई धारा 80टीटीबी एक वरिष्ठ नागरिक को जमा राशि पर ब्याज के रूप में आय के संबंध में उसकी सकल कुल आय से कटौती की अनुमति देती है -

(ए) बैंकिंग कंपनी जिस पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 लागू होता है (उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट किसी भी बैंक या बैंकिंग संस्थान सहित);

(*बी*) बैंकिंग व्यवसाय चलाने में लगी सहकारी समिति (जिसमें सहकारी भूमि बंधक बैंक या सहकारी भूमि विकास बैंक भी शामिल है); या

(*सी*) भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की धारा 2 के खंड (*ट*) में परिभाषित डाकघर।

जमा पर उपरोक्त ब्याज के संबंध में कटौती की राशि निम्नानुसार है: -

(*मैं*) ऐसे मामले में जहां ऐसी आय की रकम कुल मिलाकर पचास हजार रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी पूरी रकम; और

(*ii*) अन्यथा पचास हजार रुपये।

हालाँकि, धारा 80TTB के तहत फर्म के किसी भी भागीदार या संघ के किसी भी सदस्य या निकाय के किसी भी व्यक्ति को कोई कटौती नहीं दी जाती है, यदि उक्त ब्याज किसी फर्म, व्यक्तियों के संघ या व्यक्तियों के निकाय द्वारा या उसकी ओर से रखी गई किसी जमा राशि से प्राप्त होता है। इस प्रयोजन के लिए, "वरिष्ठ नागरिक" का अर्थ भारत में निवास करने वाला कोई व्यक्ति है जिसकी आयु संबंधित पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय साठ वर्ष या उससे अधिक हो।

हालाँकि, धारा 80टीटीबी के तहत कटौती का दावा करने वाले करदाता धारा 80टीटीए के तहत कटौती के लिए पात्र नहीं होंगे।

तक की कुल आय वाले व्यक्तियों के लिए 12,500 रुपये की छूट [धारा 87ए]

वित्त अधिनियम, 2019, 1-4-2019 से प्रभावी, भारत में रहने वाले उन व्यक्तिगत करदाताओं को छूट के रूप में राहत प्रदान करता है जो निम्न आय वर्ग में आते हैं, *अर्थात* जिनकी कुल आय 5,00,000/- रुपये से अधिक नहीं है। धारा 87A के अंतर्गत उपलब्ध छूट की राशि वित्तीय वर्ष 2019-20 से 12,500/- रुपये या देय कर की राशि, जो भी कम हो, है।

7. मान्यता प्राप्त भविष्य निधि के अंतर्गत संचित शेष राशि के भुगतान और अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि से अंशदान पर टीडीएस:

7.1 किसी मान्यता प्राप्त भविष्य निधि के न्यासी, या निधि के विनियमों द्वारा कर्मचारियों को देय संचित शेष राशि का भुगतान करने के लिए अधिकृत कोई व्यक्ति, उन मामलों में जहाँ अधिनियम की चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 9 का उप-नियम (1) लागू होता है, कर्मचारी को देय संचित शेष राशि का भुगतान करते समय, अधिनियम की चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 10 में निर्दिष्ट कटौती करेगा। संचित शेष राशि को "वेतन" शीर्षक के अंतर्गत प्रभार्य आय माना जाएगा।

7.2 जहाँ किसी नियोक्ता द्वारा किसी अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि में किया गया कोई अंशदान, जिसमें ऐसे अंशदानों पर ब्याज, यदि कोई हो, शामिल है, कर्मचारी को दिया जाता है, तो निधि के न्यासियों द्वारा अधिनियम की चौथी अनुसूची के भाग ख के नियम 6 में निर्धारित सीमा तक भुगतान की गई राशि पर कर की कटौती की जाएगी। टीडीएस उस औसत कर दर पर होना चाहिए जिस पर कर्मचारी पिछले तीन वर्षों के दौरान या उस अवधि के दौरान, यदि वह अवधि तीन वर्ष से कम

है, जब वह निधि का सदस्य था, कर योग्य था।

कटौतीकर्ता, लौटाए गए अंशदानों (यदि कोई हो तो ब्याज सहित) के कारण भुगतान की गई किसी भी राशि पर कर कटौती करने के लिए उत्तरदायी रहेगा, भले ही कोई निधि या निधि का कोई भाग अनुमोदित सुपरएनुएशन निधि न रह जाए।

7.3 अधिनियम की धारा 192ए के अनुसार, 1-6-2015 से ईपीएफ एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 5 के अंतर्गत बनाई गई ईपीएफ योजना, 1952 के न्यासी या योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को देय संचित राशि का भुगतान करने के लिए अधिकृत कोई व्यक्ति, ऐसे मामले में जहां किसी मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में भाग लेने वाले कर्मचारी को देय संचित राशि, कर्मचारी को देय संचित राशि के भुगतान के समय चौथी अनुसूची के भाग ए के नियम 8 के प्रावधानों के लागू न होने के कारण उसकी कुल आय में शामिल है, उस पर 10% की दर से आयकर की कटौती करेगा यदि ऐसे भुगतान की राशि या ऐसे भुगतान का कुल योग 50,000 रुपये से अधिक है। यदि कर्मचारी अपना पैन या आधार नंबर, जैसा भी मामला हो, प्रदान नहीं करता है, या अमान्य पैन या आधार नंबर, जैसा भी मामला हो, प्रदान करता है, तो कटौती अधिकतम सीमांत दर पर की जाएगी।

अधिनियम की चौथी अनुसूची के भाग-ए का नियम 8 कुल आय से कर्मचारी को देय और देय होने वाले निम्नलिखित संचित शेष को बाहर करता है;

(*मैं*) यदि उसने अपने नियोक्ता के साथ पांच वर्ष या उससे अधिक की अवधि तक निरंतर सेवा की है, या

(*ii*) यदि, यद्यपि उसने ऐसी निरंतर सेवा नहीं दी है, तो सेवा को इस कारण से समाप्त कर दिया गया है -

- कर्मचारी का खराब स्वास्थ्य, या
- नियोक्ता के व्यवसाय के संकुचन या बंद होने से या
- कर्मचारी के नियंत्रण से परे अन्य कारण, या

(*iii*) यदि, अपने रोजगार की समाप्ति पर, कर्मचारी किसी अन्य नियोक्ता के पास रोजगार प्राप्त करता है, तो ऐसी संचित शेष राशि की राशि ऐसे अन्य नियोक्ता द्वारा बनाए गए किसी मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में उसके व्यक्तिगत खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है, या

(*iv*) यदि कर्मचारी के खाते में जमा सम्पूर्ण शेष राशि धारा 80 सीसीडी में निर्दिष्ट तथा केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित पेंशन योजना के अंतर्गत उसके खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है।

जब किसी कर्मचारी को देय और देय होने वाली संचित शेष राशि में उसके पूर्व नियोक्ता द्वारा संचालित किसी अन्य मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में उसके व्यक्तिगत खाते से हस्तांतरित कोई राशि शामिल हो, तो निरंतर सेवा की अवधि की गणना करते समय, पूर्व नियोक्ता के अधीन प्रदान की गई निरंतर सेवाओं की अवधि या अवधियों को उपरोक्त (*i*) और (*ii*) के प्रयोजनों के लिए गिना जाएगा। उपरोक्त चार स्थितियों (*i*) से (*iv*) के अंतर्गत, कर्मचारी को देय और देय संचित शेष राशि धारा 192A के अंतर्गत टीडीएस के लिए उत्तरदायी नहीं है।

8. डीडीओ को दावों का साक्ष्य/प्रमाण प्राप्त करना:

करदाता की आय का अनुमान लगाने या कर कटौती की गणना करने के प्रयोजन के लिए , धारा 192(2डी) में यह प्रावधान है कि भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति (डीडीओ) करदाता से मकान किराया भत्ता (जहां कुल वार्षिक किराया एक लाख रुपये से अधिक है) जैसे दावों का साक्ष्य या प्रमाण या विवरण प्राप्त करेगा; नियम 26सी द्वारा निर्धारित प्रपत्र 12बीबी के अनुसार "मकान संपत्ति से आय" शीर्षक के तहत ब्याज की कटौती और अध्याय VI-ए के तहत कटौती।

इसके अलावा, नियम 26सी के साथ धारा 192 (2डी) के अनुसार, डीडीओ के लिए छुट्टी यात्रा रियायत या सहायता के लिए छूट के दावे के संबंध में विवरण/साक्ष्य प्राप्त करना अनिवार्य है। कर्मचारी द्वारा विवरण प्रस्तुत करने के लिए प्रासंगिक प्रपत्र फॉर्म 12बीबी है।

यह ध्यान देने योग्य है कि डीडीओ निर्दिष्ट अवधि के दौरान किए गए निर्दिष्ट व्यय के चालान की प्रतियां प्राप्त करने के बाद पैरा 5.3.1 में संदर्भित आयकर छूट की अनुमति देगा।

9. कटौती किये जाने वाले आयकर की गणना:

9.1 धारा 192 के प्रयोजन के लिए वेतन आय की गणना निम्नानुसार की जाएगी: -

(ए) सर्वप्रथम पैरा 5.1 में उल्लिखित सकल वेतन की गणना करें जिसमें पैरा 5.2 में उल्लिखित सभी आय शामिल हों तथा पैरा 5.3 में उल्लिखित आय को छोड़ दिया जाए।

(*बी*) क) में प्राप्त आंकड़े से पैरा 5.4 में उल्लिखित कटौती की अनुमति दें और कर्मचारी के शुद्ध वेतन पर पहुंचने के लिए राशि की गणना करें

(*सी*) अन्य सभी मदों - "गृह संपत्ति", "व्यवसाय या पेशे से लाभ और प्राप्ति", पूंजीगत लाभ और अन्य स्रोतों से आय - से आय को जोड़कर कुल सकल आय ज्ञात करें, जैसा कि पैरा 3.6 में उल्लिखित सरल विवरण के रूप में दर्शाया गया है। हालाँकि, यह ध्यान रखना चाहिए कि डीडीओ द्वारा "गृह संपत्ति से आय" मद के अंतर्गत 2.00 लाख रुपये तक की हानि के अलावा किसी भी ऐसे मद के अंतर्गत कोई हानि स्वीकार्य नहीं है।

(*डी*) *ग)* में प्राप्त राशि से पैरा 5.5 में उल्लिखित कटौतियाँ इस बात को सुनिश्चित करते हुए स्वीकार करें कि संबंधित शर्तें पूरी होती हैं। पैरा 5.5 में उल्लिखित प्रारंभिक सीमा के अधीन कटौतियों की कुल राशि उपरोक्त (*ख*) में दी गई राशि से अधिक नहीं होगी और यदि यह अधिक हो, तो उसे उसी राशि तक सीमित रखा जाना चाहिए।

यह कर्मचारी की कुल आय की वह राशि होगी जिस पर आयकर काटा जाना आवश्यक होगा। इस आय को दस रुपये के निकटतम गुणज में पूर्णांकित किया जाना चाहिए।

9.2 ऐसी आय पर आयकर की गणना इस परिपत्र के पैरा 2.1 में दी गई दरों पर, कर्मचारी की आयु को ध्यान में रखते हुए और पैरा 4.8 में वर्णित धारा 206AA के प्रावधानों के अधीन, की जाएगी। पात्र व्यक्तियों को धारा 87A के अनुसार ₹12,500/- तक की छूट (पैरा 6 देखें) दी जा सकती है। जहाँ लागू हो, वहाँ अधिभार की गणना की जाएगी (पैरा 2.2 देखें)।

9.3 यदि लागू हो तो अधिभार द्वारा बढ़ाई गई कर राशि में 4% की दर से स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर जोड़कर कुल देय कर की राशि निर्धारित की जाएगी।

9.4 पैरा 9.3 के अनुसार देय कुल कर की राशि हर महीने समान किश्तों में काटी जानी चाहिए। किसी भी पिछली कटौती से उत्पन्न होने वाली किसी भी अतिरिक्त राशि या घाटे को उसी वित्तीय वर्ष के दौरान बाद की कटौतियों की राशि में वृद्धि या कमी करके समायोजित किया जा सकता है।

10. विविध:

10.1 ये निर्देश संपूर्ण नहीं हैं और केवल नियोक्ताओं को वेतन से कर कटौती से संबंधित विभिन्न प्रावधानों को समझने में मार्गदर्शन प्रदान करने के उद्देश्य से जारी किए गए हैं। जहाँ कहीं भी कोई संदेह हो, आयकर अधिनियम, 1961, आयकर नियम, 1962, वित्त अधिनियम, 2022 (2022 का संख्या 6), कराधान एवं अन्य विधियाँ (कतिपय प्रावधानों में छूट एवं संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का संख्या 38), संबंधित परिपत्रों/अधिसूचनाओं आदि के प्रावधानों का संदर्भ लिया जा सकता है।

10.2 यदि किसी सहायता की आवश्यकता हो तो आयकर विभाग के कर निर्धारण अधिकारी/स्थानीय जनसंपर्क अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।

10.3 ये निर्देश सभी संवितरण अधिकारियों और उपक्रमों, जिनमें केन्द्र/राज्य सरकारों के नियंत्रणाधीन उपक्रम भी शामिल हैं, के ध्यान में लाए जाएं।

10.4 इस परिपत्र की प्रतियां निम्नलिखित वेबसाइटों पर उपलब्ध हैं: www.fmmin.nic.in और www.incometaxindia.gov.in

(कल्पना सिंह)

अतिरिक्त सीआईटी (ओएसडी)

(आईटी-बजट), सीबीडीटी

■■